भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
(दूरसंचार क्षेत्र)
लेन–देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2007 की संख्या 12
(नियमितता लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
दूरसंचार क्षेत्र की रूपरेखा		vii-ix
विहंगावलोकन		x-xviii
भारत संचार निगम लिमिटेड		
अध्याय I – संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन		
कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति तथा वित्तीय परिणाम	1.1-1.7	1-8
अध्याय II – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–राजस्व		
(क) बेसिक टेलीफोनी		
किराया प्रभार को कम लिया जाना	2.1	9-10
देयों के बगैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना	2.2	10
संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना	2.3	11
न्यूनतम गारन्टी राजस्व की हानि	2.4	11-12
संशोधित पल्स दरों के गैर क्रियान्वयन/विलम्बित क्रियान्वयन के कारण राजस्व की हानि	2.5	12-13
(ख) अंतः संयोजन यूसेज़ प्रभार		
रिलायन्स इन्फोकोम लिमिटेड से कॉल के अप्राधिक रूटिंग के लिये प्रभारों की गैर वसूली	2.6	13-14
अंतः संयोजन यूसेज़ प्रभारों तथा उस पर ब्याज़ की गैर वसूली	2.7	14-15
पैस्सिव लिंक के लिए अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना	2.8	15-16
अंतः सम्बद्ध लाइसेंस फीस के बिल न बनाना	2.9	16-17
पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना	2.10	17
अंतः संयोजन यूसेज़ प्रभारों के गैर संग्रहण के कारण राजस्व की हानि	2.11	18
अवसंरचना भागीदारी के लिए तदर्थ वार्षिक आवर्ती प्रभार की गैर वसूली	2.12	19
निजी आपरेटरों के संबंध में पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना	2.13	19-20
अंतः सम्बद्ध यूसेज़ प्रभारों के कम बिल बनाना	2.14	20-21
(ग) परिपथ		
पट्टे पर दिये गये परिपथों के किरायें के बिल न बनाना	2.15	21
उपयोग किये गये संसाधनों के अनुसार किराये के कम बिल बनाना	2.16	22
पट्टे पर दिये गये परिपथ देरी से उपलब्ध कराने के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि	2.17	23
पट्टे पर दिये गये परिपथों के संयोजन काटे जाने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	2.18	23-24
रेलवे को पट्टे पर दी गई लाइनों तथा तारों के किराये के बिल न बनाना	2.19	24-25
(घ) अन्य		
भूमिगत केबिलों में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता	2.20	25-26
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली	2.21	26

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय III – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–व्यय		
(क) अति भुगतान		
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ पर किराये का अति भुगतान	3.1	27
विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान	3.2	28
(ख) फलहीन/निष्क्रिय निवेश		
अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण भण्डार का निष्क्रिय होना	3.3	28-32
दूरभाष एक्सचेंज का निष्क्रिय होना	3.4	32-35
प्राथमिक केबिलों पर निष्फल व्यय	3.5	35-36
एक्सचेंजों का अविवेकपूर्ण विस्तार/चालू किया जाना	3.6	36
केबिल रिकार्ड शोधन प्रणाली का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफलता	3.7	37
भूमि का अविवेकपूर्ण व्यय	3.8	38
विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय	3.9	39
केबिल बिछाने पर निष्फल व्यय	3.10	40
(ग) परिहार्य खर्च/भुगतान		
अप्रचलित भण्डारों पर परिहार्य व्यय	3.11	41
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.12	42
धनादेश कमीशन का अतिशय भुगतान	3.13	42-43
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड		
अध्याय IV – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष		
(क) राजस्व		
भुगतान न करने पर कनेकशन काटने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	4.1	44-45
संभाव्य राजस्व की हानि	4.2	45
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	4.3	45-46
(ख) व्यय		
पूंजी का अवरोधन	4.4	46-47
बिजली प्रभारों का अधिक भुगतान	4.5	47
भूमिगत केबिल में नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता	4.6	48
बिना उपयोग के भूमि अवधारण करने के कारण हानि	4.7	48-49
मलव्यवस्था कर का अधिक भुगतान	4.8	49-50
बिजली शुल्क का अधिक भुगतान	4.9	50
विदेश यात्रा पर अनियमित व्यय	4.10	51

आई टी आई लिमिटेड

अध्याय V – लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष		
पूर्ति में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि	5.1	52-53
निरीक्षण व आपूर्ति में विलम्ब के कारण हानि	5.2	53-54
विद्युत प्रभारों का उच्चतर दरों पर भुगतान	5.3	54-55
स्थापित करने में विलम्ब व तदनुरूपी ब्याज़ की हानि	5.4	55-56
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही		
अध्याय VI – लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	6	57-58
परिशिष्ट		

I	एक्सचेंजों की बढ़ी हुई धारक क्षमता के अनुरूप किराये के प्रभार की कम वसूली	59
II	देयों के भुगतान न होने के बावजूद दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना	60-61
III	सम्पूर्ण संज्ञापन पत्रों के गैर प्राप्ति के कारण बिलों का न बनाना	62-63
IV	पश्चिमी बंगाल दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत सै.स्वी.क्षे. में संशोधित पल्स दरों की देरी से कार्यान्वयन/अकार्यान्वयन की वजह से हुए राजस्व की हानि का विवरण	64
V	निजी परिचालकों द्वारा अन्तर संयोजन उपयोग प्रभारों के भुगतान में देरी की वजह से वसूल किये जाने वाले ब्याज़ को दर्शाने वाला समेकित विवरण	65-68
VI	निजी परिचालकों द्वारा अन्तर संयोजन उपयोग प्रभारों के भुगतान न होने को दर्शाने वाला समेकित विवरण	69
VII	निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना	70-71
VIII	अंतः संयोजन लाईसेंस फीस के बिल बनाने को दर्शाने वाला विवरण	72
IX	अंतः संयोजन लाईसेंस फीस के बिल न/कम बनाने को दर्शाने वाला विवरण	73
X	तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डल के तीन सै.स्वी. क्षेत्रों में अवसंरचना की आपसी हिस्सेदारी हेतु निजी परिचालकों से विशेष आवर्ती प्रभार की गैर वसूली	74
XI	पट्टे पर दी गई परिपथ के किराये की गैर वसूली को दर्शाने वाला विवण	75-76
XII	पट्टे पर दी गई परिपथों के प्रावधान में देरी को दर्शाने वाला विवरण	77-78
XIII	पश्चिमी बंगाल दूरसंचार जिला आसन सोल सै.स्वी.क्षे. और चेन्नई दूरभाष जिला के अन्तर्गत भुगतान न किये गये बिलों की राशि और पट्टे पर दिये गये परिपथों के संयोजन के काटे जाने में देरी को दर्शाने वाला विवरण	79
XIV	क्षतिपूर्ति संबंधी दावों की न वसूली	80
XV	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली को दर्शाने वाला विवरण	81-83
XVI	बिजली अधिभारों का अधिक भुगतान	84
XVII	भण्डारों का निष्क्रिय पड़े रहना	85
XVIII	एक्सचेंज भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश दर्शाने वाली विवरणी	86
XIX	प्राथमिक केबलों पर निष्फल व्यय	87
XX	एक्सचेंज के विस्तार/चालू करने पर अनुत्पादक व्यय को दर्शाने वाला विवरण	88
XXI	विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय	89
XXII	सेवाकर के भुगतान में देरी की वजह से ब्याज़ का परिहार्य भुगतान	90

XXIII	छूट प्राप्त दरों के उपलब्ध न होने पर धन आदेश कमीशन पर अधिक भुगतान	91
XXIV	भुगतान न होने पर संयोजनों के काटे जाने में देरी की वजह से राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण	92
XXV	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली को दर्शाने वाला विवरण	93
XXVI	भूमिगत केबिल में नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण	94
XXVII	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	95-102

प्राक्कथन

1984 में संशोधित नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 19–ए के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या 12 सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। इसमें दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रमुखता दी है। दूरसंचार विभाग (दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अन्तर्गत कम्पनियों में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आई टी आई लिमिटेड, टेलीकम्यूनिकेशन्स कनसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन्स सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड तथा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड शामिल है।

इस प्रतिवेदन में 49 पैराग्राफ छः अध्यायों में विभाजित हैं।

दूरसंचार क्षेत्र की रूपरेखा

1. पृष्ठभूमि

भारतीय दूरसंचार 160 वर्ष से ज्यादा पुराना है, जो 1839 में कोलकाता व डायमंड हार्बर के बीच पहली तार लाइन से शुरू हुआ। 1948 में भारत में केवल प्रति सौ जनसंख्या पर लगभग 0.02 दूरभाष घनत्व के साथ केवल 0.1 मिलियन दूरभाष संयोजन थे। जून 2006 तक देश में दूरभाष घनत्व प्रति सौ की जनसंख्या पर 13.96 दूरभाष के साथ 153.42 मिलियन दूरभाष (सैल्यूलर मोबाइल सहित) संयोजन थे।

देश में दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न प्रशासनिक व कार्यात्मक पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है:

2. प्रशासन व नियंत्रण

अप्रैल 1989 में गठित दूरसंचार आयोग के पास दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां हैं। आयोग व दूरसंचार विभाग (दू वि) नीति निर्धारण, लाइसेंस देने, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, दूरसंचार सेवा में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) का प्रशासनिक मानीटरिंग, एवं नियन्त्रण उपस्करों के अनुसंधान व विकास व मानकीकरण/वैधीकरण आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

दूरसंचार आयोग के अतिरिक्त, अन्य सरकारी संगठन जो दूरसंचार क्षेत्र में (दू वि के भाग के रूप में) में लगे थे,वे सेन्टर फार डवलपमेन्ट आफ टेलीमेटिक (सी–डॉट) दूरसंचार अभियंत्रण केन्द्र (दू अ के) व बेतार आयोजना व समन्वय विंग (बे आ स) है। सी–डॉट को 1984 में एक नई पीढ़ी के डिजीटल स्वीचिंग मदों को विकसित करने के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। इसने शहरी व ग्रामीण दोनों में उपयोग के लिये विस्तृत रेंज के स्वीचिंग व सम्प्रेषण उत्पाद विकसित किये हैं। दू अ के प्रयोग करने वाली एजेन्सियों के लिये उत्पाद वैधीकरण व मानकीकरण के लिये समर्पित है। यह दूरसंचार आयोग व क्षेत्रीय इकाइयों के लिये तकनीकी व अभियांत्रिकी सहयोग भी देती है।

बेतार आयोजना व समन्वय विंग (बे आ स) स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, लाइसेंस बनाने, आवृत्ति आबंटन, स्पैक्ट्रम प्रबन्धन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय की तथा इंडियन वायरलैस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के प्रशासन से संबंधित नीतियो को देखती है। रेडियो आवृत्तियों के प्रयोग को प्रशासित करने के लिये, बेतार उपस्कर व आवृत्तियों के प्रयोग के लिये लाइसेंस/नवीनीकरण बे आ स द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। निर्धारित लाइसेंस फीस व रायल्टी के अग्रिम भुगतान पर निर्धारित अवधि के लिये लाइसेंस जारी किये जाते हैं व वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण किया जाता है।

3. दूरसंचार सुधार

दूरसंचार सुधारों की निरन्तर प्रक्रिया के एक भाग के रूप व नई दूरसंचार नीति 1999 (न दू नी–99) के अनुसरण में, अक्तूबर 1999 में दू वि से दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) व दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) को देश में दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, बनाया गया। दू से वि व दू प्र वि को अंततः पूर्ण स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकार उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) के नाम से (15 सितम्बर 2000 को निगमित किया गया) व उनका कारोबार 1 अक्तूबर 2000 से इस कम्पनी को स्थानान्तरित किया गया। भा सं नि लि के सृजन से आशा की गई थी कि यह सरकारी आपरेटरों व निजी आपरेटरों के मध्य दूरसंचार सेवाओं के सभी क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र में बराबरी कर सके।

4. विनियामक नियंत्रण

निजी सेवा सम्भरकों के 1992 में प्रवेश से स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता भी अनिवार्य हो गई। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रभारों के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं के नियमन के लिए, जो पहले केन्द्र सरकार में निहित थे, 20 फरवरी 1997 से संसद के अधिनियम जिसे दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहते हैं के द्वारा एक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा दू वि प्रा) की स्थापना हुई। भा दू वि प्रा अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया जिसके द्वारा भा दू वि प्रा से न्यायिक व विवाद कार्यों को अलग करके दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट) की स्थापना, हुई। टी डी सैट, लाइसेंसधारी व लाइसेंसदाता के बीच, दो या अधिक सेवा सम्भरकों के बीच, सेवा सम्भरक व उपभोक्ता समूह के बीच के किसी विवाद का निर्णय तथा भा दू वि प्रा के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरूद्ध किसी अपील की सुनवाई व निपटान करता है।

5. दूरसंचार नीतियां

विश्वव्यापी सेवा व दूरसंचार सेवाओं में गुणात्मक सुधार पर अधिक बल देते हुए इसके अतिरिक्त दूरभाष सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आरम्भ करने के लिये, पहली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा 1994 में की गई। दूरसंचार क्षेत्र के खुलने के प्रारम्भिक जोश में, निजी ऑपरेटरों ने अपनी बोली में जितना वे अन्ततः दे सकते थे, उससे कहीं अधिक लाइसेंस फीस, की राशि प्रस्तावित की। जिसके फलस्वरूप, मई 1999 तक, उनके विरूद्ध सरकार को देय, 3779.45 करोड़ रू. का बकाया संचित हो गया। नई दूरसंचार नीति 1999 (न दू नी 99) जिसने निजी आपरेटरों को निर्धारित लाइसेंस फीस व्यवस्था से राजस्व भागीदारी व्यवस्था में बदलने की अनुमति दी। न दू नी 99 के अन्य प्रावधानों में, आपरेशन के एक ही क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सेवा सम्भरकों के बीच अन्तः संयोजनीयता व अवसंरचना की भागीदारी की अनुमति, दू वि के सेवा प्रावधान कार्य से नीति व लाइसेंस कार्यों को अलग करना, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (रा ल दू) तथा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (अ ल दू) की सेवाओं को प्रतियोगिता के लिए खोलना व सेवा सम्भरकों द्वारा डेटा व वायस यातायात दोनों को ले जाना शामिल था।

31 मार्च 2002 तक राजस्व भागीदारी के आधार पर मूल सेवा में अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सभी दूरसंचार सेवाएं निजी क्षेत्र के शामिल होने के लिये खोल दी गई हैं, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय डेटा संयोजनीयता सभी के लिए खोल दी गई है और इन्टरनेट सेवायें भी बिना किसी प्रविष्टी फीस और प्रवेशकों की संख्या में बिना किसी प्रतिबंध के खोल दी गई हैं।

नेशलन फ्रीक्वेन्सी अलोकेशन प्लान (एन एफ ए पी–2002) को लाइन के साथ विकसित कर स्पैक्ट्रम पर प्रतिकूल मांग की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (अं दू सं) के रेडियो रेगूलेशन द्वारा पूरी की जा रही है।

6. दूरसंचार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सरकारी संगठन

म टे नि लि और भा सं नि लि के अलावा दूरसंचार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सरकारी उपक्रम, आई टी आई लिमिटेड (आई टी आई), टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), इन्टेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल), और मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) थे। विभिन्न प्रकार के उपस्करों, जिसमें इलेक्ट्रानिक स्वीचिंग उपस्कर, संचरण उपस्कर व विभिन्न प्रकार के दूरभाष यन्त्र शामिल थे, के विनिर्माण के लिए आई टी आई लिमिटेड की 1948 में स्थापना की गई। टी सी आई एल को 1978 में विश्व स्तर पर दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। टी सी आई एल की कोर क्षमता संचार नेटवर्क परियोजनाओं, सॉफ्टवेयर सहायता, स्वीचिंग व संचरण प्रणालियां, सैल्यूलर सेवायें, ग्रामीण दूरसंचार व

आप्टीकल फाइबर पर आधारित सुदृढ नेटवर्क में है। आई सी एस आई एल को अप्रैल 1987 में कम्प्यूटर पर आधारित संचार प्रणालियों व उपस्कर के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत व विदेश में कम्प्यूटर व संचार तंत्रों के लिए इंजीनियरिंग,तकनीकी व प्रबन्धन परामर्श सेवायें भी उपलब्ध कराती है। एम टी एल को फरवरी 2000 में देश में इन्टरनेट सेवायें उपलब्ध कराने के लिये म टे नि लि के स्वयं नियंत्रित सहायक के रूप में स्थापित किया गया था। यह निगम खण्डों के लिये ब्राडबैन्ड इन्टरनेट पहुंच व सम्बन्धित तकनीक जैसे वैरी स्मॉल एपर्चुअर टर्मिनल (वी–सैट) की सहायता से पूरे भारत में वायस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल (वी ओ आई पी) दूरभाष सेवा की स्थापना का अनुसरण कर रहा है।

7. दूरसंचार क्षेत्र में सा क्षे उ का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये इन दूरसंचार सा क्षे उ के कुछ मुख्य वित्तीय निष्पादन संकेतक निम्न थे:

(करोड़ रू. में)

सा क्षे उ	सरकार द्वारा शेयर में निवेश			सरकारी ऋण	कुल अर्जित आय	सरकारी निवेश पर लाभांश का भुगतान	निवेशित पूंजी	कर पूर्व लाभ (क पू ला)	निवेशित पूंजी की तुलना में क पू ला की प्रतिशतता
	इक्विटी शेयर	प्रीफरेन्स शेयर	कुल						
	(करोड़ रू. में)								%
भा सं नि लि	5000.00	7500	12500	6220	40176.58	1175.00	83023.00	8446.98	10.17
म टे नि लि	354.37	---	354.37	---	6091.00	141.75	10440.63	671-36	6.43
आई टी आई	267.47	---	267.47	100	1771.46	---	3763.73	(427.55)	(11.36)
टी सी आई एल	28.80	---	28.80	---	483.49	---	325.89	17.40	5.32
आई सी एस आई एल	---	---	---	---	32.77	---	1.00	0.05	5.00
एम टी एल	*	---	---	---	0.24	---	5.24	0.07	1.34
कुल	**5650.64**	**7500**	**13150.64**	**6320**	**48555.54**	**1316.75**	**97559.49**	**8708.31**	**8.93**

* म टे नि लि द्वारा पूरी तरह अभिदातित एम टी एल की इक्विटी हिस्से का 2.88 करोड़ रू.।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, इन छः दूरसंचार सा क्षे उ में 13,150.64 करोड़ रू. के पूंजी निवेश पर, सरकार ने 1,316.75 करोड़ रू. का लाभांश प्राप्त किया जो केवल 10.01 प्रतिशत बनता है। वर्ष के दौरान छः दूरसचांर सा क्षे उ द्वारा कुल आय व अर्जित कर पूर्व लाभ क्रमशः 48,555.54 करोड़ रू. तथा 8,708.31 करोड़ रू. था। उपर्युक्त सा क्षे उ में कुल लगाई गई पूंजी 97,559.49 करोड़ रू. थी, 'कर से पूर्व लाभ' की समग्र प्रतिशतता 8.93 प्रतिशत बनती थी।

विहंगावलोकन

वर्ष 2005–06 के लिये इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 49 पैराग्राफों को शामिल करते हुये छः अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय I से III	भारत संचार निगम लिमिटेड
अध्याय IV	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
अध्याय V	आई टी आई लिमिटेड
अध्याय VI	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा प्रविधि और वित्तीय निहितार्थ

इस प्रतिवेदन में सीमांकित उपलब्धियां उनमें से है जो मुख्यतः 2005–06 के साथ–साथ 2006–07 के प्रारम्भिक भाग में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये पैराग्राफों का कुल परिमाणित वित्तीय निहितार्थ 247.26 करोड़ रू. है। अनियमितताओं की प्रकृति के सन्दर्भ में कम्पनीवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) से सम्बन्धित पैराग्राफों के बारे में वित्तीय निहितार्थ जो कि परिमाणित किया जा सका, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 212.96 करोड़ रू. है:

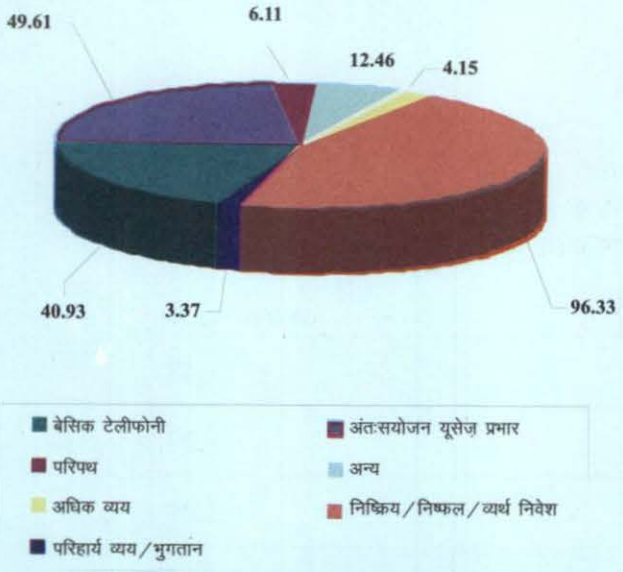

(करोड़ रू. में)

राजस्व पैराग्राफ	
बेसिक/टेलीफोनी	40.93
अंतःसयोजन यूसेज चार्ज	49.61
परिपथ	6.11
अन्य	12.46
व्यय पैराग्राफ	
अधिक भुगतान	4.15
निष्क्रिय/निष्फल निवेश	96.33
परिहार्य व्यय	3.37
कुल	**212.96**

(ii) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) से सम्बन्धित पैराग्राफों के बारे में वित्तीय निहितार्थ, जो कि परिमाणित किया जा सका, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 27.46 करोड़ रू. है:

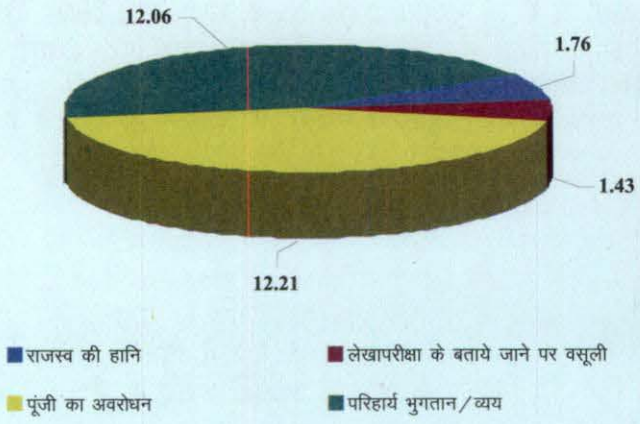

(करोड़ रू. में)

राजस्व पैराग्राफ	
राजस्व की हानि	1.76
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली	1.43
व्यय पैराग्राफ	
पूंजी का अवरोधन	12.21
परिहार्य व्यय	12.06
कुल	**27.46**

(iii) आई टी आई लिमिटेड

आई टी आई लिमिटेड से सम्बन्धित पैराग्राफों के बारे में वित्तीय निहितार्थ, जो कि परिमाणित किया जा सका, नीचे दिये विवरण के अनुसार 6.84 करोड़ रू. है:

(करोड़ रू. में)

परिहार्य व्यय	3.48
पूंजी का अवरोधन	1.27
हानि	2.09
कुल	**6.84**

प्रत्येक कम्पनी के विशिष्ट अध्यायों की विशेषताएं नीचे प्रस्तुत है :

भारत संचार निगम लिमिटेड

अध्याय I

प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश एवं अर्जन, भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन, राजस्व बकाया, जनशक्ति तथा उत्पादकता

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) को 15 सितम्बर 2000 को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकार की कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने का कारोबार, जोकि दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) के ज़िम्मे था, नवनिर्मित कम्पनी भा सं नि लि को 1 अक्तूबर 2000 से स्थानान्तरित किया गया। अध्याय 1 में विशिष्ट रूप से दर्शाये अन्य पहलू निम्नानुसार है:

- परियोजना तथा अनुरक्षण परिमण्डलों को छोड़कर, भा सं नि लि के प्रचालनों का प्रबन्धन 24 दूरसंचार परिमंडलो और दो दूरसंचार जिलों की सहायता से चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, सात दूरसंचार फैक्टरियों का प्रबन्धन भी भा सं नि लि द्वारा किया जाता है।

- 31 मार्च 2006 तक भा सं नि लि की क्रमशः 5000 करोड़ रू. की समग्र प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7500 करोड़ रू. की वरीयता शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा निवेश मानी गई। इसके अतिरिक्त, 5500 करोड़ रू. भारत सरकार से ऋण था। वर्ष 2005–06 के दौरान, कम्पनी ने ऋण की बकाया राशि पर ब्याज के रूप में 1063.33 करोड़ रू. प्रदान किए।

- मार्च 2006 के अन्त में, भा सं नि लि का 513.93 लाख लाइनों की सज्जित क्षमता के साथ 37,382 दूरभाष एक्सचेंजों का नेटवर्क था। इस सज्जित क्षमता में से 379.95 लाख दूरभाष संयोजन, (अर्थात् 74 प्रतिशत) दिये जा चुके थे, यद्यपि प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या 13.32 लाख थी। ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 31 मार्च 2005 को 5.19 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 5.35 लाख हो गई।

- 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए, भा सं नि लि ने अपनी सेवाओं से 36,138.94 करोड़ रू. कमाए। शुद्ध लाभ 8,939.69 करोड़ रू. था।

- मार्च 2006 तक जारी बिलों के लिए, 2658.81 करोड़ रू. (1 जुलाई 2006 को) एक या अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, जो कि 3,431.47 करोड़ रू. के कुल बकाया राजस्व का 77.48 प्रतिशत बनता था।

- डब्ल्यू एल एल सहित प्रति हजार दूरभाष संयोजनों पर कर्मचारियों की संख्या 2001–02 में 10.59 से घटकर 2005–06 में 5.84 हो गई।

(पैराग्राफ 1)

अध्याय II

लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित भा सं नि लि से संबंधित राजस्व पैराग्राफ

यह अध्याय लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित राजस्व पैराग्राफ पर है, जिसमें 111.57 करोड़ रू. के आधारभूत टेलीफोनी, अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार और परिपथों से संबंधित हानि/गैर–वसूली/अल्प बिल बनाने के मामले सम्मिलित है। भा सं नि लि ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर 6.98 करोड़ रू. वसूल किए है।

उपर्युक्त पहलुओं के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार थे :

(क) आधारभूत टेलीफोनी

किराया प्रभारों का कम लेना

आन्ध्र प्रदेश के छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं पंजाब दूरसंचार परिमंडल द्वारा दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ने के साथ–साथ उच्चदरों पर किराये के बिल जारी नहीं करने के कारण 30.03 करोड़ रू. की कम बिलिंग हुई।

(पैराग्राफ 2.1)

देयों की गैर अदायगी के बावजूद दूरभाष सुविधा जारी रखना

बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमंडलों के तहत तेईस सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र सितंबर 1996 से फरवरी 2006 की अवधि के लिए किराए की गैर अदायगी के चलते अभिदाताओं और एस टी डी/ पी सी ओ प्रचालकों के संबंध में निर्धारित तिथि तक दूरभाष संयोजन काटने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 9.28 करोड़ रू. के राजस्व की गैर–वसूली हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना

बिहार, गुजरात और राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के तहत छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र जुलाई 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि के लिए उनकी दूरभाष राजस्व लेखा शाखाओं में संपूर्ण संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण 1.11 करोड़ रू. के किराये के बिल बनाने में विफल रहे।

(पैराग्राफ 2.3)

(ख) अंतः संयोजन प्रयोग प्रभार

मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड से अप्राधिकृत कॉल रूटिंग के लिए प्रभारों की गैर–वसूली

पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र, पटना में कम्पनी मई 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के लिए रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड से अंतःसंयोजन करार का अवहेलना में अप्राधिकृत कॉल रूटिंग के लिए 38.61 करोड़ रू. की राशि के प्रभार वसूलने में विफल रही।

(पैराग्राफ 2.6)

अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार और उस पर ब्याज की गैर–वसूली

पांच दूरसंचार परिमंडलों के तहत सोलह सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों के साथ–साथ पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र, भुवनेश्वर मार्च 2002 से जनवरी 2006 की अवधि के संबंध में 11 निजी दूरसंचार सेवा प्रचालकों से पहुंच प्रभारों/अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभारों के विलंबित भुगतान के लिए 2.46 करोड़ रू. के ब्याज की वसूली करने में विफल रहे। पुनः दो दूरसंचार परिमंडलों के तहत 4 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र भी अक्तूबर 2003 से अगस्त 2005 की अवधि के लिए पांच निजी दूरसंचार सेवा प्रचालकों से 63.01 लाख रू. के अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभारो को वसूल करने में विफल रहे।

(पैराग्राफ 2.7)

पैस्सिव संयोजनों के लिए अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना

आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडलों के तहत 14 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र मार्च 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि के लिए निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रदान पैस्सिव संयोजनों के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रभार वसूलने में विफल रहे। इस कारण 2.60 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाए गए।

(पैराग्राफ 2.8)

अंतः सम्बद्ध लाइसेंस शुल्क के बिल न बनाना

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के तहत छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र जून 2004 से नवम्बर 2006 की अवधि के लिए ई–सेवा, आंध्र प्रदेश से अंतः सम्बद्ध लाइसेंस शुल्क एकत्र करने में विफल रहे। इस कारण 1.35 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाए गए।

(पैराग्राफ 2.9)

पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना

तीन दूरसंचार परिमंडलों के तहत 10 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों द्वारा पोर्ट प्रभारों के बिल सही और समय पर बनाने में विफलता के कारण 1.05 करोड़ रू. के पोर्ट प्रभारों के बिल नहीं/कम बनाए गए।

(पैराग्राफ 2.10)

(ग) परिपथ

पट्टे पर दिए गए परिपथों के किराये के बिल न बनाना

छतीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमंडलों के तहत 10 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों द्वारा फरवरी 1980 से फरवरी 2007 के अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए परिपथों के लिए बिल बनाने में विफलता के कारण 2.43 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाए गए।

(पैराग्राफ 2.15)

प्रयुक्त संसाधनों के अनुरूप किराये के कम बिल बनाना

आंध्र प्रदेश और हरियाणा दूरसंचार परिमंडल के तहत हैदराबाद और गुड़गांव सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र द्वारा दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 की अवधि के लिए प्रयुक्त संसाधनों के अनुरूप अल्प दूरी

चार्जिंग क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टे पर दिए गए स्थानीय परिपथों के लिए किराया वसूलने में विफलता के कारण 1.28 करोड़ रू. के कम बिल बनाए गए।

(पैराग्राफ 2.16)

पट्टे पर दिए गए परिपथ उपलब्ध करवाने में विलंब के कारण संभाव्य राजस्व की हानि

बिहार और कर्नाटक दूरसंचार परिमंडलों के तहत तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों और कलकत्ता दूरभाष जिला द्वारा निर्धारित समय में पट्टे पर दिए गए परिपथ उपलब्ध करवाने में विफलता के कारण 1.04 करोड़ रू. के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.17)

अध्याय III

लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित भा स नि लि से संबंधित व्यय पैराग्राफ

लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित व्यय पैराग्राफों पर यह अध्याय 103.85 करोड़ रू. के समस्त अधिक व्यय/निष्फल व्यय/निष्क्रिय निवेश और परिहार्य व्यय/दर्शाता है। मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त पहलुओं के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार थे :

(क) अधिक व्यय

अंतराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ पर किराये का अधिक भुगतान

चेन्नई दूरभाष ने 3.46 करोड़ रू. से 7.90 करोड़ रू. के बीच उच्चतर दरों पर किराये का भुगतान जारी रखा यद्यपि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एस टी एम–। बैंडविड्थ के लिए पट्टा किराये की सीमा 29 नवंबर 2005 से 2.99 करोड़ रू. प्रति वर्ष निर्धारित कर रखी थी। इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2005 से मार्च 2006 की अवधि के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड से दो एस टी एम–1 बैंड विडथ किराये पर लेने और भारती इन्फोटेक लिमिटेड से किराये पर लिए गए एक एस टी एम–। बैंडविड्थ के लिए 2.53 करोड़ रू. के किराये का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में ग्यारह सै स्वी क्षे ने मिश्रित लोड श्रेणी के तहत नई निम्नतर दरों के स्थान पर पुरानी दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान जारी रखा। इस कारण जनवरी 2005 से फरवरी 2006 की अवधि के दौरान 1.62 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

(ख) निष्फल/निष्क्रिय निवेश

अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण स्टॉक का निष्क्रिय होना

कर्नाटक, केरल उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल और कलकत्ता दूरसंचार जिला दूरसंचार भंडारों की अधिप्राप्ति से पूर्व परिवर्तनशील तकनीकों जैसें कि मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली (जी एस एम) की शुरूआत, लोकल लूप में वायरलैस (डब्ल्यू एल एल), पोलरहित केबल नेटवर्क की तरफ स्थानांतरण को ध्यान में रखने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, परिमंडल उनकी अधिप्राप्ति में उपयुक्त अनुशासन को पालन करने में विफल रहे और अधिप्राप्ति से पहले पूर्व उपभोग पैटर्न का ध्यान नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति से 74.82 करोड़ रू. के भंडारों की अनुगामी निष्क्रियता हुई।

(पैराग्राफ 3.3)

दूरभाष एक्सचेंज भवनों की निष्क्रियता

जनवरी 2001 और जुलाई 2004 के मध्य बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडलों के तहत सात सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) में तेरह दूरभाष एक्सचेंज भवनों का 6. 07 करोड़ रू. की कुल लागत से निर्माण किया गया। परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र की अपर्याप्तता और परिमंडल और इन परिमंडलों में सै स्वी क्षे स्तर पर एक्सचेंजों को आरम्भ करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के सहगमन में विफलता के कारण नव निर्मित दूरभाष एक्सचेंज भवनों का उनके निर्माण के दो से चार वर्ष बाद भी उपयोग नहीं हो रहा। इस कारण एक्सचेंज भवन निष्क्रिय रहे और 6.07 करोड़ रू. की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

प्राथमिक केबलों पर निष्फल व्यय

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के तहत भोपाल सैक्ेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) ने वास्तविक जरूरत से बहुत अधिक प्राथमिक केबिलों को बिछाया जिसके कारण 5.63 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.5)

अविवेकपूर्ण विस्तार/एक्सचेंजों का आरम्भ

झारखंड परिमंडल के तहत महा प्रबन्धक, दूरसंचार जिला, रांची ने फरवरी 1999 और जनवरी 2003 के मध्य छः एक्सचेंजों के विस्तार के लिए छः परियोजना प्राक्कलनों को स्वीकृत किया। सभी छः एक्सचेंज एक से तीन वर्ष बाद भी अभिदाताओं की वृद्धि के उच्चतर प्रक्षेप और विस्तार पूर्व एक्सचेंज क्षमता उपयोग का ध्यान रखने में विफलता के कारण अल्पप्रयुक्त रहे। इस कारण एक्सचेंजों के विस्तार पर 3.61 करोड़ रू. का अनुत्पादक व्यय हुआ। पुनः देवी मंडप रोड़, रांची पर एक 2के एक्सचेंज नया आरंभ किया गया था (मार्च 2004), जिसने केवल 228 संयोजन प्रदान किए। इस कारण नया एक्सचेंज आरंभ करने पर 1.22 करोड़ रू. का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

अध्याय IV

लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित म टे नि लि के संबंध में राजस्व और व्यय पैराग्राफ

इस अध्याय में लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित राजस्व और व्यय पैराग्राफ सम्मिलित है, जो 1.76 करोड़ रू. के राजस्व की हानि और 27.94 करोड़ रू. के अवरोधन/परिहार्य व्यय को प्रदर्शित करते है।

उपर्युक्त पहलुओं के कुछ विशिष्ट महत्वूपर्ण मामले इस प्रकार थे :

(क) राजस्व

गैर अदायगी के लिए विच्छेदंनों में विलंब के कारण राजस्व की हानि

म टे नि लि की मुम्बई इकाई की दूरभाष राजस्व लेखा शाखा चार एक्सचेंजों के समय पर विच्छेदन आदेश जारी करने में विफल रहे तथा अक्तूबर 2004 से अक्तूबर 2005 की अवधि के लिए 717 अभिदाताओं के संबंध में लोकल लूप में वायरलैस दूरभाष संयोजनों के किराये की गैर अदायगी के लिए संयोजन काटने में भी विलंब किया। इसके कारण 1.16 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 4.1)

(ख) व्यय

पूंजी का अवरोधन

म टे नि लि, दिल्ली एक दूरभाष एक्सचेंज के लिए भूमि का कब्जा नही ले सका, क्योंकि ग्राउंड रेन्ट 26.56 लाख रू. का भुगतान नही किया एंव जमीन की कीमत 10.62 करोड़ रू. (नवम्बर 2002) का देरी से भुगतान किया। इसके अतिरिक्त डी डी ए ने विलम्ब से भुगतान के कारण ब्याज 1.59 करोड़ रू. की मांग की।

(पैराग्राफ 4.4)

विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

म टे नि लि दिल्ली ने पश्चिम I , केन्द्रीय और म टे नि लि यमुनापार क्षेत्रों में औद्योगिक श्रेणी की निम्नतर दरों की बजाय, गैर–घरेलू, मिश्रित लोड श्रेणी के लिए लागू उच्चतर दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान किया। इसके कारण 3.62 करोड़ रू. के विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

भूमिगत केबलों को क्षति के लिए मुआवजा वसूलने में विफलता

म टे नि लि दिल्ली 2001–06 के दौरान बाह्य एजेंसियों द्वारा भूमिगत केबलों को क्षति के लिए 3.43 करोड़ रू. के क्षतिपूर्ति दावे पेश करने में विफल रहा। 1.14 करोड़ रू. की क्षति के बारे में, कंपनी उन एजेंसियों की पहचान करने में विफल रही, जिन्होनें भूमिगत केबलों को क्षति पहुंचाई थी। 2.29 करोड़ रू. के शेष मामलों में, यद्यपि एजेंसियां परिचित थीं, कम्पनी ने कोई दावा नहीं किया। अतः एक से चार वर्ष बीतने के बाद भी संबधित समूह से मुआवजा दावों की मांग करने में कम्पनी की विफलता के कारण 3.43 करोड़ रू. के मुआवजा दावों की गैर वसूली हुई।

(पैराग्राफ 4.6)

अध्याय V

लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित आई टी आई से संबंधित व्यय पैराग्राफ

यह अध्याय, जिसमें लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित व्यय पैराग्राफ शामिल हैं, हानि/परिहार्य व्यय/6.84 करोड़ रू. की पूंजी अवरोधन को प्रदर्शित करते है।

कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार थे :

आपूर्ति में विलंब के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी ने फरवरी 2004 के क्रय आदेश में 1.25 करोड़ रू. की नगद हानि (सामग्री लागत–बिक्री दाम) उठाई क्योंकि निर्धारित समय सीमा (अगस्त 2004) के अंतर्गत उपस्कर की आपूर्ति नही हुई तथा बाद में खरीददार ने कीमतो में संशोधन किया। पुनः, आपूर्तियों में विलंब के कारण कम्पनी ने अभिलेखों में 1.24 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान प्रभारों के लिए प्रावधान किया, जिसमें से भा सं नि लि द्वारा 39.32 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान प्रभार दिसम्बर 2006 तक जारी बिलों से वसूल कर लिये गए थे।

(पैराग्राफ 5.1)

निरीक्षण और आपूर्ति में विलंब के कारण हानि

कंपनी क्रय आदेश के समझौते के अनुसार, लोकल–लूप में वायरलैस अभिदाता टर्मिनलों के साथ एंटीना, फीडर केबल व अन्य सामग्रियों की जांच के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही। इस कारण निरीक्षण, आपूर्ति में विलम्ब तथा 1.16 करोड़ रू. की राशि के परिनर्धारित नुकसान की उगाही हुई।

(पैराग्राफ 5.2)

भारत संचार निगम लिमिटेड

अध्याय I
संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

1.1 प्रस्तावना

नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसरण में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग (दू वि) के सेवा प्रावधान कार्यों को निगमित करना तय किया। तदनुसार, 15 सितम्बर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड (कम्पनी) को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित पंजीकृत एवं निगम कार्यालय सहित पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकार उपक्रम के रूप में निगमित किया गया। देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने का व्यवसाय जोकि दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) के ज़िम्मे था, नवनिर्मित कम्पनी, को 1 अक्तूबर 2000 से स्थानान्तरित किया गया। तथापि, नीति बनाना, लाइसेंस व्यवस्था, वायरलैस स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ) का प्रशासनिक नियन्त्रण, उपस्कर का मानकीकरण तथा मान्यकरण तथा शोध व विकास (शो व वि) के काम को सरकार ने अपने अधीन दूरसंचार विभाग (दू वि) तथा दूरसंचार आयोग के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत रखा।

कम्पनी, समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये अन्य निर्देशों व भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई लाइसेंस के निबन्धनों व शर्तों के अनुसार देश में सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, रखरखाव व कार्यचालन के संबंध में कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को निभा रही है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक (अ प्र नि) की अध्यक्षता में प्रशासनिक तथा सभी कार्यात्मक नियंत्रण निदेशक बोर्ड में निहित है। जिसकी सहायता पांच कार्यात्मक निदेशकों (वित्त, वाणिज्यिक तथा विपणन, प्रचालन, मानव संसाधन विकास एवं आयोजना तथा नई सेवाएं) द्वारा की जाती है।.

परियोजना तथा अनुरक्षण परिमण्डलों को छोड़कर, कम्पनी का प्रबन्धन 24 दूरसंचार परिमण्डलों तथा दो दूरसंचार जिलों (चेन्नई तथा कोलकाता) की सहायता से प्रचलित होता है। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा सात दूरसंचार फैक्टरियां कोलकाता में अलीपुर तथा गोपालपुर, भिलाई, खड़गपुर, मुम्बई, रिछाई तथा राईट टाउन, जबलपुर में स्थित फैक्टरियों, का प्रबन्धन भी किया जाता है। इन फैक्टरियों द्वारा माइक्रोवेव टावर, मॉडम, सॉकेट, पे फोन, केबिल टर्मिनेशन बॉक्स आदि जैसे कई प्रकार के अनुषंगी उपस्करों का विनिर्माण किया जाता है।

1.3 निवेश व अर्जन

31 मार्च 2006 तक 10,000 करोड़ रू. की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7,500 करोड़ रू. की वरीयता शेयर पूंजी के विरूद्ध प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा वरीयता शेयर पूंजी क्रमशः 5,000 करोड़ रू. तथा 7,500 करोड़ रू. थी।

सभी परिसम्पत्तियों, देयताओं तथा अन्य संविदागत दायित्वों सहित 1 अक्तूबर 2000 से पूर्ववर्ती दू प्र वि तथा दू से वि के कारोबार को ग्रहण करने के बदले में कम्पनी की कुल प्रदत्त 5,000 करोड़ रू. की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा 7,500 करोड़ रू. की वरीयता शेयर पूंजी को भारत सरकार द्वारा निवेश माना गया। इसके अतिरिक्त, 7,500 करोड़ रू. की अन्य राशि को भारत सरकार से कम्पनी को ऋण के रूप में माना गया। सरकार ने 7,500 करोड़ रू. के ऋण पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया या मूलधन राशि की पुनः अदायगी नहीं की क्योंकि कम्पनी के पास 31 मार्च 2005 तक मूलधन तथा उस पर ब्याज को लौटाने के लिए ऋणस्थगत था। 31 मार्च 2006 तक ऋण की मूल धन राशि 5500 करोड़ रू. थी क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2005–06 के दौरान 2000 करोड़ रू. लौटा दिये थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2006 की समाप्ति पर, कम्पनी के वार्षिक खातों में इस ऋण पर 1,063.33 करोड़ रू. का ब्याज (दू वि द्वारा निश्चित 14.5 प्रतिशत की दर से) के बकाया की व्यवस्था की गई थी।

कम्पनी को 31 मार्च 2004 तक वरीयता शेयर पूंजी पर लाभांश के भुगतान से छूट दी गई थी। कम्पनी को 31 मार्च 2002 तक इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश के भुगतान से भी छूट दी गई थी और वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में क्रमशः इक्विटी शेयर पूंजी पर देय लाभांश पर क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त है। कम्पनी ने 31 मार्च 2005 तथा 2006 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिये क्रमशः 975 करोड़ रू. तथा 800 करोड़ रू. का लाभांश प्रस्तावित किया।

दू वि ने कम्पनी के लिए वित्तीय राहत के रूप में उपायों के पैकेज का अनुमोदन करते हुए निर्णय दिया (जून 2002) कि कम्पनी लाइसेंस फीस तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों का पूरा भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगी और कम्पनी को ग्रामीण दूरभाष प्रचालनों तथा अन्य सामाजिक वांछनीय परियोजनाओं पर हानि की प्रतिपूर्ति भी अनुमत की जायेगी। वित्त मंत्रालय से परामर्श करके दू वि द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि का वार्षिक रूप से निर्णय किया जाना था। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति लाइसेंस फीस के 1/3 तक प्रतिबंधित कर दी गई थी जिसमें विश्व सेवा निधि (वि से नि) की उगाही शामिल नहीं है और सरकार द्वारा इस कारण 582. 96 करोड़ रू. की राशि की प्रतिपूर्ति कम्पनी को की गयी।

कम्पनी को ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों (ग्रा सा दू) के रखरखाव की प्रतिपूर्ति के लिये वि से नि से 31 मार्च 2005 तथा 2006 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिये क्रमशः 1,117.07 करोड़ रू. एवं 1,765.75 करोड़ रू. भी प्राप्त हुए।

1.4 भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन

1.4.1 भौतिक निष्पादन

31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त तक कम्पनी का भौतिक निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

दूरभाष नेटवर्क	31 मार्च 2002 को	31 मार्च 2003 को	31 मार्च 2004 को	31 मार्च 2005 को	31 मार्च 2006 को
❖ दूरभाष एक्सचेंजों की संख्या	34592	36136	36618	37040	37382
❖ सीधी एक्सचेंज लाइनों (सी एक्स ला) की कुल सज्जित क्षमता, डब्ल्यू एल एल को सम्मिलित करते हुए (लाख में)	415.90	457.35	485.60	498.20	513.93
❖ दूरभाष संयोजनों (सी एक्स ला) की संख्या डब्ल्यू एल एल को सम्मिलित करते हुए (लाख में)	334.01 *(80%)	359.33 (79%)	363.94 (75%)	374.88 (75%)	379.95 (74%)
❖ प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	16.49	18.07	18.14	17.16	13.32
❖ सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या (लाख में)	1.78	22.56	52.54	94.47	171.64
❖ ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष की संख्या (लाख में)	4.68	5.05	5.10	5.19	5.35
❖ एस टी डी से जुड़े हुए स्टेशनों की संख्या	29673	36027	36646	37035	सभी शहर

* कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उपयोग की गई क्षमता के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

➢ तालिका से पता चलता है कि सीधी एक्सचेंज लाइनों (सी एक्स ला) की सज्जित क्षमता में बढ़ोतरी के बावजूद दूरभाष एक्सचेंज की समग्र उपयोगिता क्षमता 2001–02 में 80 प्रतिशत से 2005–06 में 74 प्रतिशत तक गिर गई।

दूरभाष एक्सचेंजों का क्षमता उपयोग

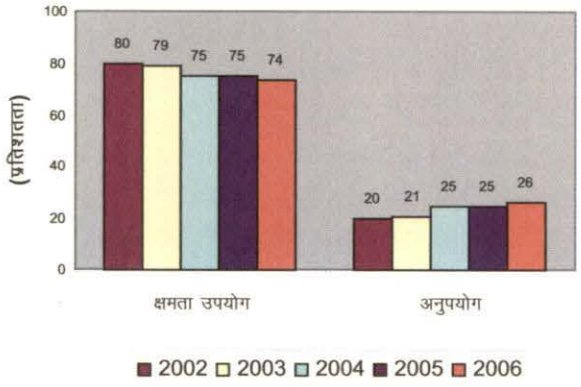

सज्जित क्षमता की उपलब्धता के बावजूद, 2001–02 से 2005–06 के प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षा सूची में थे; इसके कारणों में, बड़ी मात्रा में 'तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं (टी एन एफ) क्षेत्रों' का होना, वर्षांत तक सज्जित क्षमता में वृद्धि होना जिसके अनुगामी वर्षों में संयोजन को लगाया गया, इत्यादि, हो सकते हैं।

- सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजनों की संख्या 2002–03 में 22.56 लाख से बढ़कर 2005–06 में 171.64 लाख हो गई।.
- ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों की संख्या 2001–02 में 4.68 लाख से बढ़कर 2005–06 में 5.35 लाख हो गई।

1.4.2 वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार थे:

(करोड़ रू. में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
सेवा से आय	24297.21	25293.15	31399.34	33450.04	36138.94
अन्य आय	384.49	599.45	2519.25	2640.05	4037.64
व्यय (ब्याज तथा पूर्व अवधि समायोजन को छोड़कर)	19993.49	24714.42	27075.29	29372.24	30817.26
ब्याज	468.21	364.55	88.24	29.29	1089.80
कर पूर्व लाभ तथा पूर्व अवधि समायोजन	4219.99	813.63	6755.07	6688.56	8269.52
पूर्व अवधि समायोजन	332.19	(455.72)	(58.90)	(534.38)	(405.50)
कर पूर्व लाभ तथा आय की विशेष मदें	4552.18	357.91	6696.17	6154.18	7864.02
आय की विशेष मदें (ग्रामीण दूरभाष प्रचालन से हुई हानि की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति)	2300.00	2300.00	2300.00	1765.90	582.96
कर पूर्व लाभ	6852.18	2657.91	8996.17	7920.08	8446.98
कर प्रावधान	540.01	1213.46	3019.64	(2263.21)*	(492.71)*
कर उपरान्त लाभ	6312.17	1444.45	5976.53	10183.29	8939.69
लाभांश	♣	250.00	318.01	1337.88	1339.79

* कोष्ठक में अंक इस वर्ष के दौरान वापिस अधिक कर प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं

♣ भा सं नि लि को 31 मार्च 2002 तक इक्विटी शेयर पूंजी तथा 31 मार्च 2004 तक वरीयता शेयर पूंजी पर लाभांश की अदायगी से छूट प्राप्त है।

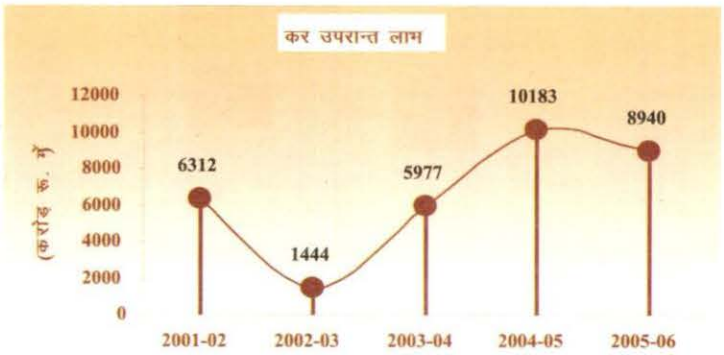

यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष में कर उपरांत लाभ में कमी हुई जो मुख्यतः व्यय में बढ़ोतरी तथा ब्याज के भुगतान की वजह से है।

1.5 राजस्व बकाया

1.5.1 मार्च 2006 को समाप्त पांच वर्षों के लिए दूरभाष सेवाओं के लिए जारी मांग, संगृहीत राशि तथा बकाया (मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे सैल्यूलर मोबाइल सेवा, निजी मूलभूत सेवा आपरेटर इत्यादि के राजस्व विवरण को छोड़कर) की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रू. में)

वर्ष	1 अप्रैल को बकाया	वर्ष के दौरान जारी मांग	कुल मांग (2+3)	वर्ष के दौरान संगृहीत राशि	31 मार्च के अन्त तक बकाया (4-5)
1	2	3	4	5	6
2001-2002	2882.03	21966.29	24848.32	21300.39	3547.93
2002-2003	3547.93	22102.30	25650.23	22113.51	3536.72
2003-2004	3536.72	23995.97	27532.69	23611.40	3921.29
2004-2005	3921.29	22794.08	26715.37	22855.00	3860.37
2005-2006	3860.37	21526.72	25387.09	21331.45	4055.64

दूरभाष सेवाओं के कारण राजस्व बकाया मार्च 2002 के अन्त में 3,547.93 करोड़ रू. की तुलना मे मार्च 2006 के अन्त तक 4,055.64 करोड़ रू. तक बढ़ गया। वस्तुतः 2001–2006 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बकाया में 14.31 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु मांग में दो प्रतिशत की कमी हुई। संग्रहित राशि भी वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान 23,611.40 करोड़ रू. से घटकर 21,331.45 करोड़ रू. हो गई।

1.5.2 मार्च 2006 तक जारी बिलों के लिए जून 2006 के अन्त तक दूरभाष राजस्व का बकाया 4,055.64 करोड़ रू. से नीचे आ कर 3,431.47 करोड़ रू. तक रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में, 1 जुलाई 2006 को बकाया राशि का आयुवार ब्यौरा सामने चार्ट में दिया गया है। एक या अधिक वर्षों के लिए 2,658.81 करोड़ रू. (1 जुलाई 2006 को) की राशि बकाया थी जो कि कुल बकाया राजस्व का 77.48 प्रतिशत बनता था।

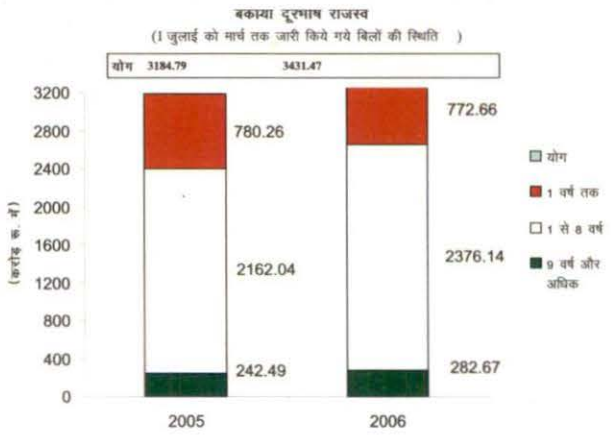

1.5.3 जून 2001 से जून 2006 के बीच कुल दूरभाष देयों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्न था:

(करोड़ रू. में)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		निजी अभिदाता	
	राशि	कुल बकाया की प्रतिशतता	राशि	कुल बकाया की प्रतिशतता	राशि	कुल बकाया की प्रतिशतता
2001-2002	37.52	1.52	153.79	6.25	2268.56	92.23
2002-2003	40.98	1.53	165.96	6.18	2477.24	92.29
2003-2004	40.66	1.32	177.83	5.78	2856.14	92.89
2004-2005	32.77	1.03	127.80	4.01	3024.22	94.96
2005-2006	35.25	1.03	140.69	4.10	3255.52	94.87

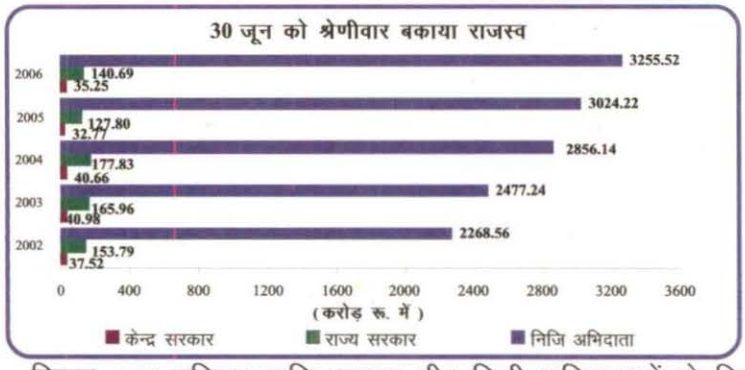

जून 2006 के अन्त तक विभिन्न दूरभाष अभिदाताओं की श्रेणियों के विरूद्ध 3,431.47 करोड़ रू. की राशि बकाया थी। कुल बकाया राशि में से निजी अभिदाताओं के विरूद्ध 94.87 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकारी विभागों के विरूद्ध 1.03 प्रतिशत तथा विभिन्न राज्य सरकारों के विरूद्ध 4.10 प्रतिशत राशि बकाया थी। निजी अभिदाताओं के विरूद्ध बकाया बिलों की राशि एवं अनुपात सतत् रूप से प्रतिवर्ष बढ़ रही थी तथा केवल एक वर्ष जुलाई 2005 से जून 2006 में ही इस श्रेणी के विरूद्ध बकाया राशि 231.30 करोड़ रू. बढ़ गई।

1.5.4 टेलीग्राफ, टेलिप्रिंटर तथा दूरभाष परिपथों पर किराया तथा टेलेक्स/इन्टेलेक्स प्रभारों का बकाया

अभिदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को टेलिग्राफ, टेलिप्रिन्टर तथा दूरभाष परिपथों तथा टेलेक्स/इन्टेलेक्स संयोजनों को किराये पर देने से राजस्व बकाया की स्थिति नीचे दर्शाई गई है

दूरभाष, टेलिग्राफ, टेलेक्स/इन्टेलेक्स आदि

(करोड़ रू. में)

वर्ष	1 अप्रैल को बकाया	वर्ष के दौरान जारी मांग	कुल मांग (2+3)	वर्ष के दौरान कुल संगृहीत राशि	31 मार्च को बकाया (4-5)
1	2	3	4	5	6
परिपथ (दूरभाष तथा टेलिग्राफ)					
2002-2003	203.07	514.48	717.55	428.41	289.14
2003-2004	289.14	583.28	872.42	502.43	369.99
2004-2005	369.99	567.76	937.75	538.30	399.45
2005-2006	399.45	464.60	864.05	474.07	389.98
टेलेक्स/इन्टेलेक्स प्रभार					
2002-2003	13.77	7.04	20.81	8.10	12.71
2003-2004	12.71	4.02	16.73	4.32	12.41
2004-2005	12.41	0.59	13.00	1.46	11.54
2005-2006	11.54	(-)1.41	10.13	0.42	9.71

परिपथों से संबंधित राजस्व बकाया के संग्रह का अतिदेय वर्ष 2002–03 के 289.14 करोड़ रू. से बढ़कर 2005–2006 में 389.98 करोड़ रू. हो गया, जबकि उसी अवधि के दौरान टेलेक्स/इन्टेलेक्स प्रभार थोड़ा सा घटकर 12.71 करोड़ रू. से 9.71 करोड़ रू. हो गया। इस प्रकार परिपथों/टेलेक्स/इन्टेलेक्स के संबंध में कुल बकाया राजस्व 399.69 करोड़ रू. बना, जो बाद में घटकर 1 जुलाई 2006 को 365.95 करोड़ रू. हो गया जैसा कि पैराग्राफ 1.5.5 में दर्शाया गया है।

1.5.5 मार्च 2006 तक जारी किये गये बिलों में परिपथों/टेलेक्स/इन्टेलेक्स प्रभारों के संबंध में बकाया देयों की राशि घटकर जून 2006 के अन्त तक 365.95 करोड़ रू. हो गयी। 1 जुलाई 2006 को बकाया देयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रू. में)

अवधि	परिपथों का किराया	टेलेक्स/इन्टेलेक्स प्रभार	कुल
1996-97 तक	52.50	3.67	56.17
1997-98 से 2004-05	202.94	5.65	208.59
2005-06	101.16	0.03	101.19
कुल	**356.60**	**9.35**	**365.95**

1.5.6 जून 2006 के अंत तक दूरभाष, टेलिग्राफ, टेलिप्रिन्टर सेवाओं आदि से संबंधित 3797.42 करोड़ रू. (दूरभाषः 3,431.47 करोड़ रू. और परिपथों/टेलेक्स/इन्टेलेक्सः 365.95 करोड़ रू.) से अधिक के राजस्व का कुल बकाया भा. सं. नि. लि. के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर धक्का है।

1.6 जनशक्ति

31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के अन्त तक कम्पनी की कुल जनशक्ति नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	औद्योगिक श्रमिक	कुल जनशक्ति	दैनिक वेतन भोगी मजदूर
2001-02	7071	44662	236705	63997	3237	**355672**	5211
2002-03	7026	46797	231656	63189	3112	**351780**	4974
2003-04	7889	49158	238042	47090	3673	**345822**	3899
2004-05	6947	51242	230556	47525	3583	**339853**	3867
2005-06	7156	53293	210680	47315	3411	**321855**	3648

पिछले वर्षों की तुलना में 2005–06 के दौरान, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' को छोड़कर, जिनमें क्रमशः लगभग 3.01 प्रतिशत और चार प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनशक्ति में समग्र कमी हुई।

1.7 उत्पादकता

वर्ष 2001–02 के लिए प्रति एक हजार दूरभाष संयोजन जिसमें डब्ल्यू एल एल तथा सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष संयोजन शामिल है, उत्पादकता (अर्थात् प्रति हजार दूरभाष संयोजन के अनुपात में कर्मचारी) 10.59 थी जो सुधरकर 2005–06 में 5.84 हो गई।

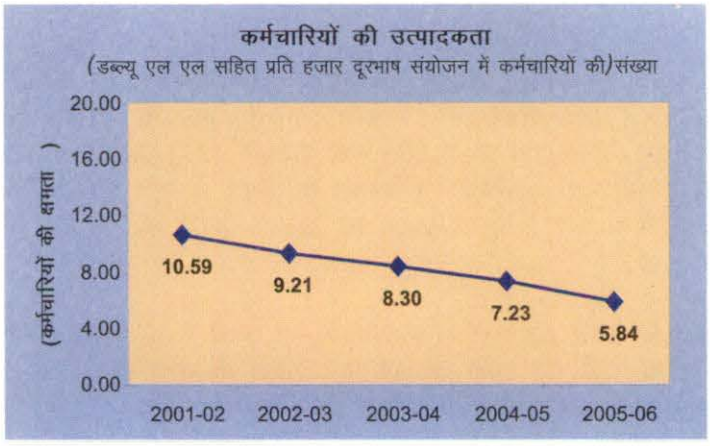

अध्याय–II
लेन देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–राजस्व

(क) बेसिक टेलीफोनी

2.1 किराया प्रभार को कम लिया जाना

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं पंजाब दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता के साथ उच्चतर दरों के अनुरूप किराये के बिल जारी करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 30.03 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये।

संहिता प्रावधानों के अनुसार किराये की दरें एक्सचेंज की कुल सज्जित क्षमता/बहु–एक्सचेंज/ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिये कम दूरी प्रभार क्षेत्र पर आधारित होनी चाहिये। दूरसंचार राजस्व लेखांकन (दू रा ले) शाखा को अभियांत्रिकी विंग से प्राप्त विविध एक्सचेंज की सज्जित क्षमता के विवरणों के आधार पर किराया संशोधित करना चाहिए। भा सं नि लि ने टैरिफ आदेश के साथ–साथ एक्सचेंज/एक्सचेंज प्रणाली की सज्जित क्षमता के आधार पर किराये की (एक समान) स्लैब दरें जारी की (अप्रैल 1999, दिसम्बर 2000 तथा अप्रैल 2003)। उच्चतर एक्सचेंज क्षमता में किराये की दरें उच्चतर होगी।

प्रकरण–I

आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत पांच सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला (फरवरी 2003 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य) कि इन सै स्वी क्षे के अन्तर्गत शहरी व देहाती क्षेत्र की एक्सचेंज क्षमता को यद्यपि बढ़ा दिया गया था, सै स्वी क्षे लगातार निम्नतर दरों पर किराया वसूल करते रहे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2002 से फरवरी 2006 की अवधि के लिये 1.87 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये, जैसा कि परिशिष्ट–I में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, चार सै स्वी क्षे ने बताया (फरवरी–दिसम्बर 2005) कि संशोधित किराया बिल जारी किये जायेंगे, आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत, मुख्य लेखाअधिकारी श्रीकाकुलम सै स्वी क्षे ने बताया (फरवरी 2006) कि किराये की उच्चतर दर की मांग से सै स्वी क्षे के लिये उपभोक्ता बेस की हानि हो सकती थी।

श्रीकाकुलम का उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि टैरिफ आदेशों ने एक्सचेंज की सज्जित क्षमता/एक्सचेंज प्रणाली के आधार पर किराये की स्लैब दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित की और इसलिये एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता के आधार पर बिल जारी किये जाने चाहिये। जुलाई 2006 तक राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

प्रकरण–II

पंजाब दूरसंचार परिमंडल के अन्तगर्त चंडीगढ़ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2006) से पता चला कि राष्ट्रीय नम्बरिंग योजना के अनुसार पंचकुला तथा मोहाली एक्सचेंज चंडीगढ़ एस डी सी ए के अन्तगर्त थे। इसके अतिरिक्त इन दोनों एक्सचेंज के अभिदाताओं को चंडीगढ़ एस डी सी ए से सेवाये भी दी जा रही थी। चंडीगढ़ एस डी सी ए के सभी एक्सचेंजों की कुल सज्जित क्षमता अप्रैल 2001 से 1,00,000 लाइन से बढ़

गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सै स्वी क्षे ने निम्नतर दर पर अभिदाताओं के बिल बनाये थे। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2005 की अवधि के लिये 28.16 करोड़ रू. के किरायों की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, उपमहाप्रबंधक (वित्त), पंजाब दूरसंचार परिमंडल ने बताया (जुलाई 2006) कि कालका तथा खरड़ एस डी सी ए में पंचकुला तथा मोहाली एक्सचेंज थे और बिल ठीक ढंग से बनाये गये थे। उसने यह भी बताया कि पिछले वर्षो में पंजाब परिमंडल द्वारा कालका तथा खरड़ एस डी सी ए में पंचकुला तथा मोहाली एक्सचेंज स्थानान्तरित करने के लिये प्रयास किये गये थे, लेकिन स्थानान्तरण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन विभिन्न कारणों के कारण जो कि पंजाब परिमंडल के नियन्त्रण के बाहर थे, प्राप्त नहीं किया जा सका था। स्पष्ट तौर पर उत्तर स्वतः प्रतिकूल था। इससे अतिरिक्त, सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन) पंजाब दूरसंचार परिमंडल ने पुष्टि की (जून 2006) कि ये दोनों एक्सचेंज चंडीगढ़ एस डी सी ए के अन्तगर्त थे। इसलिये चंडीगढ़ एस डी सी ए के अन्तगर्त एक्सचेंज की कुल सज्जित क्षमता 1,00,000 लाइन से बढ़ गई, तदनुसार किराये की दर लागू होनी चाहियें थी।

नवम्बर 2006 में ये प्रकरण मंत्रालय को भेजे गये थे, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.2 देयों के बगैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना

बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमंडलों के अधीन 23 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र किराये के बगैर भुगतान के लिये अभिदाताओं और एस टी डी/पी सी ओ आपरेटरों के दूरभाष संयोजन काटे जाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 9.28 करोड़ रू. के राजस्व की वसूली नही हुई।

भा सं नि लि द्वारा अपनाये गये नियमों में निर्धारित है कि बिलों के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अभिदाताओं द्वारा दूरभाष बिलों का भुगतान करना है, अन्यथा 35 वे दिन के पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर दूरभाष काट दिया जाने योग्य हो जाता है। एस टी डी/पी सी ओ प्रकरण में बिल का भुगतान बिल की प्राप्ति की तारीख से चार कार्य दिवसों के भीतर होना है, अन्यथा संयोजन काट दिये जाने योग्य हो जाता है। फरवरी तथा अक्तूबर 2003 में कम्पनी के निगम कार्यालन ने इन प्रावधानों को पुनः दुहराया।

बिहार, झाारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमंडलों के अंतर्गत 23 सैकेण्ड्री सवीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2004 तथा मई 2006) से पता चला कि इन सै स्वी क्षे ने अभिदाताओं द्वारा देय किराये के गैर भुगतान के बावजूद भी विभिन्न अभिदाताओं को अनुचित तरीके से लम्बी अवधि के लिये दूरसंचार सेवायें देना जारी रखी। इसके परिणामस्वरूप सितंबर 1996 से फरवरी 2006 की अवधि के लिये 9.28 करोड़ रू. के राजस्व की गैर वसूली हुई, जिसका विस्तृत परिशिष्ट–II में है।

तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते हुये, कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत उपमहाप्रबन्धक (वित्त) हुबली सै स्वी क्षे ने बताया (अप्रैल 2006) कि मुख्य रूप से विलम्ब अक्तूबर 2005 में बिलिंग सॉफ्टवेयर के ढह जाने से तथा इसको ठीक करने में लिये गये समय के कारण था। अन्य सै स्वी क्षे ने बताया कि बकाया देयों की वसूली तथा चूककर्ता अभिदाताओं की दूरभाष सुविधायें बंद करने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

9.28 करोड़ रू. में से, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने 61 लाख रू. की राशि वसूल की और 17 लाख रू. रद्द कर दिये। अक्तूबर 2006 तक शेष के संबंध में वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

अक्तूबर 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। दिसंबर 2006 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

2.3 संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना

बिहार, गुजरात व राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र के दूरभाष राजस्व लेखांकन शाखाओं में पूर्ण संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण 1.11 करोड़ रू. किराये के बिल बनाने में विफल रहे।

दूरभाष जिला की अभियंत्रिकी शाखा दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने के सात दिनों के भीतर पूर्ण संज्ञापन पत्र दूरभाष राजस्व लेखा (दू रा ले) शाखा को भेजना अपेक्षित है, ताकि वह बाद में अभिदाता अभिलेखा कार्ड (अ अ का) में विवरण दर्ज करे और अभिदाताओं को बिल जारी कर सके।

बिहार, गुजरात तथा राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल के छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2003 और मार्च 2006 के मध्य) से पता चला कि जुलाई 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि के लिये विभिन्न अभिदाताओं जिनकों दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराई गई थी, के पूर्ण संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण किराये में 1.11 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये गये। जिसका विस्तृत परिशिष्ट–III में है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर (जून 2003 से दिसम्बर 2005 के मध्य), भावनगर, गांधीनगर और सुरेन्द्रनगर सै स्वी क्षे ने 55.78 लाख रू. वसूल लिये। शेष राशि 54.92 लाख़ रू. की वसूली विवरण मई 2006 तक प्रतीक्षित थे।

दू रा ले शाखा द्वारा पूर्ण संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण विलम्ब से बिल बनाने/बिल न बनाने के मामलों पर विगत में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई है। जुलाई/अगस्त 2005 में मंत्रालय ने उसी पैराग्राफ पर की गई कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत करते समय बताया था कि भा सं नि लि ने दू रा ले शाखा को पूर्ण संज्ञापन पत्रों की समय से प्राप्ति को कड़ाई से पालन करने के लिये अनुदेश (अक्तूबर 2003 तथा जनवरी 2005) जारी किये थे। इसके बावजूद; कमी अभी भी सतत बनी हुई है।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसंबर 2006)

2.4 न्यूनतम गारंटी राजस्व की हानि

गुजरात दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत तीन सै स्वी क्षे एस टी डी/आई एस डी सार्वजनिक कॉल कार्यालय के बंद होने तथा लाइसेंसधारक से न्यूनतम गारंटी के राजस्व संग्रहण से पहले न्यूनतम तीन माह की अवधि का विचार करने के अनुदेशों का पालन करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 27.54 लाख रू. न्यूनतम गारंटी के राजस्व की हानि हुई।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने अपने एस टी डी/आई एस डी सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पी सी ओ) के लाइसेंसधारकों के लिये एक संशोधित प्रपत्र जारी किया, (जुलाई 2001) जिसके परिशिष्ट का उपयोग आवेदन एवं करार के साथ–साथ एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ के प्रतिष्ठापन, अनुरक्षण व प्रचालन के लिये अनुमति/लाइसेंस के रूप में होना था। परिशिष्ट के खंड 24 में व्यवस्था है कि या तो भा सं नि लि या लाइसेंसधारकों द्वारा करार एक पूर्व लिखित सूचना जो तीन माह से कम न हो, देकर समाप्त किया जाये और लाइसेंसधारक इस प्रकार की सूचना से बकाया और/अथवा देय राशि का भुगतान करने के लिये अपने उत्तरदायित्व से बच नही सकेंगे। इसके अतिरिक्त, खंड 31 में अनुबद्ध है कि लाइसेंसधारकों के पी सी ओ से की गई कॉल की संख्या को नजरअंदाज करते हुये लाइसेंसधारक भा से नि लि द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटी के राजस्व का भुगतान समय–समय पर करें। बाद में, भा सं नि लि ने लाइसेंसधारकों के लिये न्यूनतम गारंटी के राजस्व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 100 रू. और 1600 रू. प्रति पी

सी ओ प्रति माह तय किया (मई 2002)। शहरी लाइसेंसधारकों के प्रकरण में, इस न्यूनतम गारंटी के राजस्व में 800 रू. प्रति पी सी ओ प्रति माह का संशोधन 1 अप्रैल 2005 से किया गया था (मार्च 2005)

गुजरात दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत भड़ौच, महसाना तथा सूरत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (स स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्तूबर 2005 से फरवरी 2006) से पता चला कि इन पी सी ओ को बंद करने से पहले सै स्वी क्षे ने अनुबद्ध न्यूनतम तीन माह की अवधि का पालन किये बिना 619 एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ संयोजन बंद कर दिये। 619 प्रकरणों में से 31 एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ बन्द के लिए आवेदन प्राप्ति के दिन बंद कर दिये गये थे, यद्यपि शेष 588 एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ 57 दिनों तक की देरी से बंद किये गये थे, जिनमें से 92 प्रतिशत प्रकरणों में देरी लाइसेंसधारको से बन्द के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक थी बंद करने के लिये थे। पी सी ओ बंद करने से पहले न्यूनतम तीन महीने की सूचना अवधि की व्यवस्था के गैर पालन के परिणामस्वरूप 27.24 लाख रू. के न्यूनतम गारंटी के राजस्व की हानि जनवरी 2002 से अक्तूबर 2005 की अवधि में हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) भड़ौच सै स्वी क्षे ने बताया (फरवरी 2006) कि भा सं नि लि के जुलाई 2001 के अनुदेशों की गैर प्राप्ति के कारण, इसका पूर्ववर्ती अवधि के लिये पालन नहीं किया जा सका था, यद्यपि अप्रैल 2005 से सै स्वी क्षे, अनुदेशों का पालन कड़ाई से कर रहा था। सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), महसाना सै स्वी क्षे ने बताया (दिसम्बर 2005) कि फील्ड इकाइयों तथा दूरभाष राजस्व लेखांकन शाखा से अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद कार्यवाही की जायेगी। सूरत सै स्वी क्षे का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2006)।

जुलाई 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसंबर 2006)

2.5 संशोधित पल्स दरों के गैर क्रियान्वयन/विलम्बित क्रियान्वयन के कारण राजस्व की हानि

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत दो सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र द्वारा स्थानीय सार्वजनिक कॉल कार्यालय से की गई कॉल की संशोधित पल्स दरों के गैर क्रियान्वयन और विलम्बित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 24.26 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने स्थानीय सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पी सी ओ) से की गई सभी कॉल की पल्स दरों में सितम्बर 2004 से 180 सैंकण्ड से 90 सैकण्ड का संशोधन किया गया (17 अगस्त 2004)। पल्स दरों में फिर संशोधन 120 सैंकण्ड तक कर दिया गया था (22 दिसम्बर 2004) और जनवरी 2005 से प्रति यूनिट कॉल दर एक रू. से दो रू. बढ़ा दी गई थी।

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत आसनसोल सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के दुर्गापुर मंडल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जुलाई 2005) कि मंडल सिम्बर 2004 से 90 सैकण्ड की पल्स दर में संशोधन करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर से दिसम्बर 2004 की अवधि के लिये 18.99 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, उसी परिमंडल के अन्तर्गत सूरी सै स्वी क्षे के अभिलेखों की अन्य नमूना जांच (जुलाई 2005) में यह पता चला कि सै स्वी क्षे ने 1 जनवरी 2005 की अनुबद्ध तारीख के बजाय 1 फरवरी 2005 से 120 सैकण्ड की पल्स दरों में संशोधन का क्रियान्वयन किया था परिणामस्वरूप जनवरी 2005 के पूरे महीने के लिये 5.26 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार, भा सं नि लि के अनुदेशों के अनुसार में संशोधित पल्स दरों के गैर क्रियान्वयन और विलम्बित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सितम्बर 2004 से जनवरी 2005 की अवधि के लिये 24.26 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट–IV में है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, सूरी सै स्वी क्षे ने उत्तर दिया (अगस्त 2005) कि एक्सचेंज में हो रहे कुछ तकनीकी सुधारों की आवश्यकता के कारण संशोधन–क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ था। उपमहाप्रबंधक दुर्गापुर मंडल ने बताया (अगस्त 2006) कि 1 सितम्बर 2004 से संशोधित पल्स दरें के गैर क्रियान्वयन के लिये निगम कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 17 अगस्त 2004 के आदेशों की गैर प्राप्ति कारण था।

सूरी सै स्वी क्षे का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि निगम कार्यालय से अनुदेशों की प्राप्ति पर शीघ्रता से ये सुधार किये जा सकते थे। इसके अतिरिक्त उ म प्र दुर्गापुर का विवाद भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आदेश जारी करते समय भा सं नि लि निगम कार्यालय ने भा सं नि लि के इन्ट्रानेट पोरटल को आदेशों की एक प्रति भी दी थी। इसलिये उ म प्र को आदेश तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिये थी।

जून 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसंबर 2006)

(ख) अंतः संयोजन यूसेज प्रभार

2.6 रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड से कॉल के अप्राधिक रूटिंग के लिये प्रभारों की गैर वसूली

पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र पटना रिलायन्स इन्फोकम लिमिटेड से अंतःसम्बद्ध करार के उल्लंघन में कॉलों के अप्राधिकृत रूटिंग बाबत् 38.61 करोड़ रू. के प्रभार वसूल करने में विफल रहा।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) तथा रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड (आर आई एल) के मध्य मूलभूत दूरभाष सेवाओं के प्रावधान के लिये अन्तः सम्बद्ध करार (जनवरी 2002) ने अनुबद्ध किया कि एक्सचेंज में पदनामित एक ट्रंक ग्रुप जो विशेष प्रकार की कॉल वहन करने हेतु है, से किसी अन्य यातायात का वहन नहीं करना चाहिये। यह भी बताया गया था कि, यदि भा स नि लि में किसी कॉल की गलत/अनाधिकृत रूटिंग की घटना पकड़ में आती है तो उस ट्रंक ग्रुप में रिकार्ड की गई इस प्रकार की गलत मार्ग वाली सभी कॉलों के बिल 1.14 रू. प्रति मीटर कॉल की दर पर या तो अंतः संयोजन के प्रावधान की तारीख से या पूर्ववर्ती दो माह के लिये जो भी कम हो से बनाये जायेंगे, इसके अलावा अन्य कानूनी कार्यवाही जिसमें अन्तःसंयोजन का विच्छेदन अथवा अंतःसम्बद्ध करार के अस्थायी निलंबन शामिल है।

पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (पू दू क्षे) पटना के महाप्रबंधक (म प्र) अनुरक्षण के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल व मई 2006) से पता चला कि मई 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के दौरान मंडलीय अभियंता (तकनीकी) ने अप्राधिकृत रूटिंग वाली कॉलों के लिये आर आई एल को सूचना जारी की (अक्तूबर 2004) तथा उन्हें निर्देश दिया कि वे करार के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसरण इस प्रकार के अप्राधिकृत रूटिंग के लिये 38.61 करोड़ रू. की राशि का भुगतान करें। यद्यपि आर आई एल ने बिल पर विवाद किया था (नवम्बर 2004 तथा अप्रैल 2005 के मध्य) और यह बताया कि यहां यातायात का अभिप्रेत बाईपास नही था, पू दू क्षे पटना ने आर आई एल के दावे का खंडन किया। (दिसम्बर 2004 तथा मई 2005 के मध्य) उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में करार का स्पष्ट उल्लंघन हुआ क्योंकि पू दू क्षे पटना द्वारा कॉल ब्यौरा अभिलेखा (कॉ ब्यौ अ) की नमूना जांच में आर आई एल द्वारा कॉलो की बाईपास जो पटना लम्बी दूरी प्रभार क्षेत्र में अंतःसंयोजन के अन्य बिन्दुओं के लिये थी दिखाई जिसके लिये ये कॉले की गई थी। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि 38.61 करोड़ रू. वसूली के लिये आग्रह करने के बजाय, म प्र (अनुरक्षण) पू दू क्षे पटना ने उनके

कोलकाता परिमण्डल कार्यालय से परामर्श कर मई से अक्तूबर 2003 की अवधि के लिये गलत मार्ग वाली कॉल और अवैध/अपूर्ण कॉल जो नवम्बर 2003 से सितम्बर 2004 की अविध के लिये थी, को अलग करके बिल में संशोधन करने का निर्णय किया (जुलाई 2005)। तदनुसार, मई से नवम्बर 2003 की अवधि के लिये गलत रूटेड कॉलों के लिये 14.33 करोड़ रू. के संशोधित बिल जारी किया (अगस्त 2005) बाद में, भा सं नि लि के जून 2005 के परिपत्र के प्रावधानों को उद्धरित करके नवम्बर 2003 से सितम्बर 2004 की शेष अवधि के लिये अवैध/अपूर्ण कॉलों हेतु एक अन्य बिल केवल 1.51 लाख रू. का जारी किया गया था (फरवरी 2006)। मई 2006 तक, आर आई एल से न तो इन राशियों को वसूला गया था और न ही अंतःसंयोजन बिन्दुओं जिनका दुरूपयोग हुआ था, के विच्छेदन के लिये कोई कार्यवाही की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, मंडलीय अभियंता (तकनीकी) पू दू क्षे पटना ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2006) कि निगम कार्यालय द्वारा जून 2005 में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखकर, दावे में 38.61 करोड़ रू. से 14.33 करोड़ रू. का संशोधन किया गया था और परिमंडल कार्यालय कोलकाता से परामर्श भी किया गया था। यह भी बताया गया था कि पू दू क्षे पटना ने विच्छेदन सूचना दी थी जिसको निगम कार्यालय के रेगुलेशन सैल का निर्णय लम्बित होने के कारण मूर्त रूप नही दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कही भी दो भागों में कॉल के विभाजन के कारण अभिलेखित नहीं थे, इसके अलावा, पू दू क्षे पटना द्वारा कॉ ब्यौ अ की पूरी जांच के बाद कॉल अप्राधिकृत मार्गों को अभिलेखों ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि मंडलीय अभियंता (तकनीकी) पू दू क्षे पटना ने निर्णय दिया कि आर आई एल में कॉल का गलत मार्ग एक सोचा–समझा प्रयास था, निगम कार्यालय के जून 2005 के पत्र में निहित अनुदेश इस प्रकरण मे लागू नहीं होने थे।

इस प्रकार पू दू क्षे पटना करार के उल्लंघन में आर आई एल द्वारा अप्राधिकृत मार्ग के लिये देयों की वसूली में विफल रहे, परिणामस्वरूप मई 2003 से सिंतम्बर 2004 की अवधि के लिये 38.61 करोड़ रू. के राजस्व की गैर वसूल हुई।

मामला अक्तूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.7 अन्तःसंयोजन यूसेज प्रभारों तथा उस पर ब्याज की गैर वसूली

पांच दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सोलह सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र तथा पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र भुवनेश्वर निजी दूरसंचार सेवा आपरेटरों से एसेस प्रभार/अन्तःसंयोजन यूसेज प्रभार के विलम्बित भुगतान के लिये 2.46 करोड़ रू. का ब्याज वसूलने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त दो दूरसंचार परिमंडलों के अंतर्गत चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र 63.01 लाख रू. के अंतःसम्बद्ध यूसेज़ प्रभार वसूलने में भी विफल रहे।

भा सं नि लि ने निजी दूरसंचार सेवा सम्भरकों के साथ उनके नेटवर्क से अपने नेटवर्क के अन्तःसंयोजन के लिये अंतःसम्बद्ध करार किया। करार के अनुसार, निजी सेवा सम्भरकों को अप्रैल 2003 तक एसेस प्रभार[+] तथा मई 2003 से अन्तःसंयोजन यूसेज प्रभार[*] (अं यू प्र) का भुगतान करना पड़ा था। बिल मासिक आधार पर जारी होने थे तथा इनका भुगतान जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के भतीर होना था आपरेटरो द्वारा देरी से भुगतान पर देय राशि पर निर्धारित दरो से ब्याज लगाना था, भा सं नि लि ने भी ब्याज की दरो के बारे में तथा इसको लागू करने के बारे में समय–समय निर्देश जारी किये।

[+] एसेस प्रभारः निजि सेवा सम्भरकों द्वारा ऐसी कॉलों के लिये देय प्रभार जो उनके नेटवर्क प्रारम्भ पर होते हैं एवं भा सं नि लि के नेटवर्क पर खत्म होते हैं।

[*] अन्तःयूसेज प्रभारः दो आपरेटरों के मध्य परिवहन व्यय + एसेस डिफिसिज चार्ज + टर्मिनेशन चार्ज

आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा व राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अंतर्गत 16 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) तथा पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (पू दू क्षे), भुवनेश्वर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2004 तथा फरवरी 2006 के मध्य) पता चला कि 11 निजी सेवा सम्भरकों ने एसेस प्रभार/ अं यू प्र का भुगतान समय पर नहीं किया था और मार्च 2002 से जनवरी 2006 की अवधि से संबंधित 896 बिलों का भुगतान की तारीख से 528 दिनों तक का विलम्ब हुआ। जिसमें से 57 प्रतिशत से ज्यादा प्रकरणों में विलम्ब 30 दिनो से ज्यादा था भुगतान में इन विलम्ब के बावजूद भी, उपर्युक्त सै स्वी क्षे तथा पू दू क्षे भुवनेश्वर संबंधित करार व भा सं नि लि के अनुदेशों में प्रावधानों के निबन्धनों में ब्याज वसूलने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2.46 करोड़ रू. के ब्याज की गैर वसूली हुई जिसका विवरण परिशिष्ट–V में है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि केरल व राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अंतर्गत चार सै स्वी क्षे से संबंधित अन्य 80 प्रकरणों के बारे में पांच निजी सेवा आपरेटरों ने अक्तूबर 2003 से अगस्त 2005 की अवधि के दौरान अनुबद्ध समय के भीतर 63.01 लाख रू. के अं यू प्र का बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट–VI में है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अंतर्गत 10 सै स्वी क्षे व पू दू क्षे भुवनेश्वर ने बिल या तो जारी कर दिये थे या यह बताया कि बिल देय ब्याज के लिये जारी किये जा रहे थे, और उसमें से 14.11 लाख रू. की वसूली की रिपोर्ट कालीकट सै स्वी क्षे द्वारा दी गई थी (अक्तूबर 2005)। गुजरात, उड़ीसा व राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत अन्य चार सै स्वी क्षे ने लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की थी और बताया (फरवरी 2005 तथा फरवरी 2006 के मध्य) कि आवश्यक कार्यवाही हेतु मामला संबंधित परिमंडल कार्यालयों के ध्यान में लाया गया था। राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत शेष दो सै स्वी क्षे उदाहरणार्थ अलवर व सीकर सै स्वी क्षे ने बताया (अक्तूबर 2005 तथा फरवरी 2006) कि मामलों की जांच चल रही थी और बिल देय अवधि में जारी किये जायेंगे।

एसेस प्रभारों/अं यू प्र के विलम्बित भुगतान पर 2.32 करोड़ रू. के शेष ब्याज की तथा 63.01 लाख रू. के बिना भुगतान वाले अं यू प्र जुलाई 2006 तक वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

नवंबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसम्बर 2006)

2.8 पैस्सिव लिंक के लिये अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना

आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल में 14 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र निजी दूरसंचार सेवा सम्भरकों को उपलब्ध कराई गई पैस्सिव लिंक के सम्बंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रभार उगाहने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2.60 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये गये।

भा सं नि लि ने अंतःसंयोजन सम्भरक के रूप में, निजी दूरसंचार सेवा आपरेटर को अनुमत किया (अप्रैल 2002) कि वह पैस्सिव लिंक* के द्वारा भा सं नि लि के नेटवर्क से अपना नेटवर्क अंतःसम्बद्ध, आपरेटरो से यह वचन लेकर कि उक्त पैस्सिव लिंक के लिए अवसंरचना प्रभार जब निश्चित होगे पूर्वगामी प्रभाव से भुगताने करेगे। बाद में, पैस्सिव लिंक के लिये अवसंरचना प्रभार की दर 15,000 रू. प्रति ई I (अथवा ईथरनेट°) प्रति पैस्सिव लिंक प्रति वर्ष तय की गई थी (अप्रैल 2005)।

---

* पैस्सिव लिंक में एक तरफ तो कॉपर वायर के माध्यम से संयोजन तथा दूसरी तरफ आप्टीकल लाइन टर्मिनल उपस्कर शामिल है।

° ईथरनेट एक मानक संचार प्रोटोकॉल है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (स्था क्षे ने) के निर्माण हेतु साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में सन्निहित है।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब व तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 14 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2005 तथा मार्च 2006के मध्य) से पता चला कि सै स्वी क्षे ने विभिन्न निजी सेवा आपरेटरों के सम्बंध में पैस्सिव लिंक के लिये अवसंरचना प्रभारों के बिल नहीं बनाये थे, परिणामस्वरूप मार्च 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि के लिये 2.60 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट–VII में है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, सभी सै स्वी क्षे ने बिल जारी कर दिये थे और उनमें से चार उदाहरणार्थ अमृतसर, भावनगर, सांगारड्डी व तिरूपति सै स्वी क्षे ने 48.75 लाख रू. की राशि वसूल की।जून 2006 तक शेष 2.11 करोड़ रू. के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.9 अंतःसम्बद्ध लाइसेंस फीस के बिल न बनाना

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तगर्त छः सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र ई–सेवा आंध्र प्रदेश से अंतःसम्बद्ध लाइसेंस फीस 1.35 करोड़ रू. संग्रह करने में विफल रहे।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने एकल पार्टी नेटवर्क[°] के सम्बंध में 4 लाख रू. प्रति 64 के बी पी एस[*] लिंक के लिये तथा अधिकतम 15 लाख रू. प्रति वर्ष प्रति 2 एम बी पी एस[♠] लिंक की शर्त पर अंतःसम्बद्ध लाइसेंस फीस संशोधित की (अप्रैल 2001)।

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने आंध्र प्रदेश सरकार के निदेशक, ई–सेवा को उसके विभिन्न ई–सेवा केन्द्र जोड़ने के लिये पट्टे पर दी गई लाइनों पर एकल पार्टी नेटवर्क के प्रतिष्ठापन, अनुरक्षण व प्रचालन की अनुमति दी (जुलाई 2003)। सम्बन्धित सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला (म प्र दू जि) लाइसेंस फीस की वसूली के लिये नियंत्रक व बिलिंग प्राधिकारी होने थे

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत छः सै स्वी क्षे के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2005 से फरवरी 2006) से पता चला कि निदेशक, ई–सेवा को उपलब्ध कराये गये डेटा परिपथों के सम्बंध में वे अन्तःसम्बद्ध लाइसेंस फीस की वसूली में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप जून 2004 से नवम्बर 2006 की अवधि के लिये 1.35 करोड़ रू. के बिल नही बनाये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट–VIII में है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किंये जाने पर, तीन सै स्वी क्षे ने 63 लाख रू. के बिल जारी किये (दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य)। अन्य तीन सै स्वी क्षे ने बताया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2005 के बीच) कि आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल द्वारा निगम कार्यालय से ई बिलो की वसूली के लिये कार्यवाही के लिये मामले पर पत्र व्यवहार हो रहा था।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सितम्बर 2005 के निगम कार्यालय के अनुदेशों ने निर्दिष्ट किया था कि आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल द्वारा ई –सेवा परियोजना के लिये अन्तःसम्बद्ध प्रभार वसूला जाना था। अगस्त 2006 तक 1.35 करोड़ रू. के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष अर्थात् 2006 की प्रतिवेदन संख्या 13 के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में इस प्रकार के प्रकरणों पर

° किलो बिट्स प्रति सैकण्ड

* सिंगल लीगल इनटिटी के विभिन्न स्थानों/कार्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क

♠ मेगा बिट्स प्रति सैकण्ड

एक टिप्पणी की गई थी। फिर भी इस बकाया राशि की वसूली बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.10 पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना

तीन दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 10 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र पोर्ट प्रभारों के बिल सही ढंग से और समय पर बनाने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रू. के पोर्ट प्रभारों के बिल कम बनाये गये।

भा सं नि लि ने लाइसेंस युक्त सभी सेवा सम्भरकों (इंटरनेट सेवा सम्भरक के सिवाय) द्वारा भुगतान योग्य नेटवर्क अन्तःसंयोजन के लिये पोर्ट° प्रभार पूर्वव्यापी 28 दिसम्बर 2001 संशोधित किये (मार्च 2002) चाहें वे नये हों अथवा विद्यमान हो संशोधित अनुदेशों के अनुसार, पोर्ट प्रभार पोर्ट की संख्या की स्लेब के आधार पर लगाना था उदाहणार्थ 1 से 16, 17 से 32, 129 से 256 पोर्ट तक। एक सेवा क्षेत्र में पोर्टो को लागू स्लेब के पोर्ट प्रभार ज्ञात करने बाबत् क्लब नही करना चाहिए क्योंकि दरें क्रमशः अंतःसंयोजन बिन्दुओं (अं बि) की गिनती पर थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी समय पर अतिरिक्त की गई पोर्ट की मांग को पूर्व कार्यरत पोर्टो से लागू पोर्ट प्रभार की स्लेब पर पहुंचने के लिए क्लब नही करना था।

आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडू दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत 10 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2004 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य) से पता चला कि पहले वर्ष के लिये, निजी सेवा सम्भरकों से प्रारम्भिक मांग पत्र के माध्यम से पोर्ट प्रभारों की वसूली के बाद, आठ सै स्वी क्षे ने पोर्ट प्रभारों के लिये बिल बाद में जारी नही किये थे परिणामस्वरूप नवम्बर 2001 से दिसम्बर 2006 की अवधि के लिये 92.62 लाख रू. के बिल नहीं बनाये गये थे। लेखापरीक्षा ने यह भी ध्यान दिया कि दो सै स्वी क्षे के सम्बंध में, अप्रैल 2005 से मार्च 2006 की अवधि के लिये 12.25 लाख रू. तक, पोर्ट प्रभार कम वसूले गये थे। बिल न बनाने और पोर्ट प्रभारों की कम वसूली से 1.05 करोड़ रू. की गैर वसूली हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट–IX में है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिल न बनाने/कम बिल बनाने के मुख्या कारण दूरसंचार राजस्व लेखांकन (दू रा ले) शाखा द्वारा समय पर पूर्ण संज्ञापन पत्र की गैर प्राप्ति, बिलिंग के विकेन्द्रीयकरण के समय में उपलब्ध पोर्ट के विवरण में सूचना की कमी तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रारम्भ करना था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत तीन सै स्वी क्षे ने (अक्तूबर 2005 तथा जनवरी 2006) बताया कि उन्होंने सारी राशि के बिल जारी कर दिये थे और 22.99 लाख रू. की राशि वसूल की गई थी। गुजरात दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत एक सै स्वी क्षे ने भी 10.50 लाख रू. की सारी राशि वसूल की थी (मार्च 2006) जबकि शेष दो सै स्वी क्षे ने वसूली के लिये बिल जारी किये थे (दिसम्बर 2004 तथा दिसम्बर 2005)। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत तीन सै स्वी क्षे ने भी सूचित किया (अगस्त–सितम्बर 2006) कि 20.50 लाख रू. की राशि वसूल की गई थी (मार्च व मई 2006 के मध्य)।

अगस्त 2006 तक शेष 50.88 लाख रू. के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

° पोर्ट एक संयोजन बिन्दु है जिसके माध्यम से डेटा प्राप्त किये जाते है और भेजे जाते है। भा सं नि लि द्वारा उगाहे गये पोर्ट प्रभार निजी आपरेटरों द्वारा उनके नेटवर्क में एसेस के लिये प्रविष्टी प्रभार है।

2.11 अंतःसंयोजन यूसेज प्रभारों के गैर संग्रहण के कारण राजस्व की हानि

चेन्नई दूरभाष जिला द्वारा तीन राष्ट्रीय लम्बी दूरी आपरेटर के अन्तः संयोजन यूसेज़ प्रभार के बिलों के मिलान में देरी के साथ–साथ कम बिल की राशि की वसूली के लिए बिल जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप 97.19 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

भा सं नि लि तथा निजी राष्ट्रीय लम्बी दूरी आपरेटर (रा ल दू आ) उदाहणार्थ विदेश संचार निगम लिमिटेड (वि सं नि लि), रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड (आर आई एल) और भारती टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (बी टी एल) के मध्य अंतःसम्बद्ध करार के साथ–साथ यह अनुबद्ध किया कि भा सं नि लि ने रा ल दू आ द्वारा मासिक आधार पर भुगतान योग्य प्रभारों को सूचित करना था। यदि बाद में बिल जारी करने वाले प्राधिकारी को पता चलता कि जारी किये गये बिलों में से कुछ प्रभार छोड़ दिये गये है, छोड़े गये प्रभार बिल जारी करने की तारीख से छः माह के भीतर शामिल करने थे, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां अतिरिक्त बिलिंग पूर्वव्यापी प्रभाव से टैरिफ दरों में परिवर्तन के कारण आवश्यक हो गये थे।

महाप्रबंधक (म प्र) नेटवर्क समन्वय, चेन्नई दूरभाष जिला (चे दू जि) के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2006) से पता चला कि अंतःसंयोजन यूसेज प्रभारों के लिये बिलिंग का समाधान करते समय, चे दू जि की समाधान दल ने रा ल दू आ उदाहरणार्थ वि सं नि लि, आर आई एल तथा बी टी एल के सम्बंध में अप्रैल से जून 2005 की अवधि के लिये कॉल की गलत रेटिंग (दर) का पता लगा (अप्रैल 2006) और उनसे 97.19 लाख रू. की वसूली की सिफारिश की। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि म प्र (दूरभाष राजस्व) चे दू जि के अनुमोदन के बावजूद (अप्रैल 2006) भी इन रा ल दू आ से कम बिल बनाये गये 97.19 लाख रू. वसूलने के लिये कोई अनुपूरक बिल जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 2005 की अवधि के लिये 97.19 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर उपमंडलीय अभियंता (नेटवर्क समन्वय) चे दू जि ने बताया (मई 2006) कि मुख्य रूप से अं यू प्र कॉल डेटा अभिलेख की बड़ी मात्रा के कारण उपर्युक्त अवधि के लिये बिल जारी करने की तारीख से लगभग एक वर्ष के बाद गलत बिलिंग का पता लगाने, अवसंरचना उपलब्ध कराने में तथा समाधान प्रक्रिया के लिये पर्याप्त स्टाफ में विलम्ब था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गलत बिलिंग का पता लगाने में केवल विलम्ब नहीं था बल्कि गलत बिलिंग का पता लगने के बाद भी बिल जारी नहीं किये गये थे।

इस प्रकार चे दू जि द्वारा रा ल दू आ के अंतःसंयोजन यूसेज़ प्रभारों के बिलिंग के समाधान में विलम्ब तथा कम बिल बनाई गई राशि की वसूली के लिये बिल जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप 97.19 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई। वसूली के अवसर नगण्य थे चूंकि अंतःसम्बद्ध करार के अनुसार बिल जारी करने की तारीख से छः माह के भीतर छोड़े गये प्रभारों के बिल बनाये जाने थे।

मामला अक्तूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.12 अवसंरचना भागीदारी के लिये तदर्थ वार्षिक आवर्ती प्रभार की गैर वसूली

तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल में तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र लाइसेंसधारी निजी आपरेटरों को अवसंरचना सुविधाओं की भागीदारी के लिये तदर्थ वार्षिक आवर्ती प्रभार उगाहने में विफल रहे, परिणामस्वरूप मार्च 2004 से मार्च 2007 की अवधि के लिये 78.01 लाख रू. की गैर वसूली हुई।

भा सं नि लि के निगम कार्यालय ने लाइसेंसधारी निजी आपरेटरों द्वारा सुविधाओं की वास्तविक भागीदारी के आधार पर नियमित अवसंरचना भागीदारी प्रभार के निर्धारण के लिये अनुदेश जारी किये (फरवरी 2001)। तथपि, मुख्य महाप्रबंधक तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल ने अपने सभी सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) को अनुदेश दिये (अगस्त 2004) कि अंतरिम उपाय के रूप में प्रति स्थल प्रति प्रणाली 10 लाख रू. में निजी दूरसंचार आपरेटरों को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिये तदर्थ वार्षिक आवर्ती प्रभारों को प्रभारित करे, इससे फरवरी 2001 के आदेश में अनुबद्ध अवसंरचना प्रभारों की गणना में निजी आपरेटरों द्वारा उठाये गये विवादों को अंतिम रूप देना लम्बित हुआ।

तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) उदाहरणार्थ धरमपुरी, इरोडं तथा नागारकोइल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अप्रैल 2005 तथा जून 2006 के मध्य) कि विभिन्न निजी आपरेटरों के सम्बंध में प्रणाली चालू किये जाने के बाद अवसंरचना भागीदारी प्रभारों को वसूल नही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2004 से मार्च 2007 की अवधि के लिये 78.01 लाख रू. के बिल नही बनाये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट–X में है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, धरमपुरी सै स्वी क्षे ने बताया (अगस्त 2005 तथा जून 2006) कि 10.46 लाख रू. की राशि वसूल की गई थी (जून 2005), जबकि शेष राशि के लिये बिल जारी किये गये थे। इरोडं सै स्वी क्षे ने बताया (नवम्बर 2005) कि निजी आपरेटरों से 4.33 लाख रू. की राशि पहले से वसूल की जा चुकी थी (दिसम्बर 2005 तथा फरवरी 2006), जबकि नागरकोइल सै स्वी क्षे ने बताया (मई 2006) कि वसूली के लिये बिल जारी कर दिये गये थे। जुलाई 2006 तक बाकी 63.22 लाख रू. की वसूली विवरण प्रतिक्षित था।

मामला अक्तूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.13 निजी आपरेटरों के सम्बंध में पोर्ट प्रभारो के कम बिल बनाना

तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के सात सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र ने एक माह की संस्वीकृति के बजाय चालू किये जाने की तारीख से पोर्ट प्रभारों के बिल बनाये परिणामस्वरूप 60.54 लाख रू. के कम बिल बनाये गये।

भा सं नि लि के नेटवर्क में प्रवेश (पहुँच) प्राप्त करने के उद्देश्य से, निजी आपरेटरों को कम्पनी के साथ अन्तःसम्बद्ध करार करना पड़ता है, जबकि अन्य बातों के साथ–साथ पोर्ट* प्रभारों का संग्रहण भी जैसा कि समय–समय पर भा सं नि लि द्वारा निर्धारित है लेना थे। निजी आपरेटरों से उगाहे जाने वाले तथा संगृहीत किये जाने वाले प्रभारों को महत्व देने के उद्देश्य से, मुख्य

* पोर्ट संयोजन का एक बिन्दु है जिसके माध्यम से डेटा प्राप्त किये जाते हैं और भेजे जाते हैं। पोर्ट प्रभार भा सं नि लि द्वारा उगाहे गये प्रविष्टी प्रभार हैं जोकि निजी आपरेटरों द्वारा नेटवर्क में प्रवेश के लिये हैं।

महाप्रबंधक दूरसंचार (मु म प्र दू), तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों को जनवरी 2003 से पोर्ट प्रभारों के बिल बनाने के प्रयोजन के लिये अनुदेश जारी किये (दिसम्बर 2003) पोर्ट उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान चालू किये जाने की वास्तविक तारीख अथवा एक माह की पोर्ट की संस्वीकृति से, जो भी पहले हो, होगा।

तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत कुन्नूर, धरमपुरी, करायकुडी, कुम्बाकोनम, नागरकोइल, तन्जावौर और टूटीकोरन सै स्वी क्षे के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अप्रैल तथा दिसम्बर 2005 के मध्य) कि मु म प्र दू के अनुदेशों के विपरीत, इन सै स्वी क्षे ने चालू किये जाने की तारीख से पोर्ट प्रभारों के बिल बनाये थे, यद्यपि इन पोर्ट प्रभारों की संस्वीकृति की तारीख से एक महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप 60.54 लाख रू. के पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर सभी छः सै स्वी क्षे ने अनुपूरक बिल जारी किये (जून तथा दिसम्बर 2005 के मध्य)। कुन्नूर सै स्वी क्षे ने बताया (जनवरी 2004) कि अनुपूरक बिल तथ्यों के सत्यापन के बाद जारी किये जायेंगे। इस प्रकार, मु म प्र दू तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के अनुदेशों को पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस परिमंडल के सात सै स्वी क्षे में 60.54 लाख रू. के कम बिल बनाये गये। फरवरी 2006 तक केवल 1.32 लाख रू. वसूल किये गये थें। अगस्त 2006 तक 59.22 लाख रू. की शेष राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.14 अन्तःसम्बद्ध यूसेज़ प्रभारों के कम बिल बनाना

केरल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत कोल्लाम सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड के अन्तःपरिमंडल भ्रमणकारियो से कॉल टर्मिनेट करने के लिये अन्तःसम्बद्ध यूसेज प्रभार का सही टैरिफ वसूलने में विफल रहा परिणामस्वरूप 55.10 लाख रू. के कम बिल बनाये गये।

भा सं नि लि ने परिमंडलों के सभी अध्यक्षों को अनुदेश दिये (27 फरवरी 2004) कि रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड (आर आई एल) के 'अन्तःपरिमडलभ्रमणकारी' अभिदाता[♠] से समाप्त कॉल ट्रंक ग्रुप 'डी ए'[♣], में स्वीकार की जानी चाहिये, बजाय ट्रंक ग्रुप 'ए ई'। यह भी अनुदेश दिया गया था कि आर आई एल से ट्रंक ग्रुप 'ए ई' में किसी यातायात को तब तक स्वीकार किये जाने की आवश्यकता नहीं थी जब तक एकीकृत प्रवेश सेवा लाइसेंस करार की नई नम्बरिंग प्रणाली के अन्तर्गत स्तर '93' के लिये आर आई एल का स्थानान्तरण पूरा नहीं हो जाता और बकाया 1 फरवरी 2004 से संगृहीत किये जाने थे। 6 फरवरी 2004 के पूर्ववर्ती आदेश में, ट्रंक ग्रुप 'डी ए' को सौपी गई सभी प्रकार की कॉल के लिये अन्तसम्बद्ध यूसेज प्रभार 1.10 रू. प्रति मिनट पर तय किया गया था।

केरल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत कोल्लाम सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2006) से पता चला कि फरवरी और अक्तूबर 2004 के मध्य अन्तःसंयोजन के तीन बिन्दुओं उदाहरणार्थ करूणागाप्पाली, कोल्लाम पुनालूर में ट्रंक ग्रुप 'डी ए' में प्राप्त कॉल के बिल 1.10 रू. प्रति मिनट के बजाय 0.80 रू. प्रति मिनट की दर पर बनाये गये थे। इसके

♠ अन्तःपरिमंडल भ्रमणकारी अभिदाताः विशेष परिमंडल की सीमाओं के भीतर अन्य परिमंडलों के भ्रमणकारी अभिदाता।

♣ ट्रंक ग्रुप 'डी ए': आर आई एल (मोबाइल) तथा भा सं नि लि (स्थिर तथा मोबाइल) के मध्य ट्रंक कॉल के मार्ग से सम्बन्धित ग्रुप

परिणामस्वरूप फरवरी से अक्तूबर 2004 की अवधि के लिये 55.10 लाख रू. के अन्तः यू प्र के कम बिल बनाये गये थे।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी (दूरभाष राजस्व–मूल्य वर्धित सेवायें) कोल्लाम सै स्वी क्षे ने तथ्य स्वीकार किये और बताया (अप्रैल 2006) कि वसूली के लिये 55.10 लाख रू. के बिल जारी किये गये थे (अप्रैल 2006)। मई 2006 तक वसूली विवरण प्रतिक्षित था।

मामला अक्तूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

(ग) परिपथ

2.15 पट्टे पर दिये गये परिपथों के किराये के बिल न बनाना

छत्तीसगढ़, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमंडल पट्टे पर दिये गये परिपथों के लिये बिल की मांग करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2.43 करोड़ रू. के बिल नही बनाये गये।

संहिता प्रावधानों के अनुसार अभियांत्रिकी प्राधिकारियों द्वारा पहले वर्ष के लिये प्रारम्भिक किराये की वसूली मांग पत्र के माध्यम से करनी थी, जबकि बाद वाले वर्षों के लिये, दूरसंचार राजस्व लेखांकन (दू रा ले) शाखा द्वारा बिलों के माध्यम से किराये का दावा करना था। इस सम्बंध में, कम्पनी के निगम कार्यालय ने अनुदेश दिये (नवम्बर 2002) कि पट्टे पर दिये गये परिपथों के लिये बिल बनाने में, पहले वर्ष का किराया प्रतिष्ठापन/प्रावधान की तारीख से 12 महीनों के लिये अग्रिम में वसूल किया जाना चाहिये और दूसरे वर्ष के लिये किराया प्रतिष्ठापन की पहली जयन्ती तारीख से परम्परागत बिलिंग माह तक प्रभारित होना चाहिये। तीसरे वर्ष के लिये भी यह सूचित किया गया था कि वार्षिक किराया परम्परागत बिलिंग चक्र के अनुसार वसूलना चाहिए।

छत्तीसगढ़, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा उत्तरांचल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत 10 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अप्रैल 2004 तथा फरवरी 2006 के बीच अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि प्रारम्भिक वर्षो के लिये अग्रिम किरायों के बिल विभिन्न अभिदाताओंको पट्टे पर दिये गये परिपथों के सम्बंध में जारी किये गये थे और वसूल किये गये थे, सै स्वी क्षे की दू रां ले शाखा द्वारा फरवरी 1980 तथा फरवरी 2007 के मध्य विविध अवधि के लिये बाद के वर्षों से सम्बन्धित किरायों के बिल की मांग नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सै स्वी क्षे में परिपथों के बिल न बनाया जाने का कारण दू रा ले तथा वाणिज्यिक शाखाओं के मध्य समन्वय की कमी थी। इन 10 सै स्वी क्षे में कुल 2.43 करोड़ रू. के बिल नहीं बनाये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट–XI में है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, उनके प्रकरणों के सम्बंध में सभी सै स्वी क्षे ने बिल जारी किये थे जबकि रायपुर सै स्वी क्षे के लेखा अधिकारी (दूरसंचार राजस्व) (दिसम्बर 2005) तथा उपमहाप्रबंधक (यंत्र तथा संयत्र) मुरादाबाद सै स्वी क्षे ने बताया (मार्च 2006) कि सम्बन्धित सै स्वी क्षे से सत्यापन के बाद बिल जारी किये जायेंगे। भीलवाड़ा, जयपुर व नानदेड़ सै स्वी क्षे ने अभी तक 92.89 लाख रू. की कुल राशि वसूल की थी (अक्तूबर 2005–अप्रैल 2006)।जून 2006 तक 1.50 करोड़ रू. की शेष वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.16 उपयोग किये गये संसाधनों के अनुसार किराये के कम बिल बनाना

आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत हैदराबाद तथा गुड़गांव सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र उपयोग किये गये संसाधनों के अनुसार कम दूरी प्रभार क्षेत्र के भीतर पट्टे पर दिये गये स्थानीय परिपथों के लिये किराया प्रभार करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये।

दूरसंचार विभाग (दू वि) ने आदेश जारी किये (फरवरी 2000) कि कम दूरी प्रभार क्षेत्र (क दू प्र क्षे) के भीतर पट्टे पर दिये गये परिपथों को स्थानीय परिपथ (मुख्य परिपथ) समझा जायेगा और प्रभार्य दूरी उपभोक्ताओं के परिसर ('क' छोर पर) से उपभोक्ताओं के परिसर ('ख' छोर पर) तक सारी दूरी होगी। बाद में, भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2002) कि इस प्रकार के परिपथों पर किराये परिपथ देने हेतु उपयोग किये गये तार के युग्मों की संख्या के अनुसार होगे अर्थात् दो तार प्रभार, यदि एकल युग्त का उपयोग किया गया हो और चार तार प्रभार दो युग्मों का उपयोग किया गया है।

आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा दूरसंचार परिमंडलों के अंतर्गत हैदराबाद तथा गुड़गांव सै स्वी क्षे के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2005 तथा फरवरी 2006) से पता चला कि क दू प्र क्षे के भीतर विभिन्न अभिदाताओं को दिसम्बर 2002 तथा नवम्बर 2004 के बीच चार तारों पर उपलब्ध पट्टे पर दिये गये स्थानीय परिपथों के लिये किराये के बिल चार तार प्रभारों के बजाये दो तार प्रभार पर बनाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2002 से मार्च 2006 की अवधि के लिये 1.28 करोड़ रू. के कम बिल बनाये गये थे।

उत्तर में, हैदराबाद सै स्वी क्षे ने बताया (दिसम्बर 2005) कि चूंकि सै स्वी क्षे अभिदाताओं की मांग पर 2 एम बी पी एस* नहीं दे सका था और अभिदाताओं ने अपने 2 एम बी पी एस परिपथ खरीदे थे, उन्होनें दो तार प्रभारों पर बिल बनाये थे। गुड़गांव सै स्वी क्षे ने बताया (मई 2006) भा सं नि लि के निगम कार्यालय के परिपत्र 3 अप्रैल 2002 में निहित अनुदेशों के अनुसार किराया एकल दर पर प्रभारित किया जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम कार्यालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2002 में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि क दू प्र क्षे के भीतर पट्टे पर दिये गये परिपथों पर हेतु प्रयुक्त संसाधनों के अनुसार बिल जारी किये जायेंगे। निगम कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया (29 नवम्बर 2002) कि यह उपभोक्ताओं की पसन्द थी कि वे या तो दो तारो या चार तारों के माडमों का प्रयोग करें। चूंकि इन मामलों में उपभोक्ताओं ने चार तार परिपथों का प्रयोग किया था, बिल चार तार प्रभार के अनुसार जारी किये जाने चाहिये थे।

जून 2006 तक वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला अक्तूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)

---

* मेगाबिट प्रति सैकण्ड

2.17 पट्टे पर दिये गये परिपथ देरी से उपलब्ध कराने के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि

बिहार व कर्नाटक दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र व कलकत्ता दूरभाष जिला अनुबद्ध समय के भीतर पट्टे पर दिये गये परिपथ उपलब्ध कराने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने पट्टे पर दिये गये परिपथों के समय पर प्रावधान के सम्बंध में अनुदेश जारी किये (मार्च 2001), जिसके अनुसार अंतिम संज्ञापन पत्रों की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर इन्हें उपलब्ध कराया जाना था।

बिहार तथा कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत तीन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) तथा कलकत्ता दूरभाष जिले के अन्तर्गत महाप्रबंधक (प्रचालन व कारोबार विकास) के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2005 से मार्च 2006) से पता चला कि वे अनुबद्ध समय के भीतर विभिन्न अभिदाताओं को पट्टे पर दिये गये परिपथ उपलब्ध कराने में विफल रहे। विलम्ब 1287 दिनों तक का था, जिसमें से 53% मामलों में परिपथ उपलब्ध कराने में 200 दिनों से अधिक की देरी हुई लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ दिनों से साढ़े तीन वर्षो का विलम्ब हेतु मुख्य कारण परिपथो मॉडेम, लोकल लीड की गैर उपलब्धता तथा विभिन्न विंग के साथ समन्वय करने में लिये गये समय के कारण भी था। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2002 से फरवरी 2006 की अवधि के लिये 1.04 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट XII में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर उपमंडलीय अभियंता (वाणिज्यिक), हाजीपुर तथा समस्तीपुर सै स्वी क्षे और मुख्य लेखा अधिकारी (एफ ए), हुबली सै स्वी क्षे ने तथ्य स्वीकार किये (दिसम्बर 2005, मार्च 2006 तथा अप्रैल 2006)। तथापि, कलकत्ता दूरभाष जिले से उत्तर प्रतीक्षित था।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)

2.18 पट्टे पर दिये गये परिपथों के संयोजन काटे जाने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

चेन्नई दूरभाष जिला तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत आसनसोल सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र दो निजी फर्मों के पट्टे पर दिये गये परिपथ समय पर काटने में और देय किराया वसूलने में विफल रहे परिणामस्वरूप 92.54 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, बिल जारी करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर दूरभाष बिल भुगतान योग्य हो जाते है, ऐसा न होने पर बिल जारी करने की तारीख से 35 वे दिन दूरभाष के संयोजन काटे जाने होते है। भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने बकाया बिलों के गैर भुगतान के लिये समय पर दूरभाष संयोजन काटे जाने के लिये समय–समय पर अनुदेश जारी किये।

चेन्नई दूरभाष जिला तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत आसनसोल सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी–मार्च 2006) से पता चला कि वे किराये के गैर भुगतान के लिये दो निजी फर्मों की पट्टे पर दी गई लाइनों को समय पर काटने में विफल रहे, परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है।

प्रकरण–I

उपमहाप्रबन्धक (लम्बी दूरी), चेन्नई दूरभाष जिला ने एक निजी फर्म पैट्रियर आटोमैशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, चेन्नई को ई आई आर दो लिंक° के साथ पट्टे पर दी गई विभिन्न लाइनों* की व्यवस्था की (जनवरी 2000 तथा अक्तूबर 2006 के मध्य) और 60.55 लाख रू. के किराये के बिल जारी किये (मई 2001 तथा जुलाई 2002 के मध्य), जिसका भुगतान फर्म ने नहीं किया था। तथापि, इस प्रकार के गैर भुगतान के लिये, चेन्नई दूरभाष जिला बिल जारी करने की तारीख से अनुबद्ध 35 दिनों के भीतर पट्टे पर दी गई लाइनों का संयोजन काटने में विफल रहे और संयोजन काटे जाने की देय तिथि से 546 दिनों का विलम्ब हुआ और 64% मामलों में 250 दिनों का विलम्ब, जैसा कि परिशिष्ट–XIII में वर्णित है, परिणामस्वरूप 60.55 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (दूरभाष राजस्व–लम्बी दूरी), चेन्नई दूरभाष जिला ने बताया (मार्च 2006) कि भुगतान न होने के कारण संयोजन नहीं काटे जा सकते थे, क्योंकि फर्म एक इंटरनेट सेवा सम्भरक थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संयोजन काटे जाने के सम्बंध में, नियम इंटरनेट सेवा सम्भरकों के लिये भी लागू होतें थे, तथा परिपथ वास्तव में भा सं नि लि द्वारा विलम्ब के बाद काटे गये।

प्रकरण–II

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत आसनसोल सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) ने एक निजी फर्म डेस्कॉन लिमिटेड, कोलकाता को चार ई1 आर 2 लिंक के साथ (अगस्त 2002) पट्टे लाइनें उपलब्ध कराई। सै स्वी क्षे ने फर्म को पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी लाइनों के लिये किराये के बिल जारी किये (अगस्त 2003 से दिसम्बर 2005), लेकिन फर्म ने किसी बिल का भुगतान नहीं किया। बिल जारी करने की तारीख से 35 दिन के भीतर गैर भुगतान के लिये पट्टे पर दी गई लाइनों का संयोजन काटे जाने के बजाय, सै स्वी क्षे ने फरवरी 2006 तक सुविधायें जारी रखी, जब पट्टे पर दी गई लाइनों का संयोजन काटा गया। संयोजन काटे जाने की देय तारीख से विलम्ब 881 दिन थी और 67% मामलों में विलम्ब 300 दिनों से अधिक था। परिणामस्वरूप 31.99 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट–XIII में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, लेखा अधिकारी (रोकड़), आसनसोल सै स्वी क्षे ने तथ्य स्वीकार किये (फरवरी 2006) तथा परिपथों के संयोजन काटे जाने की पुष्टि की।

इस प्रकार चेन्नई दूरभाष जिला तथा आसनसोल सै स्वी क्षे परिपथों के संयोजन समय पर काटने तथा देय किराया वसूलने में विफलता के परिणामस्वरूप 92.54 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.19 रेलवे को पट्टे पर दी गई लाइनों तथा तारों के किराये के बिल न बनाना

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत पांच सैकेण्ड्री क्षेत्र रेलवे को पट्टे पर दी गई लाइनों व तारों के सम्बंध में किरायों के लिये बिल जारी करने में विफल रहे परिणामस्वरूप अप्रैल 2002 से मार्च 2006 की अवधि के लिये 42.50 लाख रू. के कम बिल बनाये गये।

संहिता प्रावधानों के अनुसार रेलवे को उसकी प्रशासनिक अथवा क्रियात्मक जरूरत के लिये किराये की विभिन्न दरें जो भा सं नि लि द्वारा समय–समय पर जारी की जाती हैं टेलीफ़ोन, टेलीग्राफी आदि की कितनी ही लाइने व तारों को दिया जा सकता है।

° पट्टे पर दी गई लाइने समर्पित अथवा सारे निजी नेटवर्क में दो स्थिर बिन्दुओं के मध्य स्थायी दूरभाष संयोजन है।

* ई–मेल लाइसेंसधारियों के लिये ई 1 आर 2 लिंक उपलब्ध कराया गया एक परिपथ है और निकटवर्ती दूरभाष एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए रिमोट एसेस सर्वर है।

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार (मु म प्र दू) पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल कोलकाता कार्यालय के निगम लेखा खंड 31 मार्च 2002 तक रेलवे प्राधिकारियों को पट्टे पर दी गई लाइनें व तारों के सम्बंध में बिलिंग प्राधिकारी था। बाद में परिमण्डल कार्यालय ने पट्टे पर दी गई लाइनों व तारों के लिये सैकण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) को बिल जारी करने वाले प्राधिकाारियों के रूप में पदनामित करने का निर्णय किया (फरवरी 2003)। मु म प्र पश्चिम बंगाल परिमंडल ने सम्बंधित सै स्वी क्षे के महाप्रबन्धकों को रेलवे के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के लिये निर्देश दिये गये थे ताकि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार में रेलवे द्वारा उपयोग में लाये गये तार व लाइन की पहचान हो सके। उन्हें ये भी अनुदेश दिये गये थे (मई व जून 2003) कि 1 अप्रैल 2002 से लम्बित सभी बिलों को पूर्वी व उत्तरपूर्वी रेलवे को जारी किया जाये जो कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान चिन्हित की गई पट्टे पर दी गई लाइन व तारों की लम्बाई के आधार पर हो।

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत पांच सै स्वी क्षे के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2005 व जनवरी 2006 के मध्य) जो कि बिल जारी करने वाले प्राधिकारियों के रूप में पदनामित की गई थी, से पता चला कि पांच सै स्वी क्षे में से किसी ने भी अर्द्धवार्षिक बिल नही बनाये जो कि रेलवे को पट्टे पर दी गई लाइन व तारों के सम्बंध में अप्रैल 2002 से मार्च 2006 की अवधि के लिये थे, परिणामस्वरूप 42.50 लाख रू. के बिल नही बनाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, चार सै स्वी क्षे ने बिल जारी किये, जबकि रायगुंज सै स्वी क्षे ने बताया (जनवरी 2006) कि इसने परिमंडल कार्यालय से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं किया था। जुलाई 2006 तक 42.50 लाख रू. की राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

(घ) अन्य

2.20 भूमिगत केबिलों में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता

उड़ीसा, झारखंड तथा कर्नाटक के अन्तर्गत आठ दूरसंचार जिले भूमिगत केबिलों में नुकसान के लिये दावा पेश करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 5.44 करोड़ रू. की क्षतिपूर्ति की गैर वसूली हुई।

नियमों में व्यवस्था है कि जब कम्पनी की सम्पत्ति को बाह्य एजेन्सी नुकसान पहुँचाती है, तो क्षतिपूर्ति का दावा किया जाना चाहिये।

उड़ीसा दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत छः दूरसंचार जिले तथा झारखंड व कर्नाटक के अन्तर्गत एक एक जिले के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2004 से जुलाई 2006) से पता चला कि खुदाई कार्य करवाते समय राज्य सरकार के प्राधिकारी, नगरपालिका एजेन्सी तथा निजी आपरेटरों ने जनवरी 2004 तथा मार्च 2006 के मध्य कम्पनी की भूमिगत केबिलों को 506 अवसरों पर नुकसान पहुंचाया था। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि दूरसंचार जिलों के म प्र सम्बन्धित पार्टियों से क्षतिपूर्ति दावा पेश करने में विफल रहे परिणामस्वरूप 5.70 करोड़ रू. के दावों की गैर वसूली हुई जैसा कि परिशिष्ट XIV में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, उड़ीसा परिमंडल के अन्तर्गत दूरसंचार जिलों ने बताया कि क्षतिपूर्ति प्रभारों की वसूली के लिये राज्य सरकार के प्राधिकारियों तथा निजी पार्टियों के साथ मामला सतत रखा जा रहा था। उपमहाप्रबंधक (आयोजन) मंगलोर ने बताया (अप्रैल 2006) कि मार्च 2006 में विस्तृत प्रतिवेदन परिमंडल कार्यालय को भेजा गया था और भुगतान करने के लिये

दावों की एक समेकित सूची भी स्थानीय प्राधिकारियों को भेजी गई थी। उपमंडलीय अभियंता (आयोजना I) म प्र दू जि रांची ने तथ्य स्वीकार किये और बताया (अप्रैल 2006) कि क्षतिपूर्ति दावों में प्रक्रिया करने के लिये प्रक्रियात्मक विलम्ब व सम्बन्धित आदेशों की गैर उपलब्धता के कारण दावे समय पर दर्ज नहीं किये जा सके थे। उसने यह भी बताया कि इसके बाद लेखापरीक्षा द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किया गया था; और क्षतिपूर्ति दावों के लिये मांग पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया की गई थी। उसने यह भी बताया था कि 1.83 करोड़ रू. के क्षतिपूर्ति दावों में से, 25.80 लाख रू. एक प्रकरण में वसूल किये गये थे (मार्च 2006) और शेष प्रकरण प्रबल रूप से अनुसरित किये जा रहे थे।

इस प्रकार क्षतिपूर्ति दावा करने में म प्र दू जि विफल रहे परिणामस्वरूप एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद सम्बन्धित पार्टी से 5.44 करोड रू. की गैर वसूली हुई।

मामला मई 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

2.21 लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कम बिल बनाने/बिल न बनाने के कारण अभिदाताओं से 7.02 करोड़ रू. के बकाया में से भारत संचार निगम लिमिटेड ने 6.98 करोड़ रू. वसूल किये।

भा सं नि लि के आठ दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत चेन्नई दूरभाष जिला तथा 19 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मई 2003 तथा फरवरी 2006 के मध्य) कि मार्च 1997 से जून 2006 की अवधि के दौरान 7.02 करोड़ रू. की राशि के बिल नहीं बनाये गये थे और/अथवा कम बिल बनाये गये थे जो कि मुख्यतः पुरानी/निम्नतर टैरिफ लागू करने, टैरिफ के गलत लागू होने, किराये के गलत निर्धारण, संशोधित टैरिफ आदेश के गैर क्रियान्वयन एवं अवसंरचना भागीदारी प्रभारों के गैर लागू होने तथा वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के कारण था, जैसा कि परिशिष्ट–XV में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर चेन्नई दूरभाष जिला व सै स्वी क्षे ने 7.02 करोड़ रू. के बिल जारी किये तथा 6.98 करोड़ रू. वसूल किये। अगस्त 2006 तक 3.24 लाख रू. की शेष वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। दिसंबर 2006 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय–III
लेनदेन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष–व्यय

(क) अति भुगतान

3.1 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ पर किराए का अति भुगतान

मुख्य महाप्रबंधक, चैन्नई दूरभाष ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड व भारती इन्फोटेल को उच्च दरों पर किराए का भुगतान किया इसके कारण 2.53 करोड़ रू. के किराए का अति भुगतान हुआ।

मुख्य महा प्रबंधक (मु म प्र), चैन्नई दूरभाष ने 2005–06 के दौरान विदेश संचार निगम लिमिटेड (वि सं नि लि) व भारती इन्फोटेल लिमिटेड (बी आई एल) से अंतर्राष्ट्रीय इन्टरनेट बैंडविड्थ एस टी एम*-1 किराए पर लिया।

उप महाप्रबंधक (ब्रांडबैंड), चैन्नई दूरभाष के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2006) से पता चला कि यद्यपि भा दू वि प्रा° ने 29 नवम्बर 2005 से एस टी एम–1 बैंडविड्थ के लिए पट्टा किराए की सीमा 2.99 करोड़ रू. प्रति वर्ष निर्धारित की थी, परन्तु चेन्नई दूरभाष ने किराया 3.46 करोड़ रू. से लेकर 7.90 करोड़ रू. तक की उच्च दरों पर देना जारी रखा। इस कारण नवम्बर 2005 से मार्च 2006 की अवधि के लिए वि सं नि लि से किराए पर लिए गए दो एस टी एम–1 बैंडविड्थ तथा भा इ लि से किराए पर लिए गए एक एस टी एम–1 बैंडविड्थ के लिए 2.53 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाने पर, मुख्य महाप्रबंधक, चैन्नई दूरभाष ने उत्तर दिया (अगस्त 2006) कि भा दू वि प्रा की अधिसूचना अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा लाइन परिपथों (अ नि प प) के अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए थी, न कि इ प्रॉ♦ पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए। उन्होंने आगे बताया कि भा दू वि प्रा की वेबसाइट पर इ प्रॉ पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंड्विड्थ के संबंध में कोई अनुदेश उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर में सही स्थिति प्रदर्शित नहीं की गयी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ सेवा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सू प्रौ– सक्षम सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी व अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालकों के लिए अ नि प प के द्वारा प्रदान की जाती है। अतः अ नि प प के द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर भा दू वि प्रा का शुल्क आदेश इ प्रॉ पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ के संबंध में भी लागू था। इसके अतिरिक्त, भा सं नि लि ने दिसम्बर 2005 व जनवरी 2006 में क्रमशः वि सं नि लि और भा दू लि से 2.99 करोड़ रू. प्रति वर्ष के किराए पर अर्थात् भा दू वि प्रा द्वारा अ नि प प के लिए नवंबर 2005 से निर्धारित सीमा पर समान एस टी एम–1 इ प्रॉ पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ अनुगामी रूप से किराए पर लिए थे।

मामला नवम्बर 2006 में मन्त्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

---

* सिन्क्रॉनाइज्ड टाइम मॉड्यूल

° भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

♦ इनटरनेट प्रॉटोकॉल

3.2 विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अधीन ग्यारह सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों ने उच्चतर दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान किया, परिणामस्वरूप 2005–06 के दौरान 1.62 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

राजस्थान बिजली विनियामक आयोग ने विद्युत वितरण निगम (वि वि नि) अर्थात् जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्देश दिये (दिसम्बर 2004) कि दूरभाष एक्सचेंज, जिसमें राजस्थान दूरसंचार परिमंडल से सम्बद्ध कार्यालय सम्मिलित हैं, को जनवरी 2005 से विद्युत टैरिफ की मांग के लिए संयुक्त लोड संवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इन आदेशों के अनुसार भा सं नि लि को जनवरी 2005 से एक्सचेंज व सम्बद्ध कार्यालयों के लिये गैर घरेलू दर 4.90 रू. प्रति यूनिट के स्थान पर संयुक्त लोड संवर्ग के अंतर्गत 3.75 रू. प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। तदनुसार उपमहाप्रबंधक (उ म प्र) प्रचालन, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने (फरवरी 2005) अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों के सभी अध्यक्षों को दूरभाष एक्सचेंजों व सम्बद्ध कार्यालयों के संयुक्त लोड वर्गीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया।

राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में 11 सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर 2005–जनवरी 2006) से पता चला कि सै स्वी क्षे ने संयुक्त लोड वर्ग के अन्तर्गत निम्नतर नई दर के स्थान पर पुरानी दर पर बिजली दर का भुगतान जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2005 से फरवरी 2006 की अवधि के दौरान 1.62 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट–XVI में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दर्शाने पर उ म प्र (वित्त व लेखा) राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2006) कि वि वि नि द्वारा टैरिफ में वास्तविक परिवर्तन के देर से क्रियान्वयन होने के कारण अधिक भुगतान हुआ था। उसने यह भी बताया कि अधिक भुगतान को समायोजित करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से उठाया गया है और दिसम्बर 2006 तक पूरा किया जायेगा। तथापि, मई 2006 तक वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला नवम्बर–2006 में मन्त्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर–2006)।

(ख) निष्फल/फलहीन व्यय/निष्क्रिय निवेश

3.3 अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण भण्डार का निष्क्रिय होना

कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल व कलकत्ता दूरसंचार–जिला भंडारों में तकनीकी परिवर्तन व उपभोग के क्रम को अधिप्राप्ति से पहले विचारगत करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप 74.82 करोड़ रू. के भण्डारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति व तदुपरान्त निष्क्रियता।

जून 2001 में कम्पनी द्वारा मदों की अधिप्राप्ति के लिए जारी दिशा निर्देशों से यह उल्लिखित है कि दूरसंचार परिमण्डलों को उनके द्वारा आदेशित सामग्री का उचित व शीघ्र प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए व यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति की अनावश्यक वृद्धि न हो, उनको अधिप्राप्ति में पूरा अनुशासन रखना चाहिए। इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है दूरसंचार भण्डारों की आवश्यकता का आकलन करते समय उपलब्ध सम्पत्ति, निकट में की जाने वाली आपूर्ति व उपभोग के पिछले क्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

केरल, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल के दूरसंचार परिमण्डलों की जनवरी 2005 व जून 2006 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि परिमण्डल बदलती हुई तकनीकों जैसे कि मोबाइल कम्यूनिकेशन के लिए ग्लोबल सिस्टम (जी एस एम), वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल एल एल) और खम्भाविहीन केवल नेटवर्क की तरफ बदलाव को दूरसंचार भण्डारों की अधिप्राप्ति से पहले विचार करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त परिमण्डल अपनी अधिप्राप्ति में उचित अनुशासन बनाए रखने में असफल रहा व अधिप्राप्ति से पहले पिछले उपभोग को विचारगत नहीं किया, जिसके फलस्वरूप भण्डार निष्क्रिय पड़े रहे, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल

परिमण्डल ने 3.28 करोड़ रू0 की लागत वाली फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (एफ डी एम एस) की अधिप्राप्ति के लिए क्रय आदेश (मई 2002) दिया। एफ डी एम एस में एफ डी एम एस एक्सचेंज रैक्स व एफ डी एम एस नोड सम्मिलित हैं जो कि टैलीफोन एक्सचेंज व वाह्य केबल नेटवर्क में बड़ी संख्या में आप्टिकल फाइवर केबिल नेटवर्क के प्रबन्धन में काम आती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2002 से जनवरी 2003 के दौरान प्राप्त 20 एफ डी एम एस एक्सचेंज रैक्स व 200 एम डी एम एस नोडस में से केवल सात एफ डी एम एस एक्सचेंज रैक्स व 57 एफ डी एम एस नोडस मार्च 2006 तक प्रयोग में लाये जा सके तथा शेष आप्टिकल फाइबर केबिल बिछी न होने के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरूप 1.54 करोड़ रू. के 13 एफ डी एम एस व 143 नोडस तीन वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दर्शाने पर उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबंधन) कर्नाटक परिमण्डल ने (मई 2005) बताया कि आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों द्वारा सड़क खोदने की अनुमति न दिये जाने के कारण एफ डी एम एस एक्सचेंज रैक्स व एफ डी एम एस नोडस प्रयुक्त नहीं किये जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी के नियमों में प्रावधान है कि एफ डी एम एस उपकरणों के स्थापना से 3 माह पहले केबिल का कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। आगे परिमण्डल ने अन्य जरूरतमंद परिमंडलों को एफ डी एम एस का अपवर्तन नहीं किया।

इस प्रकार परिमण्डल की अनुचित योजना के कारण जुलाई 2002 से जनवरी 2003 तक अधिप्राप्त एफ डी एम एस उपकरण आज तक प्रयुक्त नहीं किये जा सके (अगस्त 2006) फलस्वरूप 1.54 करोड़ की निधि अवरूद्ध पड़ी रही।

केरल दूरसंचार परिमण्डल

इस परिमण्डल के छः सेकेण्डरी स्वीचिंग क्षेत्रों (एस एस ए) इसाकुल्लम, कोल्लम, कोट्टायाम, पलाकड़, तिरूवला व तिरूवन्नतपुरम् एवम् परिमण्डल भण्डार डिपो ने मॉड्यूलर कनैक्ट्स, लीड स्लीवस, सैल्फ सपोर्टिंग मास्टस्, सॉकेट बी, ए–8, ए4 ट्यूबें, पैच पैनल एन्टेना की अधिप्राप्ति की, जो अधिकतर भूमिगत दूरभाष संयोजन उपलब्ध करवाने के लिए जमीन के उपर टेलीफोन केबल संरेखण व भूमिगत केबल नेटवर्क में प्रयुक्त होती है। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि परिमण्डल के पास इन मदों का पर्याप्त भंडार था, इसके बावजूद भी मु म प्र इ केरल परिमण्डल ने 2001–2003 के दौरान इन मदों की अधिप्राप्ति की। लेखापरीक्षा को आगे और संज्ञान में आया कि इन मदों के रखने के लिए कोई न्यूनतम व उच्चतर सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फलस्वरूप भंडारो के अधिप्राप्ति के तीन से चार वर्षों के पश्चात भी प्रयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त तकनीकी परिवर्तनों के कारण भण्डारों के उपयोग की सम्भावना कम हो गई है जैसे कि उपरगामी संरेखण से बिना खम्भे के केबल नेटवर्क व लैंडलाइन दूरभाष संयोजन से बेतार तकनीकी जैसे मोबाइल कम्यूनिकेशन के लिए ग्लोबल सिस्टम आदि से भण्डारों की उपयोगिता कम हो गई।

इसको इंगित किये जाने पर एस एस ए ने बताया (मई 2006) कि ये धीरे–धीरे प्रयुक्त होने वाली मदें थी और प्रयुक्त नहीं की जा सकी। सहायक महाप्रबन्धक (एम एम) तिरूवंतपुरम एस एस ए ने स्वीकार किया कि भण्डारों के अधिग्रहण के लिए कोई न्यूनतम या उच्चतम सीमा तय नही की गई थी।

इस प्रकार परिमण्डल की अधिप्राप्ति से पहले भण्डार की स्थिति व तकनीकी परिवर्तनों को ध्यानगत न करने के कारण 3.79 करोड़ रू. के भण्डार निष्क्रिय पड़े रहे जैसा कि परिशिष्ट XVII में वर्णित है।

उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल

उड़ीसा परिमण्डल ने सितम्बर 2000 व जनवरी 2001 के मध्य 3.17 करोड़ रू. की लागत के 77,243 बी प्रकार के सॉकेटों की अधिप्राप्ति की। सॉकेट ग्रामीण क्षेत्रों में उपरगामी संरेखण के अन्तर्गत दूरभाष संयोजन देने के लिए टेलीकाम पोस्ट पर प्रयुक्त की जाती है।

छः एस एस ए यानि बेहरामपुर, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कोरापुर, राउरकेला व सम्भलपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2006 तक केवल 44581 सॉकेट ही प्रयोग में लाये जा सके, 1.34 करोड़ रू. मूल्य के 32662 सॉकेट अवशेष पड़े रहे। लेखापरीक्षा ने देखा भिवानीपटना, कोरापुर व राउरकेला के तीन एस एस ए में परिमण्डल कार्यालय से सॉकेट बिना किसी मांग के प्राप्त हुये।

लेखापरीक्षा में (दिसम्बर 2005–जून 2006) दर्शाये जाने पर बेरहामपुर, भवानीपटना, कोरापुर व राउरकेला एस एस ए के कार्यालय अध्यक्षों ने (मार्च–जुलाई 2006) में इस तथ्य को स्वीकारा कि इन सॉकेटों को प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि परिमण्डल से बिना मांग के आपूर्ति की गई थी। भुवनेश्वर, राउरकेला व सम्भलपुर एस एस ए के कार्यालय अध्यक्षों ने बताया कि (फरवरी–जून 2006) परिमण्डल द्वारा खरीदे गये सॉकेट तकनीकी अप्रचलन के कारण प्रयोग में नहीं लाये जा सके।

इस प्रकार लोकल लूप में वायरलैस जैसी वैकल्पिक तकनीक को ध्यानगत करने में व दूरभाष संयोजनों को उपलब्ध करवाने में उपरगामी संरेखण में गिरावट तथा आवंटन से पहले संबंधित एस एस ए की आवश्यकता की सुनिश्चितता तय करने में परिमण्डल की विफलता के कारण बी टाइप सॉकेट निष्क्रिय पड़े रहे व 1.34 करोड़ रू. का बेकार व्यय हुआ।.

पंजाब दूरसंचार परिमण्डल

इस परिमण्डल में आठ एस एस ए अर्थात् अमृतसर, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालन्धर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट और संगरूर ने जनवरी व अगस्त 2003 के बीच उपरगामी संरेखण हेतु उनके द्वारा दिये गये मॉग के आधार पर दूरसंचार फैक्ट्री जबलपुर व रिछाई से 51773 ए–8 व 50400 बी–8 ट्यूबें प्राप्त की। मांग पंजाब दूरसंचार परिमण्डल में 2002–03 के दौरान 2.45 लाख सीधे एक्सचेंज लाइने उपलब्ध करवाने के लक्ष्य पर आधारित थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि डबल्यू एल एल, जी एस एम के प्रचलन के कारण वर्ष 2002–03 के दौरान पंजाब दूरसंचार परिमण्डल में केवल 1.20 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें ही दी जा सकी जो कि लक्ष्य से 50 प्रतिशत से भी कम थी। इस प्रकार ट्यूबों का उपयोग नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2006) कि आठ में से छः एस एस एज में ए–8 व बी–8 ट्यूब का (दिसम्बर 2005) 40 प्रतिशत से ज्यादा भण्डार निष्क्रिय पड़ा था, जिसके कारण उनकी अधिप्राप्ति पर 3.08 करोड़ रू. का व्यय निष्फल रहा। इनके उपयोग की सम्भावनाएं नगण्य थी क्योंकि 2003–04 से सी एक्स ला में ऋणात्मक वृद्धि थी व अकेले वर्ष 2005–06 के दौरान ही 1.32 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों का पंजाब दूरसंचार परिमण्डल में समर्पण किया गया।

इसी तरह पंजाब दूरसंचार परिमण्डल के अधीन दूरसंचार भण्डार डिपों मोहाली के पास वर्ष 2000–01 के दौरान 3883 सी–8 ट्यूबों का भण्डार था, जिसमें से 2553 ट्यूबें वर्ष के दौरान जारी की गई तथा 1330 ट्यूबें मार्च 2001 को शेष पड़ी रही। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दिसम्बर 2001 में 5731 सी–8 ट्यूबों की अधिप्राप्ति के लिए दिया गया क्रय आदेश उपलब्ध भण्डार, पूर्व वर्ष का उपभोग का क्रम व नवम्बर 2001 तक 514 ट्यूबों के नगण्य उपयोग को ध्यान में रखे बगैर दिया गया। इसके फलस्वरूप मार्च 2006 तक 5731 ट्यूबें निष्क्रिय पड़ी रही तथा इसकी अधिप्राप्ति पर 54.33 लाख रू. का व्यय निष्फल रहा।

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल

परिमण्डल ने 2001–06 के दौरान 1058 केबल डिस्ट्रीब्यूशन (सी डी) केबिनेट व 617 आई डी सी टाइप सीडी केबिनेट 1.92 करोड़ रू. कुल लागत पर प्राप्त की। इसमें से मार्च 2006 तक केवल 627 केबिल डिस्ट्रीब्यूशन केबिनेट व 181 आई डी सी टाइप सी डी केबिनेटों का प्रयोग हुआ। रिमोट लाइन यूनिट/रिमोट स्वीचिंग यूनिट जो कि सीडी केबिनेट की आवश्यकता को कम करता है, के परिचालन से वाह्य नेटवर्क प्रबंधन में आये परिवर्तनों को परिमण्डल ध्यान में रखने में असफल रहा। परिणामस्वरूप केबिनेट निष्क्रिय पड़े रहे व इनकी अधिप्राप्ति पर 1.05 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ (51.24 लाख रू. आई डी सी + 53.70 लाख रू. सीडी)

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल के पास नवम्बर 2002 में 153 ई एस एल कार्ड[1] व 255 एस एस एस कार्ड का भण्डार था जो कि मैक्स एल टाइप टेलीफोन एक्सचेंज के अनुरूप थे। निगम कार्यालय के जुलाई 2002 के अनुदेशों की अनदेखी करते हुए जो मैक्स–एल एक्सचेंज को मैक्स–एक्स एल एक्सचेंज में बदलने से संबंधित था, परिमण्डल द्वारा उसी तरह के कार्ड खरीदने हेतु क्रय आदेश (दिसम्बर 2002) दिया। परिमण्डल ने जनवरी व अप्रैल 2003 के बीच 460 ई एस एल व 730 एस एस एस कार्ड प्राप्त किये। लेखापरीक्षा में (मई 2006) यह अवलोकित किया गया कि मैक्स–एल एक्सचेंज से मैक्स–एक्स एल एक्सचेंज में उच्चीकरण के कारण 1.13 करोड़ रू. के 185 ई एस एल व 536 एस एस एस कार्ड जो मैक्स–एल एक्सचेंज के अनुरूप थे, मार्च 2006 तक बेकार पड़े रहे।

लेखापरीक्षा में (मई 2006) दर्शाये जाने पर सहायक महाप्रबन्धक (स्ट्रेटेजिक प्लानिंग) पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि मैक्स–एल टाइप एक्सचेंज के कार्ड अप्रचलित हो गये हैं व उनको अन्य मण्डलों में भेजने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

कलकत्ता दूरसंचार जिला

वर्ष 2004–05 व 2005–06 के लिए भूमिगत केबिल की मांग को दर्शाते समय, कलकत्ता दूरसंचार जिला (सी टी डी) पी आई जे एफ केबिल• के उपभोग क्रम व उपलब्ध भण्डार को संज्ञान में नहीं लिया। वर्ष 2004–05 व 2005–06 के प्रारम्भ में क्रमशः 7.72 एल सी के एम* व 9.87 एल सी के एम पी आई जे एफ केबिल का भण्डार था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2006) कि 2002–06 के दौरान कलकत्ता टेलीफोन जिला में पी आई जे एफ केबिल का औसत वार्षिक उपभोग 2.41 एल सी के एम था। 2.41 एल सी के एम के कम वार्षिक उपभोग व वर्ष 2004–05 व 2005–06 के दौरान 7 एल सी के एम पी आई जे एफ केबिल का अधिशेष होते हुए भी, जो कि दो वर्षों से अधिक के लिए काफी था, कलकत्ता दूरसंचार जिला ने क्रमशः 3.06 व 6.31 एल सी के एम जी आई जे एफ केबिल वर्ष 2004–05 व 2005–06 के दौरान अधिप्राप्त की, जिसके कारण 62.35 करोड़ रू. की 9.37 एल सी के एम पी आई जे एफ केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति हुई तथा निष्क्रिय भी पड़ी रही।

---

[1] इंटरफेस कार्ड एकमात्र एस बी एम को मैक्स–एल आर एस यू में बदलने के लिये अपेक्षित हैं।

• पोलिथिलीन इनसुलेटिड जैलीयुक्त केबिल

* लाख कन्डकटर किलोमीटर

ऐसा दर्शाये जाने पर(मार्च 2006) महाप्रबन्धक (योजना) कलकत्ता दूरभाष ने, यह स्वीकार करते हुए (अगस्त 2006) कि निष्क्रिय पड़ी केबिल की मात्रा अधिक थी, कहा कि केबिल का आवंटन निगम कार्यालय द्वारा किया गया व अग्रिम क्रय आदेश भी भा सं नि लि मुख्यालय द्वारा जारी किये गये। उसने आगे कहा कि मांग का निर्धारण क दू जि की विभिन्न यूनिटों की मॉग के आधार पर आधारित था।

इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि मु म प्र को निगम कार्यालय को मांग प्रेषित करने से पहले यूनिट द्वारा भेजी गई मॉगों की जॉच भली प्रकार कर लेनी चाहिए थी, उत्तर स्वीकार्य नहीं था।

पूर्वोक्त मामलों को दर्शाये जाने (जून/जुलाई 2006) पर परिमण्डलों ने बताया कि बदलती तकनीक जैसे कि डब्ल्यू एल एल, जी एस एम व खम्भाविहीन केबिल नेटवर्क के चलन के कारण भण्डारों को उपयोग में नहीं लाया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एल एल व जी एस एम क्रमशः वर्ष 2000 व 2001 में आरम्भ हुये, अतः परिमण्डलों को यह अवगत होना चाहिए था कि लैण्डलाइन से संबंधित भण्डारों एवं पी आई जे एफ केबिल की मांग गिरेगी। आगे दूरसंचार विभाग ने (अप्रैल 2000) पांच वर्ष से पहले खम्भारहित नेटवर्क को बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि यह सस्ता था। अतः दूरसंचार संयोजनों को उपलब्ध करवाने हेतु उपरगामी संरेखणों की अधिप्राप्ति का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।

इस प्रकार परिमण्डल द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली मदों में तकनीकी परिवर्तनों व उपभोग क्रम को विचारगत करने में विफल होने के कारण 74.82 करोड़ रू. के भंडार की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति हुई तथा निष्क्रिय पड़े रहे।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

3.4 दूरभाष एक्सचेंज का निष्क्रिय होना

बिहार, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत सात सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र नव निर्मित दूरभाष एक्सचेंज भवन में दूरभाष एक्सचेंज स्थानान्तरित करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 6.07 करोड़ रू. की निधि का अवरोधन हो गया।

बिहार, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडलों के अन्तर्गत सात सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे) में तेरह दूरभाष एक्सचेंज भवनों का निर्माण जनवरी 2001 और जुलाई 2004 के मध्य 6.07 करोड़ रू. की कुल लागत पर किया गया था जैसा कि परिशिष्ट XVIII में वर्णित है।

सै स्वी क्षे के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (अक्टूबर 2005/जनवरी 2006) कि दूरभाष एक्सचेंज भवन 2004 तक पूरे कर लिये गये थे लेकिन सै स्वी क्षे ने उनका उपयोग नहीं किया अतः उनके निर्माण का प्रयोजन विफल रहा।

बिहार दूरसंचार परिमंडल

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार (मु म प्र दू) बिहार परिमंडल ने छपरा में दूरभाष एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन (प्र अ) दे दिया (मार्च 2000)। छपरा में विद्यमान दूरभाष एक्सचेंज भवन परिसर में भवन का निर्माण किया जाना था जिससे एक के° लाइन दूरभाष एक्सचेंज को जगह दी जा सके।

महाप्रबंधक दूरसंचार जिला (म प्र दू जि), छपरा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2006) से पता चला कि सिविल विंग ने दिसम्बर 2000 में दूरभाष एक्सचेंज भवन के निर्माण–कार्य का निर्णय लिया जिसके पूर्ण होने की तिथि जनवरी 2002 थी। बाद में, छपरा में 90.64 लाख रू.

° एक हजार

की लागत पर भूमि का एक प्लॉट क्रय किया गया था (अप्रैल 2001)। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि प्र अ दिये जाने के एक वर्ष के बाद, मु म प्र दू बिहार परिमंडल ने निर्देश दिये (जुलाई 2001) कि छपरा में दूरभाष एक्सचेंज परिसर से निर्माण का स्थल नई क्रय की गई भूमि में बदले। दो वर्षों के विलम्ब के बाद मार्च 2004 में सिविल विंग ने निर्माण कार्य पूरा किया था लेकिन एक वर्ष से अधिक अतिरिक्त विलम्ब के बाद अगस्त 2005 में भवन म प्र दू जि छपरा को सौंप दिया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 1 के लाइन के एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन के लिये परियोजना प्राक्कलन को भवन में जगह दी जाने हेतु जून 2005 में देर से संस्वीकृत किया गया था और मार्च 2006 तक उपकरण प्राप्त नहीं किये गये थे। इस कारण एक्सचेंज भवन का उपयोग नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर, उपमहाप्रबंधक छपरा ने बताया (मार्च 2006) कि एक्सचेंज चालू नहीं किये जा सके थे क्योंकि 1 के एक्सचेंज उपकरण परिमंडल कार्यालय से प्राप्त नहीं किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 1 के ओ सी बी एक्सचेंज के लिये परियोजना प्राक्कलन की संस्वीकृति में विलम्ब से बिहार दूरसंचार परिमंडल से उपकरण की मांग का विलम्बित प्रस्तुतीकरण तथा परिणामतः उपकरण की समय पर प्राप्ति नहीं हुई।

इस प्रकार उचित आयोजना व समय पर उपकरण प्राप्त करने की विफलता के परिणामस्वरूप भूमि के क्रय तथा उस पर भवन–निर्माण पर 1.83 करोड़ रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।

कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल

रायचूर दूरसंचार जिले में मसकी तथा मन्डया दूरसंचार जिला में पूरीगली में दूरभाष एक्सचेंज को किराये के भवनों में जगह दी गई थी। इन एक्सचेंजों के लिये अपना भवन रखने के उद्देश्य से, दूरसंचार जिला प्रबंधक (दू जि प्र) रायचूर व म प्र दू जि मांड्या ने मसकी व पूरीगली में दूरभाष एक्सचेंज भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण के लिये अनुमोदन क्रमशः नवम्बर 2000 तथा जून 2002 में दिया। इन भवनों का निर्माण 89.57 लाख रू. की कुल लागत पर किया गया था। जबकि मसकी में भवन पर कब्जा सितम्बर 2003 में कर लिया गया था और पूरीगली में मार्च 2004 में किया गया था।

दू जि प्र रायचूर तथा म प्र दू जि मांड्या के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (अक्तूबर तथा दिसम्बर 2005) कि स्थानीय बिजली प्राधिकारियों से विद्युत आपूर्ति की गैर उपलब्धता के कारण भवनों का उपयोग मई 2006 तक नहीं किया जा सका था। दू जि प्र, रायचूर ने मसकी में बिजली संयोजनों के लिये आवेदन ही नवम्बर 2005 में किया था यद्यपि भवन सितम्बर 2003 में पूरे कर लिये गये थे। पूरीगली में, भवन जनवरी 2004 में पूरे हुये थे, म प्र दू मांड्या ने फरवरी 2005 में ही बिजली संयोजनों के लिये आवेदन किया था।

यह दर्शाये जाने पर (दिसम्बर 2005), दू जि प्र रायचूर ने उत्तर दिया (जुलाई 2006) कि, मसकी में एक्सचेंज जुलाई 2006 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। पूरीगली में एक्सचेंज जुलाई 2006 में दूरभाष एक्सचेंज के संबंध में, म प्र दू जि मांड्या ने उत्तर दिया (मई 2006) कि एक्सचेंज में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था मार्च 2006 में की गई थी और मई 2006 में एक्सचेंज स्थानान्तरित कर दिया गया था।

समय पर बिजली संयत्र प्राप्त करने में इस प्रकार विलम्ब के परिणामस्वरूप दो वर्षों से अधिक समय तक 89.57 लाख रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।

राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल

जनवरी 2001 तथा फरवरी 2003 के मध्य जयपुर तथा भीलवाड़ा सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के गोविन्द नगर, जोबनेर तथा बिजोलिया क्षेत्रों में 1.57 करोड़ रू. की कुल लागत पर तीन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया था।

प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला (प्र म प्र दू जि) जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2006) से पता चला कि दूरसंचार सिविल मंडल ने जनवरी 2001 में गोबिन्द नगर एक्सचेंज भवन का निर्माण किया था लेकिन प्र म प्र दू जि जयपुर ने एक वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद, जून 2002 में कब्जा किया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि किराये के भवनों में स्थित एक्सचेंज से कार्यचालन संयोजनों के प्रतिष्ठापन व स्थानान्तरण के लिए एक्सचेंज उपस्कर की मांग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2006 तक नवनिर्मित एक्सचेंज भवन का गैर उपयोग हुआ।

जोबनेर एक्सचेंज भवन पूरा कर लिया गया था और अगस्त 2001 में सिविल विंग ने प्र म प्र दू जि जयपुर को सौंप दिया। लेखापरीक्षा के संज्ञान(जुलाई 2006) में आया कि जोबनेर में किराये के भवन में काम कर रहे दूरभाष एक्सचेंज को चार वर्षों के बाद भी नवनिर्मित जोबनेर एक्सचेंज भवन में स्थानान्तरित नहीं किया था क्योंकि विद्यमान किराये के एक्सचेंज भवन व नवनिर्मित भवन को जोड़ने वाली जंक्शन केबिल बिछायी नहीं गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी ध्यान दिया कि एक्सचेंज चालू करने व स्थानान्तरण में विलम्ब तथा मोबाइल संचार प्रारम्भ करने के कारण, किराये के भवनों की स्थिति तकनीकी रूप से अधिक उपयुक्त थी और इसलिए जोबनेर एक्सचेंज को किराये के भवन से स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

म प्र दू जि भीलवाड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (अक्तूबर 2005) कि बिजोलिया एक्सचेंज भवन पूरा हो गया था और सिविल विंग ने म प्र दू जि को फरवरी 2003 में सौंप दिया गया था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि तीन वर्षों के बाद भी (फरवरी 2006), बिजोलिया में किराये के पुराने एक्सचेंज भवन व नवनिर्मित एक्सचेंज भवन को जोड़ने वाली आप्टीकल फाइबर केबिल नहीं बिछायी गई थी और इसीलिये एक्सचेंज नये भवन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दर्शाये जाने पर, मंडलीय अभियंता (मं अ), पूर्व–II जयपुर ने बताया (फरवरी 2006)कि स्वीचिंग व अन्य उपस्कर की उपलब्धता पर, गोबिन्द नगर एक्सचेंज भवन में कार्य का स्थानान्तरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। जोबनेर एक्सचेंज के संबंध में, मं अ, ग्रामीण, जयपुर ने बताया (फरवरी 2006)कि मोबाइल संचरण शुरू होने से, नये एक्सचेंज भवन की अब और आवश्यकता नहीं थी और भंडारण व कार्यालय के प्रयोजन हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था। मंडलीय अभियंता (आयोजना), भीलवाड़ा ने बताया (फरवरी 2006)कि पुराने एक्सचेंज भवन व नये एक्सचेंज भवन के मध्य आप्टीकल फाइबर केबिल बिछाने के लिये दुबारा प्रयास विफल रहा और कार्य परियोजना विंग, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भवन पर कब्जा लेने के दो वर्ष बाद ही म प्र दू जि भीलवाड़ा ने परियोजना विंग से मीडिया के आप्टीकल फाइबर बिछाने का मामला उठाया (मई 2005) और इसीलिये कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार किराये के भवन में स्थित एक्सचेंज स्थानान्तरित करने में सै स्वी क्षे की विफलता के परिणामस्वरूप नव निर्मित एक्सचेंज भवनों का गैर उपयोग हुआ और परिणामतः 1.57 करोड़ रू. की निधि का अवरोधन हुआ।

तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल

म प्र दू जि कुम्बाकोनम व तिरूनलवेल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2006) से पता चला कि सितम्बर 2002 तथा जुलाई 2004 के मध्य सै स्वी क्षे द्वारा निर्मित सात दूरभाष एक्सचेंज भवनों के पूरा होने के दो से चार वर्षों के बाद भी उपयोग में नहीं लाये जा सके थे (जून 2006)। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कुम्बाकोनम सै स्वी क्षे के अन्तर्गत दो एक्सचेंज भवनों का उपयोग स्वीचिंग उपस्कर की गैर उपलब्धता के कारण नहीं किया गया था और तिरूनलवेल्ली सै स्वी क्षे में पांच एक्सचेंज भवन बिजली कार्यों की गैर पूर्णता,

केबिल का गैर आबंटन तथा जल सुविधा की गैर उपलब्धता के कारण खाली पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर, मंडलीय अभियंता, कुम्बाकोनम सै स्वी क्षे ने बताया कि स्वीचिंग उपस्कर की गैर उपलब्धता के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा सका था। उपमंडलीय अभियंता तिरूनलवेल्ली सै स्वी क्षे ने बताया कि बिजली कार्यों को पूरा करने में विलम्ब व परिमंडल कार्यालय द्वारा केबिल के गैर आबंटन के कारण भवन पर कब्जा नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार निर्माण के दो से चार वर्षों के बाद भी नवनिर्मित दूरभाष एक्सचेंज भवनों के गैर उपयोग से तथा परिमंडल व सै स्वी क्षे स्तर पर एक्सचेंज चालू करने के विविध कार्यकलापों में सिनक्रोनाइजेशन की कमी का पता चला। इसके परिणामस्वरूप एक्सचेंज भवनों के निष्क्रिय रहने से, निर्माण का प्रयोजन निष्फल रहा, इसके अतिरिक्त परिवर्ती अवधि के लिये 6.07 करोड़ रू. की निधि का अवरोधन हुआ।

मामला अक्टूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

3.5 प्राथमिक केबिलों पर निष्फल व्यय

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के तहत भोपाल सै स्वी क्षे ने वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक प्राथमिक केबिल बिछा दिए, परिणामस्वरूप 5.63 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

बाह्य संयंत्र दूरसंचार नेटवर्क में प्राथमिक और वितरण केबिल सम्मिलित हैं। प्राथमिक केबिलों में तारों के 800, 1200,1600 और 2000 जोड़े हो सकते हैं जबकि वितरण केबिलों में तारों के 400, 200, 100, 50, 20, 10 और 5 जोड़े हो सकते हैं। एक प्राथमिक केबिल के एक सिरे पर तारों के जोड़े एक दूरभाष एक्सचेंज में मुख्य वितरण फ्रेम (मु वि फ्रे) पर समाप्त हो जाते हैं जबकि दूसरा सिरा वितरण केबिलों में विभाजित हो जाता है और अभिदाताओं के घरों के पास वितरण खम्भों (वि ख) में समाप्त हो जाता है। एक दूरभाष संयोजन प्रदान करने के लिए, प्राथमिक केबिल के एक जोड़ा तार को मु वि फ्रे पर समाप्त होना होता है।

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के तहत भोपाल सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (दिसंबर 2005) से पता चला कि मार्च 2000 को 17 एक्सचेंजों मे 97, 083 दूरभाष संयोजनों को प्रदान करने के लिए प्राथमिक केबिलों के 1.83 लाख जोड़ों को मु वि फ्रे पर समापन किया गया, एवं 86,417 जोड़े अधिक सिद्ध हुए। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वर्ष 2000 में अतिरिक्त 86,417 दूरभाष संयोजन प्रदान करने के लिए प्राथमिक केबिलों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद, सै स्वी क्षे ने वर्ष 2000 से 2005 के दौरान प्राथमिक केबिलों के 50,400 अतिरिक्त जोड़े बिछाए। परिणामस्वरूप मार्च 2005 में 37 एक्सचेंजों में 1.19 लाख दूरभाष संयोजनों के विरूद्ध मु वि फ्रे पर समाप्त किए गए प्राथमिक केबिलों के जोड़ों की संख्या 2.33 लाख थी। परिणामस्वरूप, 2006–10 के दौरान वांछित 26,630 केबिल जोड़ों को घटाने के बाद भी, मार्च 2005 को प्राथमिक केबिलों के 88,044 जोड़ों का आधिक्य था। अतः प्राथमिक केबिलों के अधिक प्रावधान से उनकी निष्क्रियता हुई और परिणामस्वरूप 5.63 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि परिशिष्ट XIX में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दर्शाये जाने पर, उप महाप्रबंधक,(स्वीचिंग आयोजना), मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने यह स्वीकार करते हुए बताया (मई 2006) कि अधिक प्राथमिक केबिलें बिछाई गई थी, मोबाइल सेवा नेटवर्क के विस्तार के कारण, लैंडलाइन सेवा की अपेक्षित दर पर वृद्धि नहीं हुई और केबिल जोड़े निष्क्रिय रहे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लोकल लूप में वायरलैस तथा मोबाइल संचरण के लिए वैश्विक प्रणाली क्रमशः 2000 व 2001 में आरंभ हुई थी तथा भोपाल सै स्वी क्षे को तदनुसार आयोजना करनी चाहिए थी।

अतः भोपाल सै स्वी क्षे द्वारा दूरभाष संयोजनों में वृद्धि के अनुरूप प्राथमिक केबिल बिछाने में विफलता के कारण अधिक प्राथमिक केबिलें बिछ गई तथा परिणामस्वरूप 5.63 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2006)।

3.6 एक्सचेंजों का अविवेकपूर्ण विस्तार/चालू किया जाना

झारखंड दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला, रांची ने सात दूरभाष एक्सचेंजों का अविवेकपूर्ण विस्तार/चालू किया, परिणामस्वरूप इन एक्सचेंजों पर 4.83 करोड़ रू. का अनुत्पादक व्यय हुआ।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपनाये विभागीय दिशानिर्देश अनुबंध कहते हैं कि मांग की प्रत्याशित वृद्धि दर 15 से 20 प्रतिशत पर एक्सचेंज के विस्तार पर विचार किया जाना था। दिशानिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि एक्सचेंज क्षमता का औसत उपयोग 5 के[*] तक और 5 के लाइनों से आगे तक क्रमशः 75 प्रतिशत और 82 तथा 85 प्रतिशत के बीच होना चाहिए।.

महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, रांची के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2005) से पता चला कि छः एक्सचेंजों के विस्तार के लिए फरवरी 1999 व जनवरी 2003 के मध्य छः परियोजनाओं की संस्वीकृति की गयी थी, को दिसम्बर 2001 से दिसम्बर 2004 के दौरान लागू किया गया था। 15 से 20 % मांग की प्रत्याशित वृद्धि दर का विचार किये बिना ही विस्तार का अनुमोदन कर दिया गया था जैसा कि दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अभिदाताओं की वृद्धि के उच्चतर प्रक्षेपण तथा विस्तार से पहले एक्सचेंज क्षमता उपयोग पर विचार करने में विफलता के कारण, सभी छः एक्सचेंजों का कम उपयोग हुआ था और उनका उपयोग 27 और 70 % के बीच रहा। सितम्बर 2005 तक इन सभी एक्सचेंजों में कार्यचालन दूरभाष संयोजन इस प्रकार थे कि उन्हें विस्तार से पूर्व क्षमताओं से सुविधा दी जा सकती थी। इससे 6 के लाइनों तक एक्सचेंजों के विस्तार पर 3.61 करोड़ रू. का अनुत्पादक व्यय दर्शित हुआ जैसा कि परिशिष्ट XX वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने यह भी विचार किया (अक्टूबर 2006) कि क्षेत्र में दूरभाष संयोजनों के लिए मांग का प्राक्कलन किये बिना देवी मंडप रोड, रांची में 2 के एक्सचेंज नये चालू (मार्च 2004) किये गये थे। चालू करने के एक वर्ष के बाद भी नये संयोजन नहीं दिये गये थे। केवल 228 संयोजन ही क्षेत्र स्थानांतरण करके अन्य एक्सचेंजों से विचलन के माध्यम से दिये गये थे। इसके द्वारा नये एक्सचेंज चालू करने में 1.22 करोड़ रू. का अनुत्पादक व्यय दर्शित हुआ।.

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर, उपमंडलीय अभियंता (आयोजना–1) दूरसंचार जिला, रांची ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया था (नवम्बर 2005) के फालतू उपकरणों के विचलन हेतु कार्यवाही की जायेगी। उसने आगे बताया कि देवी मंडप में नये एक्सचेंज के समापन की सम्भावना की जांच की जा रही थी।

इस प्रकार छः एक्सचेंजों के विस्तार तथा एक नये एक्सचेंज के चालू करने का अविवेकपूर्ण विस्तार के परिणामस्वरूप 8 के लाइन का अनुपयोग हुआ और 4.83 करोड़ रू. का अनुत्पादित व्यय हुआ।

मामला नवम्बर 2006 में मन्त्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर–2006)।

---

[*] 1 के – 1000 लाइनें

3.7 केबिल रिकार्ड शोधन प्रणाली का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफलता

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के अधीन महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला ग्वालियर व भोपाल 1.46 करोड़ रू. की लागत पर अधिप्राप्त केबिल रिकार्ड शोधन प्रणाली का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफल रहें तथा केबिल युग्मों का 100 प्रतिशत सत्यापन का उद्देश्य निष्फल रहा ।

कम्पनी के निगम कार्यालय ने महाप्रबंधक दूरसंचार जिला (म प्र दू जि) ग्वालियर एवं भोपाल को अनुदेश दिये (सितम्बर 2001) कि अच्छी केबिल युग्मों की वसूली की सुविधा देने (सुगम बनाने) तथा कम्प्यूटरीकृत केबिल अभिलेख तैयार करने हेतु मुख्य वितरण ढांचे/केबिनेट/खम्भों पर समाप्त होने वाले केबिल युग्मों का 100 प्रतिशत सत्यापन करे क्योंकि कम्पनी के बाह्य संयंत्र नेटवर्क के व्यय का सबसे बड़ा भाग केबिलों पर किया जाता हैं ।

तदनुसार म प्र दू जि ग्वालियर तथा भोपाल ने क्रमशः एक एकल छोर तथा एक दोहरे छोर वाले केबिल रिकार्ड शोधन (के रि शो) प्रणाली 1.46 करोड़ रू. की लागत पर प्रतिष्ठापित की (अक्तूबर 2003) । प्रणाली डेढ़ लाख केबिल युग्मों की वार्षिक जांच करने में सक्षम थी ।

म प्र दू जि ग्वालियर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2005/अप्रैल 2006) से पता चला कि अप्रैल 2006 तक कुल 1.38 लाख युग्मों में से केवल 25,800 प्रारम्भिक युग्मों की जांच की गई थी । के रि शो प्रणाली जून 2004 से दोषपूर्ण पड़ी रही और सितम्बर 2005 में ठीक की गयी थी, इसके बाद इसे ग्वालियर में जांच पूरी किये बिना म प्र दू जि जबलपुर को भेज दिया गया था ।

उसी प्रकार म प्र दू जि भोपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2004/जुलाई 2006) से पता चला कि कुल 2.30 लाख युग्मों में से प्रारम्भिक केबिल की 25,100 युग्मों की जांच की गई थी । उसके बाद, भोपाल से के रि शो प्रणाली इन्दौर में स्थानान्तरित कर दी गई थी (सितम्बर 2004) । लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि के रि शो प्रणाली इन्दौर को स्थानान्तरित करने के बाद, दोषपूर्ण हार्ड डिस्क के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका था और जुलाई 2006 तक निष्क्रिय पड़ी रही ।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर उपमहाप्रबंधक (प्रचालन), मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने बताया (मई 2006) कि शुरू में एकल छोर वाले के रि शो प्रणाली को ग्वालियर में लगाया गया था तथा दो एक्सचेंजों के केबिल रिकार्ड की जांच व शोधन पूरा होने पर, प्रणाली को जबलपुर नगर में लगाया गया था । उसने यह भी बताया कि दोहरे छोर वाले के रि शो प्रणाली को शुरू में भोपाल में लगाया गया था और एक दूरभाष एक्सचेंज की जांच पूरा होने के बाद इस इन्दौर में लगा दिया गया था । इस प्रकार, जबलपुर तथा इंदौर में के रि शो प्रणाली स्थानान्तरित करने से पूर्व ग्वालियर में शेष 12 एक्सचेंजों तथा भोपाल में तीन मुख्य एक्सचेंजों में प्रारम्भिक केबिल युग्मों की जांच नहीं की गई थी । प्रारम्भिक केबिल के 3.68 लाख युग्मों, जिनकी जांच की जानी थी, के प्रति के रि शो की दोनों प्रणालियों ने केबल 50,900 युग्मों (14%) की जांच की थी ।

अतः 1.46 करोड़ रू. व्यय करने के बाद भी, केबिल युग्मों की मरम्मत व उपयोग सुनिश्चित करने के लिये केबिल युग्मों का 100 प्रतिशत सत्यापन का उद्देश्य तथा के रि शो प्रणाली के माध्यम से केबिल रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत करने तथा अद्यतन करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया ।

मामला सितम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

3.8 भूमि का अविवेकपूर्ण क्रय

गुजरात दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत महाप्रबंधक (विकास) अहमदाबाद दूरसंचार जिला ने उपयुक्तता पर विचार किये बिना ही भूमि का एक प्लॉट पट्टे पर दिया परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ रू. का अवरोधन हो गया और 53.70 लाख रू के ब्याज की परिणामी हानि हुई ।

गुजरात दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत अहमदाबाद, दूरसंचार जिला (अ दू जि) के महाप्रबंधक (म प्र) (विकास) ने घाटलोडिया, अहमदाबाद में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (अ श वि प्रा) से 4,125 वर्ग मीटर भूमि दूरभाष एक्सचेंज व स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये 1.96 करोड़ रू. की लागत पर पट्टे पर ली (मार्च 2000)

म प्र (विकास) (अ दू जि) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2005) से पता चला कि उपर्युक्त भूमि के प्लॉट को इसकी उपयुक्तता पर विचार किये बिना, पट्टे पर ले लिया गया था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अधिशासी अभियंता (सिविल),दूरसंचार मंडल अहमदाबाद ने अपने स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में इंगित किया था (अक्तूबर 1999) कि भूमि का सीमांकन नहीं किया गया था; अतिक्रमण किया गया था; नगर निगम सीवरेज (मल–निकासी) लाइन इसमें से होकर गुजरती थी तथा समीपवर्ती सड़क से औसतन 10 फुट नीचे थी। उसने आगे बताया कि प्रारम्भ में भूमि एक तालाब थी । म प्र (विकास) अ दू जि ने इन पहलुओं पर विचार किये बिना भूमि पट्टे पर ले ली तथा मार्च व अगस्त 2000 में क्रमशः 1.30 करोड़ रू. तथा 66.33 लाख रू. की दो किश्तों में भूमि की लागत का भुगतान किया । लेखापरीक्षा ने यह भी ध्यान दिया कि भुगतान करने के दो वर्षों के अन्तराल के बाद म प्र (विकास) ने देखा (अक्तूबर 2002) कि भूमि एक अधिसूचित तालाब थी तथा निर्माण के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं थी क्योंकि भूमि भरने की लागत बहुत अधिक थी । प्रधान महाप्रबंधक (प्र म प्र), अ दू जि ने निर्णय किया (अक्तूबर 2002) कि अ श वि प्र को भूमि लौटा दी जाये तथा दावे की वापसी की जाये। प्र म प्र अ दू जि ने 970 वर्ग मीटर भूमि रखने के बाद अ श वि प्रा को शेष 3,155 वर्ग मीटर के अभ्यर्पण के लिये लिखा (जनवरी 2003) तथा अभ्यर्पित भूमि की लागत की वापसी का दावा किया। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी ध्यान दिया कि प्र म प्र अ दू जि ने दो वर्ष और बीत जाने पर मार्च 2005 में अ श वि प्रा के साथ पुनः वापसी के लिये मामला उठाया। अगस्त 2005 में 1.24 करोड़ रू. की राशि अंतिम रूप से वापिस कर दी गई थी । इस प्रकार उपयुक्तता पर विचार किये बिना भूमि पट्टे पर ली गई परिणामस्वरूप इसका अभ्यर्पण हुआ और 53.70 लाख रू. के ब्याज के अतिरिक्त पांच वर्षों से अधिक समय तक के लिये 1.24 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर, उपमहाप्रबंधक (भवन आयोजना) अ दू जि ने बताया (अगस्त 2006) कि भूमि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तथा विद्यमान नियमानुसार क्रय की गई थी। उसने आगे यह भी बताया कि अ श वि प्रा ने किसी अतिक्रमण के बिना भूमि पर स्पष्ट रूप से कब्जा किया था और क्योंकि स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था, भूमि का अभ्यर्पण नहीं किया गया। उत्तर सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है, क्योकि प्र म प्र, अ दू जि ने भूमि के एक अधिसूचित तालाब होने तथा निर्माण प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त का विचार (अक्तूबर 2002) करने के बाद ही प्लॉट का अभ्यर्पण करने का निर्णय लिया था। अ दू जि भूमि पट्टे पर लेने से पूर्व स्टाफ क्वार्टरों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने में भी विफल रहा।

इस प्रकार पट्टे पर लेने से पहले भूमि की उपयुक्तता व इसकी आवश्यकता पर विचार करने में विफलता के परिणामस्वरूप, यह निष्क्रिय रही। इसके परिणामस्वरूप पांच वर्षों से अधिक समय तक 1.24 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन हुआ और 53.70 लाख रू. के ब्याज की परिणामी हानि हुई ।

मामले को नवम्बर–2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)

3.9 विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय

बिहार, झारखंड व केरल दूरसंचार जिलों ने वास्तविक उपयोग के आधार पर अनुबंधित विद्युत मांग की समीक्षा तथा कमी नहीं की। इसके कारण उच्च अनुबंधित मांग के आधार पर न्यूनतम मांग प्रभारों का भुगतान किया गया और इसके परिणामस्वरूप 1.23 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ।

लोक लेखा समिति (लो ले स) ने अधिक पावर लोड अनुबंधित करने के कारण भूतकाल में निष्फल व्यय के मामलों को गंभीरता से लिया था। इसके अनुवर्तन में मंत्रालय ने परिमंडलों के अध्यक्षों को आवधिक रूप से वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अनुबंधित विद्युत मांग की समीक्षा तथा संशोधन करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए (अप्रैल 1987) तथा अक्तूबर 1996 और अक्तूबर 1999 में इन अनुदेशों को दोहराया जैसा कि भा सं नि लि ने नवंबर 2001 में किया।

बिहार परिमडंल के तहत छपरा, मुंगेर, पटना और समस्तीपुर के चार सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों (सै स्वी क्षे), झारखंड परिमंडल के तहत रांची सै स्वी क्षे तथा केरल परिमंडल के अन्तर्गत विद्युत मंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी/अप्रैल 2006) से पता चला कि अनुबंधित मांग वांछित मांग से अधिक थी। 2001–06 के दौरान अनुबंधित मांग में कमी किए बिना उच्च अनुबंधित मांग पर न्यूनतम मांग प्रभारों का भुगतान जारी रहा, जिस कारण 1.23 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि परिशिष्ट XXI में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में यह दर्शाये जाने पर, मुख्य अभियन्ता, दूरसंचार विद्युत मंडल, तिरूवनन्तपुरम ने बताया (मई 2006) कि इलैक्ट्रिकल विंग द्वारा एक्सचेंज में प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तावित उपस्कर के संबंध में सै स्वी क्षे प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक नए एक्सचेंज के लिए अनुबंधित मांग की गणना की गई थी और एक्सचेंज के कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयोजन प्राप्त किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि चूंकि उपस्कर चरणबद्ध तरीके से प्रतिष्ठापित किये जा रहे थे, आरम्भिक चरणों में पंजीकृत मांग तुलनात्मक रूप से कम होगी तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि अनुबंधित मांग अधिक है या नही, कम से कम छः महीने तक मानीटरिंग की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे बताया कि बहुत से एक्सचेंजों में अनुबंधित मांग पहले ही कम की जा चुकी थी व भविष्य में इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास जारी थे। लेखापरीक्षा ने तथापि, पाया कि तिरूवनन्तपुरम सै स्वी क्षे के तहत तीन एक्सचेंजों में 2002–06 की अवधि के दौरान अनुबंधित मांग में कमी की गई थी फिर भी अनुबंधित मांग में कमी के बावजूद यह उच्चतर दिशा में थी। आगे सै स्वी क्षे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अनुबंधित विद्युत मांग की आवधिक रूप से समीक्षा तथा संशोधन करने में विफल रहा । बिहार परिमंडल में सै स्वी क्षे के अध्यक्षों ने बताया (मार्च 2006) कि अनुबंधित मांग में कमी का मामला बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ चल रहा था। मंडल अभियंता (सामान्य), रांची सै स्वी क्षे ने बताया (अप्रैल 2006) कि नवम्बर 2002 में अनुबंधित मांग में कमी के लिए झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (झा रा वि बो) को लिखा गया था। उन्होंने कहा कि झा रा वि बो द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

यद्यपि कम्पनी ने दूरभाष एक्सचेंज भवनों में विद्युत उपयोग की मानीटरिंग के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए थे (नवम्बर 2001), सै स्वी क्षे स्तर पर इन कमियों का जारी रहना आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में स्पष्ट कमजोरी निर्दिष्ट करता है।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर–2006)।

3.10 केबिल बिछाने पर निष्फल व्यय

उत्तरांचल दूरसंचार परिमंडल के अन्तर्गत महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, देहरादून ने सम्बन्धित दूरभाष एक्सचेंज का विस्तार किये बिना अतिरिक्त पोलिथिलीन इनसुलेटिड जैली युक्त भूमिगत केबिल बिछाई, परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रू. का निष्क्रिय व व्यर्थ व्यय हुआ।

उत्तरांचल दूरसंचार परिमडंल के अन्तर्गत महाप्रबंधक दूरसंचार जिला (म प्र दू जि) देहरादून ने राजपुर में 1.70 करोड़ रू. की कुल प्राक्कलित लागत पर 3 के* से 4 के लाइनों तक रिमोट स्वीचिगं यूनिट (आर एस यू) एक्सचेंज के विस्तार के लिये एक परियोजना संस्वीकृत की (जनवरी 2001)। तदनुसार मार्च 2002 व अगस्त 2003 के मध्य 1.05 करोड़ रू. की कुल लागत पर एसेस नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिये 10,657 के कं कि* पोलिथिलीन इनसुलेटिड जैली युक्त (पी आई जे एफ) भूमिगत केबिल बिछाई गई थी। एसेस नेटवर्क दूरभाष एक्सचेंज व दूरभाष अभिदाता के मध्य सम्बद्धता उपलब्ध कराता है।

म प्र दू जि देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2004/मई 2006) से पता चला कि यद्यपि पी आई ज एफ भूमिगत केबिल बिछाई गई थी, परन्तु राजपुर में आर एस यू एक्सचेंज का विस्तार नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप केबिल का कम उपयोग हुआ। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जब पी आई जे एफ भूमिगत केबिल बिछाई जा रही थी, म प्र दू जि देहरादून ने राजपुर एक्सचेंज क्षेत्र के लिये दो 480 लाइन डिजिटल लूप कैरियर (डी एल सी) को एसेस नेटवर्क में लगाने के लिये संस्वीकृत कियां (जून 2003)। क्योंकि डी एल सी प्रणाली आप्टीकल फाइबर केबिल पर कार्य करती है, पहले से ही बिछाई गई पी आई जे एफ भूमिगत केबिल अनावश्यक हो जायेगी। इसके अतिरिक्त राजपुर आर एस यू एक्सचेंज की धारक क्षमता 3 के लाइन ही रही और इससे जो दूरभाष संयोजन उपलब्ध कराये गये थे उनमें अप्रैल 2003 में 2,730 से घटकर मई 2006 में 2343 तक गिरावट आई। उसके द्वारा आर एस यू एक्सचेंज राजपुर में विस्तार हेतु बिछाई गयी अतिरिक्त पी आई जे एफ केबिल फालतू सिद्ध हुई। इसके परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रू. का निष्फल व्यय हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दर्शाये जाने पर, उपमहाप्रबंधक (आयोजना) ने बताया (फरवरी 2005) कि केबिल नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा क्योंकि राजपुर एक्सचेंज क्षेत्र में दो 500 लाइनों की डी एल सी प्रणाली प्रतिष्ठापित करके 1के लाइनों से विस्तार दिया गया था। उत्तर प्रत्यायक नहीं है क्योंकि, जैसा कि पहले बताया गया था, कि डी एल सी प्रणाली आप्टीकल फाइबर केबिल पर कार्य करती है और इसलिये बिछायी गई पी आई जे एफ केबिल अनावश्यक थी। इसके अतिरिक्त मई 2006 में राजपुर में दूरभाष संयोजन गिरकर 2343 हो गया और इसलिये राजपुर एक्सचेंज के 3 से 4 के लाइनों के विस्तार के लिये बिछाई गई अतिरिक्त पी आई जे एफ भूमिगत केबिल का उपयोग नहीं किया जा सका था।

म प्र दू जि देहरादून द्वारा एसेस नेटवर्क की योजना उचित तरीके से बनाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 10657 के कं कि पी आई जे एफ भूमिगत केबिल निष्क्रिय रही तथा 1.05 करोड़ रू. का परिणामी व्यर्थ व्यय हुआ।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया, उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

---

* 1 के – एक हजार
* केबिल कंडक्टर किलोमीटर

(ग) परिहार्य व्यय/भुगतान

3.11 अप्रचलित भंडारों पर परिहार्य व्यय

मुख्य महाप्रबंधक, कोलकाता दूरसंचार जिला ने अप्रचलित भंडारों हेतु किराया, यथामूल्य अधिशुल्क तथा बीमा प्रभारों के भुगतान पर 1.94 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय किया

नियमानुसार, खरीदे गये स्टोर एक उचित अवधि के उपरांत आवश्यकता से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए तथा एक वर्ष से अधिक समय तक स्टाक में शेष भंडारों को अतिरिक्त घोषित किया जाना चाहिए। इस नियम के पालन के लिए, जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिए जो अतिरेक व अप्रचलित भंडारों की रिपोर्ट, उन भंडारों की बिक्री के आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि भंडारों का मूल्य भौतिक रूप से बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए तथा दरों की आवधिक समीक्षा तथा संशोधन किया जाना चाहिए।

अक्टूबर 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड (भा स नि लि) के गठन के परिणाम स्वरूप मुख्य महाप्रबंधक (मु म प्र) कोलकाता दूरसंचार जिला (को दू जि) को ई 10 बी एक्सचेंज से संबंधित भंडार मिले। इन भंडारों का मूल्य सितंबर 2000 में 19.83 करोड़ रू. था। ये भंडार 1990–91 से 1996–97 की अवधि में खरीदे गए थे तथा उपयोग में नहीं लाए गये थे। इनका भंडारण पश्चिम बंगाल राज्य गोदाम निगम (प बं रा गो नि) के दक्षिण दारी गोदाम में तथा केन्द्रीय गोदाम निगम (के गो नि) के ताराटोला गोदाम में किया गया था।

प बं रा गो नि तथा के गो नि ने भंडारों के लिए अधिकृत क्षेत्रफल के आधार पर मासिक किराया वसूल किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 जनवरी 1999 से तथा 1 अप्रैल 2001 से क्रमशः प्रत्येक माह के एक विशिष्ट दिन को गोदाम में पहुँचने वाले भंडार के अधिकतम मूल्य के आधार पर यथामूल्य अधिशुल्क तथा बीमा प्रभार लगाया।

मु म प्र (को दू जि) के अभिलेख की लेखापरीक्षा (मार्च 2005) में पता चला कि ई–10–बी भंडार अप्रचलित हो चुके थे, परंतु मु म प्र (को दू जि) ने न तो अप्रचलित भंडारों का निपटान किया और न ही पुर्नमूल्यांकन किया। जुलाई 2003 में उप महाप्रबंक (उ म प्र) (स्विचिंग व योजना) ने भंडारों के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर उनका पुनर्मूल्यांकन 39.66 लाख रू. किया था । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इसकी जानकारी गोदाम निगमों को नहीं दी गई तथा को दू जि आरंभिक मूल्य के आधार पर यथामूल्य अधिशुल्क तथा बीमा प्रभारों का भुगतान करता रहा। अप्रचलित भंडारों के निपटान में विफलता के परिणामस्वरूप 91 लाख रू. का परिहार्य किराये का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त आरम्भिक मूल्य के संशोधन की विफलता के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2000 से फरवरी 2006 के बीच 1.03 करोड़ रू. के यथामूल्य अधिशुल्क तथा बीमा प्रभारों का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में (मार्च 2005)दर्शाये जाने पर उ म प्र (स्विचिंग व योजना), को दू जि ने (जून 2005) में किराये, यथामूल्य अधिशुल्क तथा बीमा प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए इन भंडारों के रद्दी मूल्य की सिफारिश की। परन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि रद्दी मूल्यांकित भंडार अभी भी दोनों गोदाम के स्टॉक में पड़े थे तथा फरवरी 2006 तक निपटाये नहीं गये थे।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2006 में संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

3.12 ब्याज का परिहार्य भुगतान

आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के बीस सेकण्डरी स्विचिंग एरियों में सेवा कर के विलंबित भुगतान के कारण 91 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

वित्त मंत्रालय के सेवा कर (संशोधन) नियम 1998 के अनुसार एक कैलेंडर माह के दौरान प्राप्त कर योग्य सेवाओं के लिए सेवा कर केन्द्रीय सरकार के खाते में अगले माह की 25 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। वित्त अधिनियम 1994 में सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। दूरसंचार विभाग (जुलाई 2001) ने भी सभी परिमंडल प्रमुखों को जुर्माने से बचने के लिए सेवा कर का समय पर भुगतान करने तथा विलंबित भुगतान की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्देश दिया था।

आंध्र प्रदेश परिमंडल के पॉच सेकण्डरी स्वीचिंग एरिया यथा अनंतपुर,कुडापाह,हैदराबाद, कूरनल तथा तिरूपति एवं राजस्थान परिमंडल के सात सेकण्डरी स्विचिंगएरिया यथा अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, तथा श्रीगंगानगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2004 से मार्च 2006) के दौरान पाया गया कि ये यूनिट भुगतान योग्य सेवा कर की राशि के निर्धारण के लिए सब लेजर (एस एल आर)[2] के समय पर संकलन में विफल रहे। परिणास्वरूप अक्टूबर 2000 से मार्च 2004 के दौरान विभिन्न अवधियों में विविध एस एस ए में जिनका विवरण परिशिष्ट -XXII में दिया गया है, में सेवा करों के विलंबित भुगतान एवं परिणामित सेवा करों के विलंबित भुगतान के लिए 91 लाख रू. के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में दर्शाये जाने पर महाप्रबंधक (वित्त), आंध्रप्रदेश परिमंडल ने (मई 2006) कहा कि सेवा कर की राशि के निर्धारण के लिए एस एल आर का संकलन अनिवार्य था उन्होंने यह भी कहा कि एस एल आर के संकलन की नियत तिथि तथा सेवा कर के भुगतान की नियत तिथि एक साथ आ रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर के प्रेषण में विलंब हुआ। राजस्थान परिमंडल के एस एस ए प्रमुखों ने भी कहा (अगस्त 2005) कि सेवा कर का विलंबित भुगतान एस एल आर के संकलन में विलंब के कारण हुआ।

स्पष्टतः परिमंडलों के एस एल आर के संकलन की अन्तिम तिथि को पहले करना चाहिए था तथा सेवा कर का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व प्रभावी आंतरिक नियंत्रण आरम्भ करना चाहिए।

मामला अक्टूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

3.13 धनादेश कमीशन का अतिशय भुगतान

गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान दूरसंचार परिमंडलों के 10 सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया में रियायती मनीऑर्डर दरों का लाभ लेने में विफलता के कारण 51.55 लाख रू. मनीआर्डर कमीशन का अधिक भुगतान किया गया।

उपयोगकर्ता भुगतान के सिद्धांत के अनुसरण में डाक विभाग (डा वि) ने (अगस्त 2001) भारत संचार निगम लिमिटेड के वेतन तथा अन्य भत्तों के धनादेश द्वारा प्रेषण के लिए 1 अक्टूबर 2001 से प्रभावी एकल धनादेश जिसमें बिना किसी उच्च आर्थिक सीमा के रियायती दरों पर कमीशन के

[2] एस एल आर – किसी विशेष माह के दौरान प्रत्येक सेवा के लिए प्राप्त राजस्व को दर्शाने वाला अभिलेख, जिसके आधार पर सेवा कर का निर्धारण किया जाता है।

भुगतान का प्रावधान था, की शुरूआत की। इसके आधार पर निगम कार्यालय ने (सितबंर 2001) दूरसंचार परिमंडलों को इस प्रचलित विधि को अपनाने से संबंधित विस्तृत निर्देश जारी किए।

गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान के 10 एस एस ए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (नवम्बर 2004 से मई 2006) में पाया गया कि सम्बन्धित एस एस ए क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन संबंधित अधिकारी द्वारा भुगतान के लिए एकल धनादेश से भेजने की बजाय अलग–अलग धनादेश द्वारा प्रेषित कर रहे थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उन मामलों में जहां धनादेशों के मूल्य 5001 से 1 लाख के बीच थे, प्रति मनीआर्डर 200 रू. के रियायती कमीशन के बजाय 450 रू. प्रति मनीआर्डर की दर से कमीशन का भुगतान किया गया। परिणामतः अक्टूबर 2001 से दिसंबर 2005 के बीच 51.55 लाख रू. के अधिक कमीशन का भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट -XXIII में दिया गया था ।

लेखापरीक्षा में दर्शाये जाने पर (नवंबर 2004) म प्र दू गुलबर्ग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि उपयोग कर्ता भुगतान सिद्धांत में निहित निर्देशों का अनुसरण करने के लिए कदम उठाए जाएंगे । गुजरात परिमंडल के एस एस ए प्रमुखों ने कहा (फरवरी 2006) कि उन्हें उपरोक्त आदेशों की जानकारी नहीं थी। राजस्थान परिमंडल में, जहां म प्र दू जि जोधपुर ने कहा कि व्यक्तिगत मनीआर्डर 2003–04 से बंद कर दिए गए थे, तीन दूसरे एस एस ए यथा बाड़मेर, भरतपुर एवं टोंक ने कहा कि मामले की डाक अधिकारियों से बातचीत की जाएगी तथा धनादेश कमीशन का अतिरिक्त भुगतान समायोजित किया जाऐगा। आगे, बॉसवाड़ा और झालावाड़ एस एस स ने कहा कि उनके द्वारा 5001 रू से 1 लाख रू. के धनादेश के लिए 450 रू. कमीशन का भुगतान सही था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डाक विभाग ने स्पष्ट किया (अगस्त 2001) कि 5001 रू. से 1 लाख रू. के मनीआर्डर पर केवल 200 रू. कमीशन लगाया जाएगा।

गुजरात कर्नाटक एवं राजस्थान परिमंडलों द्वारा उपयोग कर्ता भुगतान के सिद्धांत के तहत धनादेश प्रेषण का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप 51.55 लाख रू. के मनीआर्डर कमीशन का परिहार्य अतिरेक भुगतान किया गया।

मामला अक्टूबर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर–2006)।

अध्याय IV
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
लेन–देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

4.1 भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने में विलंब के कारण राजस्व की हानि

दूरसंचार राजस्व लेखा विंग द्वारा समय पर कनेक्शन काटने के आदेश जारी करने में विलम्ब तथा साथ ही म टे नि लि की मुंबई इकाई के चार एक्सचेंजों द्वारा किराए का भुगतान न करने पर वायरलेस इन लोकल लूप दूरसंचार कनेक्शन काटने में विलंब के कारण 1.16 करोड़ रू के राजस्व की हानि हुई ।

नियमानुसार बिलों का भुगतान न किए जाने पर टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने चाहिए। नियमों में यह भी प्रावधान है कि लेखा अधिकारी, दूरसंचार राजस्व (ले अ दू स) को कनेक्शन काटने के आदेश जारी करने होते हैं जिसे प्राप्त होने पर एक्सचेंज अधिकारी को उन कनेक्शनों को आदेश में दर्शाई गई तिथि को काटना है। तदनुसार कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को स्ट्रीम लाइन करने के लिए म टे नि लि की मुंबई इकाई ने निर्देश जारी किया (जुलाई 2002) कि अपरिहार्य विलंब को रोकने के लिए बिल जारी करने के 45 वे दिन कनेक्शन काट दिए जाएं।

म टे नि लि की मुंबई इकाई के चार एक्सचेंजों यथा गामदेवी, गोरेगॉव, मारोल तथा मजगॉव के वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच (फरवरी एवं मार्च 2006) में पता चला कि 717 डब्ल्यू एल एल टेलीफोन कनेक्शनों में कनेक्शन काटने की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

- 282 डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों में 390 दिन तक का विलंब हुआ, जिनमें से 81 प्रतिशत मामलों में, दूरसंचार राजस्व लेखा (दू रा ले) विंग से एक्सचेंजों को डिस्कनेक्शन सूची भेजने में 160 दिन तक का विलंब हुआ था। पुनः, डिस्कनेक्शन सूची प्राप्त होने पर भी एक्सचेंजों ने इन डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों को काटने में 409 दिनों तक का विलंब किया, जिनमें से 60 प्रतिशत मामलों में विलंब 60 दिन तक था।

- पुनः, 435 डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों में, यद्यपि दू रा ले विंग द्वारा डिस्कनेक्शन सूची समय पर भेजी गई थी, एक्सचेंजों ने इन कनेक्शनों को 499 दिनों तक के विलंब से काटा, इनमें से 77 प्रतिशत मामलों में विलंब 120 दिनों से अधिक था।

उपरोक्त विलंब के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2004 से अक्टूबर 2005 तक की अवधि में 1.16 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण परिशिष्ट–XXIV मे है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया (अगस्त 2006) कि ग्राहकों के अपर्याप्त मेल पता होने के कारण 50 प्रतिशत मामलों में प्रबंधन द्वारा जारी किए गए विधिक नोटिस बिना डिलीवरी के वापस आ गए तथा प्रबन्धन द्वारा मनोनीत वसूली एजेन्सी को भी कोई सफलता नहीं मिली।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर महाप्रबंधक (सी डी एम ए) म नि टे लि मुंबई ईकाई ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (अगस्त 2006) कि पूरे म टे नि लि मुंबई की डब्ल्यू एल एल सेवाओं का प्रबंध गोरेगॉव एक्सचेंजों के एक ले अ दू रा के द्वारा किया जाता हैं, जिस कारण

उनके लिए सभी एक्सचेंजों तथा ग्राहकों के बीच समन्वय करना कठिन था। अतः बिलिंग प्रणाली में डिस्कनेक्शन इत्यादि का अद्यतन समय पर नहीं किया जा सका।

एक सदृश टिप्पणी 31 मार्च 2004 के समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, केन्द्र सरकार (वाणिज्यिक) के पैराग्राफ 6.11.3 में शामिल किया गया था तथा प्रबंधन ने कहा था कि सुधार के उपाय किए जाएँगे। कमी फिर भी बनी रही।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.2 संभाव्य राजस्व की हानि

निर्धारित अवधि के भीतर पटटे पर सर्किट देने के लिए निर्दिष्ट नियमों का पालन करने में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दिल्ली ईकाई की विफलता के परिणामस्वरूप 59.57 लाख रू के संभाव्य राजस्व की हानि हुई

पटटे पर दिए गए सर्किट दो स्थिर स्थापनों के बीच ग्राहकों के अनन्य उपयोग के लिए स्थापित समर्पित लिंक पते हैं। म टे नि लि के द्वारा अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार लीज सर्किट का प्रावधान इसकी स्थापना के लिए अंतिम एडवाइस नोट जारी किए जाने के सात दिनों के भीतर किया जाना होता हैं।

म टे नि लि की दिल्ली इकाई की नमूना जॉच (मई 2006) में यह पाया गया कि 11 मामलों में न केवल इकाई अंतिम एडवाइस नोट जारी होने के सात दिनों के भीतर लीज सर्किट प्रावधान करने के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही, बल्कि मई 2006 तक ये सर्किट स्थापित ही नहीं किए गए। पुनः 56 अन्य मामलों में सर्किटों की स्थापना में 319 दिनों तक का विलंब हुआ, जिनमें से 64 प्रतिशत मामलों में विलम्ब एडवाइस नोट जारी होने से 180 दिनों से अधिक के थे। परिणाम स्वरूप नवंबर 2004 से मई 2006 तक की अवधि के दौरान 59.57 लाख रू. के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मंडल अभियंता (लीज सर्किट), म टे नि लि दिल्ली ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2006) तथा कहा कि स्थापना नहीं किया जाना तथा स्थापना में विलम्ब मुख्यतः तकनीकी कारणों जैसे कि स्थानीय लीड की अधिक दूरी, उच्च लूप प्रतिरोध, ग्राहक की आप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा सर्किट स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त करने में विलंब इत्यादि के कारण थें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभिन्न लीज सर्किटों की स्थापना के लिए तकनीकी संभवनाओं को एडवाइस नोट जारी करने से पहले ऑकना चाहिए था।

मामला मंत्रालय को नवंबर 2006 में भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.3 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

म टे नि लि के दिल्ली व मुंबई इकाइयों ने लेखापरीक्षा के कहने पर ग्राहकों से 1.43 करोड़ रू.के बकाया रकम की वसूली की।

म टे नि लि की दिल्ली व मुंबई इकाइयों की नमूना जांच (जुलाई 2004 एवं जनवरी 2005) के दौरान पाया गया कि मुख्यतः आदेशों के क्रियान्वयन न होने के कारण 1.43 करोड़ रूप्ये की कम बिलिंग की गई थी (जुलाई.2002 से मार्च 2006 के बीच) जिसका विवरण परिशिष्ट–XXV में है।

लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर, म टे नि लि की दोनों इकाइयों ने अगस्त 2004 से सितंबर 2005 के बीच 1.43 करोड़ रू. के बिल जारी किए तथा वसूल किए।

मामला मंत्रालय को नवंबर 2006 में भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.4 पूंजी का अवरोधन

म टे नि लि दिल्ली दूरभाष एक्सचेंज के लिये भूमि पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि इसने भुगतान में विलम्ब कर दिया । इससे 1.59 करोड़ रू. के ब्याज से अतिरिक्त 10.62 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन हुआ ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) ने तुगलकाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक दूरभाष एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) से भूमि के 1,394 वर्ग मीटर माप के प्लाट के आबंटन हेतु अनुरोध किया (अक्तूबर 2001)। प्लॉट आबंटित कर दिया गया था (दिसम्बर 2001) तथा आबंटन पत्र के निबन्धनों एवं शर्तो के अनुसार, भूमि के लिये प्रीमियम तथा भूतल किराया कुल 10.89 करोड़ रू. था जो 60 दिनों के भीतर भुगतान योग्य था, ऐसा न होने पर कम्पनी 18 प्रतिशत दर पर ब्याज का भुगतान के लिये उत्तरदायी थी जो कि आबंटन पत्र जारी करने की तारीख से छः माह तक के विलम्ब के लिये था। छः माह की समाप्ति पर आबंटन स्वतः रद्द माना जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने आबंटन पत्र जारी करने की तारीख से 60 दिन के भीतर स्वीकृति पत्र देना था।

सहायक महाप्रबन्धक (भूमि), म टे नि लि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2005) से पता चला कि कम्पनी ने भूमि प्रीमियम में 10.62 करोड़ रू. का भुगतान किया(नवम्बर 2002) तथा 26.56 लाख रू. के भूतल किराये का भुगतान नहीं किया यद्यपि फरवरी 2002 तक भुगतान करना था। परिणामतः दि वि प्रा ने भूमि पर कब्जा नहीं सौंपा और आबंटन पत्र के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विलम्बित भुगतान पर ब्याज में 1.74 करोड़ रू. की मांग की। कम्पनी ने ब्याज राशि का भुगतान किये बिना भूमि पर कब्जा सौंपने के लिये दि वि प्रा के साथ पत्र–व्यवहार किया, लेकिन दि वि प्रा सहमत नहीं हुआ। अंततः तीन वर्षों के बाद, कम्पनी ने 10.62 करोड़ रू. वापिस करवाने का निर्णय किया (अक्तूबर 2005)। तथापि, दि वि प्रा ने अगस्त 2006 तक धन वापिस नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब म टे नि लि कर्मचारियों की खामियों के कारण था । मुख्य महाप्रबंधक म टे नि लि दिल्ली संस्वीकृत प्राधिकारी था। संस्वीकृति से पहले सहायक महाप्रबंधक (भूमि) द्वारा भूमि, आयोजना सिविल व वित्त विंग का निपटान किया जाना था। उसी प्रकार विभिन्न विंग के साथ मामले में सहयोग देने तथा प्रक्रिया करने के बजाय, एक के बाद एक निपटान (समाधान) प्राप्त किये गये थे, परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ। दिसम्बर 2001 में आबंटन पत्र प्राप्त करने के बाद, वरिष्ठ वास्तुविद, म टे नि लि ने जनवरी 2002 में तथाकथित प्लॉट की स्थल उपयुक्तता रिपोर्ट दी। तथापि, म प्र (वित्त) ने जुलाई 2002 में छः माह बीत जाने के बाद ही वित्तीय सहमति दी। भुगतान में और विलम्ब हो गया क्योंकि अगस्त 2002 में परियोजना प्राक्कलन संस्वीकृत हुआ था और नवम्बर 2002 में भुगतान कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2006) कि भूमि–लागत की कीमत का भुगतान नवम्बर 2002 में कर दिया गया था लेकिन भूमि–कब्जा सौंपने के बजाय, दि वि प्रा ने 1.74 करोड़ रू. के ब्याज की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि दि वि प्रा से ब्याज छोड़ने व प्लॉट पर कब्जा सौंपने के लिये कहा गया था, लेकिन उनसे किसी उत्तर की गैर–प्राप्ति के कारण, सक्षम प्राधिकारी ने दि वि प्रा से भुगतान किये गये प्रीमियम की वापसी की मांग ब्याज सहित करने का निर्णय किया (अक्तूबर 2005)। स्पष्टतया, अनुबद्ध अवधि के भीतर भूमि प्रीमियम

व किराये का भुगतान करने में कम्पनी की तरफ से खामी थी जो कि दि वि प्रा द्वारा भूमि पर कब्जा अस्वीकार किये जाने तथा ब्याज का दावा किये जाने के कारण था। इसके अतिरिक्त दि वि प्रा के पत्र में वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिये अथवा म टे नि लि के लिये प्रीमियम की वापसी के लिये भी कोई खंड नहीं था।

इस प्रकार, म टे नि लि दिल्ली भूमि–लागत का भुगतान करने के बावजूद भी, कब्जा नहीं कर सकी क्योंकि भुगतान अनुबद्ध अवधि के भीतर नहीं किया गया था। इससे 10.62 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन हो गया, इसके अतिरिक्त अवरूद्ध पूंजी पर 1.59 करोड़ रू. के ब्याज की हानि हुई, तीन वर्षो के लिये पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की परिमित दर का हिसाब बनता था। दूरभाष एक्सचेंज भवन के निर्माण का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2006 में भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.5 बिजली प्रभारों का अधिक भुगतान

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने औद्योगिक दरों के बजाय उच्चतर गैर घरेलू दरों पर बिजली प्रभारों का भुगतान किया। परिणाम स्वरूप 3.62 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1997 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दूरसंचार विभाग का वर्गीकरण एक उद्योग के रूप में किया था। वित्त अधिनियम 2002–03 ने भी दूरसंचार सेवाओं को औद्योगिक दर्जा दिया था। तदनुसार, दूरसंचार सेवाओं का कारोबार, चाहें बेसिक हो या सेल्यूलर, औद्योगिक उद्यम की परिधि के अन्तर्गत आ गया। इसलिये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) दिल्ली के लिये बिजली बोर्ड व वितरण कम्पनियों द्वारा आपूर्त के लिये औद्योगिक टैरिफ लागू करना था।

क्षेत्र महाप्रबंधक (म प्र) पश्चिम–1 मध्य तथा यमुनापार, म टे नि लि दिल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई/सितम्बर 2006) से पता चला कि बिजली के बिल म टे नि लि द्वारा ओद्योगिक श्रेणी टैरिफ की निम्नतर दरों के बजाय गैर घरेलू, संयुक्त लोड़ श्रेणी हेतु लागू होने योग्य उच्चतर दरों पर प्रभारित एवं भुगतान किया जा रहे है। म प्र तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी म टे नि लि के ग्राहक दर्जा को विद्यमान गैर घरेलू से औद्योगिक श्रेणी में बदलने के लिये बिजली बोर्ड/वितरण कम्पनियों के साथ मामला नहीं उठा सकें। इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2003 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान 3.62 करोड़ रू. के बिजली प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, यूनिट ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि यह नीतिगत मामला था जो कम्पनी के निगम कार्यालय द्वारा अपनी सभी यूनिट के लिये उठाया जाना था। तथापि, म टे नि लि निगम कार्यालय ने इस सम्बंध में कोई कार्यवाही भी नहीं की थी।

इस प्रकार कम्पनी अपने ग्राहक दर्जा को गैर घरेलू से औद्योगिक श्रेणी में बदलने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने में विफल रही परिणाम स्वरूप उच्चतर गैर घरेलू दरों पर बिजली प्रभारों का भुगतान हुआ और फलतः 3.62 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2006 में भेजा गया था। उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.6 भूमिगत केबिल में नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति वसूलने में विफलता

महाप्रबंधक (दक्षिण–II व पश्चिम-II),महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली भूमिगत केबिल में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति दावों पेश करने में विफल रहा परिणाम स्वरूप 3.43 करोड़ रू. की क्षतिपूर्ति की गैर वसूली हुई ।

नियमों में व्यवस्था है कि जब बाह्य एजेन्सी द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो क्षतिपूति का दावा किया जाना चाहिये।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि), दिल्ली के महाप्रबंधक (म प्र) (दक्षिण–II व पूर्व-II),के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2006) से पता चला कि 2001–02 से 2005–06 के दौरान बाह्य एजेन्सियों ने 3.43 करोड़ रू. की लागत की भूमिगत केबिल को नुकसान पहुँचाया था। 1.14 करोड़ रू. के नुकसान के सम्बंध में कम्पनी, एजेन्सियों को जिन्होंने भूमिगत केबिल को नुकसान पहुँचाया, का पता लगाने में विफल रही। शेष प्रकरणों में जिनमें 2.29 करोड़ रू. सम्मिलित है, यद्यपि एजेन्सियां मालूम थी, कम्पनी कोई दावा करने में विफल रही। इस प्रकार, म प्र दक्षिण–II व पश्चिम-II एक से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी सम्बन्धित पार्टियों से क्षतिपूर्ति के दावे पेश करने में विफल रहा, परिणाम स्वरूप 3.43 करोड़ रू. के क्षतिपूर्ति दावों की गैर वसूली हुई विशेष विवरण परिशिष्ट XXVI में है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सहायक महाप्रबंधक (प्रचालन) म टे नि लि दिल्ली ने बताया (अगस्त 2006) कि क्षतिपूर्ति के दावे पेश नहीं किए गये क्योंकि सरकार व अज्ञात एजेन्सियों के कारण नुकसान हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी की सम्पत्ति में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति दावे रक्षा सेवाओं के सिवाय सम्पत्ति को किसी और से नुकसान पहुँचाने के लिये किये जाने थे। इसके अतिरिक्त कम्पनी केबिल को नुकसान पहुँचाने वाली एजेन्सियों की पहचान करने के लिये पर्याप्त उपाय करने में विफल रही।

मामला मंत्रालय को नवंम्बर 2006 में भेजा था। उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.7 बिना उपयोग के भूमि अवधारण करने के कारण हानि

स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि का उपयोग करने में कम्पनी की विफलता के परिणाम स्वरूप भूमि निष्क्रिय रही एवं प्लॉट के लिये समय–विस्तार हेतु किये गये 2.91 करोड़ रू. की परिणामी हानि हुई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा) ने पूर्ववर्ती महाप्रबंधक (म प्र) (दूरभाष), दिल्ली (अब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) दिल्ली) को स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये पंखा रोड, दिल्ली में 9.97 लाख रू. की लागत पर 4.20 एकड़ माप वाला एक प्लॉट आबंटित (1969) किया था। कम्पनी स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने में विफल रही और दि वि प्रा ने प्लॉट का आबंटन (नवम्बर 2000) में रद्द कर दिया। महाप्रबंधक (म टे नि लि) दिल्ली तथाकथित प्लॉट पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये समय–विस्तार मांगने हेतु दि वि प्रा के पास गये (सितम्बर 2001)। दि वि प्रा ने निर्माण पूरा करने के लिये दिसम्बर 2002 तक समय–विस्तार दिया और आबंटन पुनः प्राप्त कर लिया, कम्पनी को पुनः स्थापन प्रभार तथा संरचना फीस में शास्ति के रूप में 3.48 करोड़ रू. जमा करने के निर्देश दिये । जब यह राशि गलत पाई गई थी तो कम्पनी ने दि वि प्रा को 2.91 करोड़ रू. की पुनः परिकलित राशि का भुगतान (नवम्बर 2001) किया । तथापि, कम्पनी पुनः समय की विस्तृत अवधि के भीतर क्वार्टर का निर्माण करने में विफल रही तथा जून 2004 तक समय–विस्तार मांगा।

महाप्रबंधक (आयोजना), म टे नि लि दिल्ली कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2005) से पता चला कि क्वार्टरों का प्रस्तावित निर्माण शुरू नहीं किया गया और प्लॉट अभी तक खाली पड़े थे। लेखापरीक्षा ने उल्लेखित किया कि प्लॉट आबंटन से 26 वर्षों के बाद परामर्शदाता वास्तुविद् की नियुक्ति की प्रकिया व दिल्ली की नगर पालिका (एम सी डी) के अनुमोदन के लिये आरेखणं की प्रस्तुतीकरण 1996 में शुरू हो गया था। मई 1996 में परामर्शदाता वास्तुविद की नियुक्ति के लिये निविदायें आमंत्रित की थीं और दो वर्षों के बाद अगस्त 1998 में परामर्श दे दी गयी थी। तीन वर्षों से अधिक विलम्ब के बाद जून 2002 में न पा नि को आरेखण प्रस्तुत किये गये। क्योंकि आरेखण न पा नि के मानकों के अनुसार नहीं थे, संशोधित आरेखण मई 2004 में प्रस्तुत किये गये थे। तथापि, म प्र (आयोजना) ने जुलाई 2005 में एक टिप्पणी प्रस्तुत की प्लॉट अभ्यर्पण करने हेतु निदेशक बोर्ड का अनुमोदन मांगा गया था। अप्रैल 2006 तक बोर्ड का निर्णय प्रतीक्षित था। इस प्रकार, समय पर न पा नि का अनुमोदन प्राप्त करने तथा समय–विस्तार मांगने से पहले स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये प्लॉट की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और 30 वर्षों तक प्लॉट खाली रखने के बाद नवम्बर 2001 में शास्ति का भुगतान करने में प्रबन्धन की विफलता के परिणामस्वरूप 2.91 करोड़ रू. की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, उप महाप्रबंधक (भवन आयोजना) म टे नि लि, दिल्ली ने बताया (जनवरी 2006) कि कई कारणों के कारण स्टाफ क्वार्टरों की मांग में विचारणीय कमी आई थी और इसलिये प्लॉट अभ्यर्पण करने का प्रस्ताव दिया गया था। उसने यह भी बताया कि कम्पनी प्लॉट का उपयोग केन्द्रीय भंडार डिपो के रूप में कर रही थी और इसलिये इस पर व्यय व्यर्थ नहीं माना जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं, क्योंकि 30 वर्षों तक प्लॉट खाली रखने के बावजूद प्रबन्धन समय का विस्तार मांगने से पहले प्लॉट की आवश्यकता का मूल्यांकन करने तथा नवम्बर 2001 में शास्ति का भुगतान करने में विफल रहा। प्लॉट का अभी तक भी अभ्यर्पण होना बाकी थी (अगस्त 2006) इसके अतिरिक्त, प्लॉट का केन्द्रीय भंडार के रूप में उपयोग मात्र घटना थी क्योंकि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि म टे नि लि प्लॉट का अभ्यर्पण करने के लिये तैयार है और कही भी भंडारों को स्पष्टतया स्थान दे सकता है।

कम्पनी द्वारा 30 वर्षों तक प्लॉट खाली रखने तथा बिना किसी प्रयोजन के इसके अवधारण हेतु समय–विस्तार मांगने के परिणाम स्वरूप 2.91 करोड़ रू. की हानि अवधारण प्रभार तथा संरचना फीस में हुई।

मामला मंत्रालय को नवंम्बर 2006 भेजा था। उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.8 मलव्यवस्था कर का अधिक भुगतान

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के महा प्रबंधक (पूर्व–I) ने मलव्यवस्था कर में 1.06 करोड़ रू. का अधिक भुगतान किया।

बम्बई नगरपालिका निगम (ब न नि) के मलव्यवस्था एवं अपशिष्ट निराकरण नियम में प्रावधान है कि जब कभी मीटर मापक द्वारा किसी परिसर के लिये पानी आपूर्त किया जाता था, नगरपालिका आयुक्त मलव्यवस्था कर उगाहने के बजाय, निर्धारित पानी प्रभार के 50 प्रतिशत के समकक्ष मलव्यवस्था प्रभार की उगाही कर सकता था इसके अतिरिक्त ब न नि अधिनियम में व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जिस पर पानी के बिल में मलव्यवस्था सेवा हेतु प्रभार लगाया गया था, मलव्यवस्था कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) मुम्बई के महाप्रबंधक (म प्र) (पूर्व–I) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2005) से पता चला कि ब न नि ने पोवाई, मुम्बई में दूरसंचार के स्ढाफ क्वार्टरों में अप्रैल 1998 से स्थायी मीटर पानी संयोजन उपलब्ध कराये थे और मलव्यवस्था प्रभार का भुगतान पानी के बिल के साथ किया जा रहा था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उपर्युक्त मलव्यवस्था प्रभार के अतिरिक्त ब न नि ने म टे नि लि के सम्पत्ति कर बिल

में मलव्यवस्था कर को भी शामिल किया था, जिसका भुगतान म टे नि लि द्वारा कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 से सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान 89 लाख रू. के मलव्यवस्था कर का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने अधिक भुगतान स्वीकार किया (अगस्त 2005) तथा इसकी वापसी का दावा किया। ब न नि ने म टे नि लि को सूचित किया (अक्तूबर 2005) कि सम्पत्ति कर तथा पानी प्रभार भुगतान वाउचर की शर्त पर वापसी आवेदन पत्र की प्राप्ति–तारीख से विगत पांच वर्षों के लिये स्वीकार्य होगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि म टे नि लि मुम्बई ने मलव्यवस्था कर के अधिक भुगतान की वापसी के बारे में ब न नि के साथ उठाया था, उन्होंने ब न नि को अनुदेश नहीं दिये कि वे बाद के बिलों में सम्पत्ति कर बिल से मलव्यवस्था कर को शामिल न करें। परिणामतः म टे नि लि मुम्बई ने मलव्यवस्था कर व मलव्यवस्था प्रभार दोनों का भुगतान जारी रखा, परिणामस्वरूप, मार्च 2006 तक 1.06 करोड़ रू. के मलव्यवस्था कर का कुल अधिक भुगतान हुआ। 1.06 करोड़ रू. के मलव्यवस्था कर के अधिक भुगतान में से, प्रबन्धन ने 28.23 लाख रू. (जून 2006) समायोजित किये तथा 11.34 लाख रू. की वापसी के अवसर नगण्य थे क्योंकि ब न नि ने पांच वर्षों से भी अधिक पुराने दावों को अस्वीकार कर दिया।

इस प्रकार, म टे नि लि मुम्बई द्वारा उचित व्यावसायिक देखभाल न होने पर 1.06 करोड़ रू. के मलव्यवस्था कर का अनावश्यक भुगतान हुआ।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया उत्तर आपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.9 बिजली शुल्क का अधिक भुगतान

महाप्रबन्धक (पश्चिम–।।), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये निर्धारित दर से उच्चतर पर बिजली शुल्क का भुगतान किया, परिणामस्वरूप 59.37 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1997 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दूरसंचार विभाग का वर्गीकरण एक उद्योग के रूप में किया था। वित्त अधिनियम 2002–03 ने भी दूरसंचार सेवाओं को औद्योगिक दर्जा दिया था।

महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2003 से क्रमशः औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु छः प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत पर बिजली शुल्क की उगाही के लिये आदेश जारी किये थे।

महाप्रबंधक (पश्चिम–।।) म टे नि लि मुम्बई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2006) से पता चला कि रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड (आर इ एल) ने कम्पनी से वाणिज्यिक प्रयोक्ता के लिये लागू 13 प्रतिशत की दर पर बिजली शुल्क प्रभार किया छः प्रतिशत की जगह पर जो कि औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए निर्धारित है और कम्पनी द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 59.37 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ जो कि अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान म टे नि लि मुम्बई के पश्चिम–।। क्षेत्र के तहत तीन दूरभाष एक्सचेंज के सम्बंध में था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, म टे नि लि मुम्बई के सम्बन्धित मंडलीय अभियंता ने बताया (फरवरी 2006) कि मामला आर इ एल के साथ उठाया जायेगा। लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2006) कि म टे नि लि मुम्बई ने जुलाई 2006 में 59.37 लाख रू. का अधिक भुगतान किया बिजली शुल्क की वापसी के लिये आर ई एल से दावा दर्ज किया और उल्लेख किया कि जनवरी से जून 2006 की अवधि के लिये अधिक भुगतान का अलग हिसाब बनता था।

मामला नवम्बर 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2006)।

4.10 विदेश यात्रा पर अनियमित व्यय

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सार्वजनिक उद्यम विभाग के अनुदेशों के अनुसार अपने कर्मचारियों का विदेश यात्रा दावा नियमन करने विफल रहा परिणामस्वरूप मई 2001 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान 44.85 लाख रू. का अनियमित व्यय हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ) के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय में मितव्ययता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, सार्वजनिक उद्यम विभाग (सा उ वि) ने अनुदेश जारी किये (सितम्बर 1995) जिसके अनुसार विदेश यात्रा के सम्बंध में भुगतान की गई समेकित राशि को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दिशानिर्देशों में कमरा किराया, टैक्सी प्रभार, मनोरंजन (यदि कोई है), सरकारी दूरभाष कॉल तथा दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अन्य आकस्मिक व्यय कवर करना था। दौरे से वापसी पर, विदेश मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त व्यय की सभी मदों के लिये लेखे देने अपेक्षित थे।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) बोर्ड ने म टे नि लि में क्रियान्वयन के लिये विदेश यात्रा के नियमों का अनुमोदन करते समय (जनवरी 2000) उपखंड 2 (ई) को शामिल किया, जिसने अनुबंध किया कि दूरभाष, परिवहन, आकस्मिक तथा विविध व्यय जो वास्तविक है, किये गये व्यय के प्रमाणीकरण के आधार पर विशिष्ट प्रयोजनों का उल्लेख किये बिना किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, म टे नि लि बोर्ड ने होटल सुविधा व मनोरंजन व्यय के सम्बंध में बिलों का प्रस्तुतीकरण निर्धारित किया।

मई 2001 से मार्च 2005 में दूरभाष, परिवहन, आकस्मिक और विविध व्यय के सम्बंध में कम्पनी के कर्मचारियों के विदेश यात्रा दावे की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2005) से पता चला कि 44.85 लाख रू. की राशि के दावे स्व प्रमाणीकरण के आधार पर स्वीकार कर लिये गये थे जो वाउचरों द्वारा समर्थित किसी लेखे के बिना थे, सा उ वि के दिशा निर्देशों के विरूद्ध थे।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2005) कि म टे नि लि बोर्ड ने विदेश यात्रा की हकदारी के लिये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियम अनुमोदित कर दिया था और म टे नि लि जो नवरत्न सा क्षे उ था, बोर्ड के फैसला के अनुसार नीति–मामलों पर निर्णय कर सकता था । उन्होंने यह भी बताया कि कठोर उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिये भरसक प्रयास किया जा रहा था, लेखापरीक्षा से टिप्पणी ठीक ली गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विदेश यात्रा के लिये दावे कम्पनी के यात्रा भत्ता नियम जो उन प्रकरणों में लागू हो के अनुसार स्वीकार किये गये थे । प्रबधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। जैसा कि म टे नि लि बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के विदेश यात्रा दावे स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर अनुमत किये वे डी पी ई के निर्देशों के विरूद्ध थे जिसमें लेखों के प्रस्तुत करने की शर्त लगायी गई इसके अतिरिक्त सा उ वि के दिशानिर्देश वगैर अपवाद के नवरत्न सा क्षे उ के प्रकरण सहित सभी सा क्षे उ के लिये लागू थे।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। उत्तर अपेक्षित था (दिसम्बर 2006)।

अध्याय V
आई टी आई लिमिटेड
लेनदेन लेखा परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

5.1 पूर्ति में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

एन्टीना की अधिप्राप्ति के लिये सामयिक कार्रवाई शुरू करने में कंम्पनी की विफलता के कारण 1.24 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान के अतिरिक्त आपूर्ति में विलम्ब हुआ व कीमतों में गिरावट के कारण 1.25 करोड़ रू. का नगद नुकसान हुआ।

कंम्पनी ने मई 2003 में अन्य सहायक उपकरणों के साथ दूरसंचार उपकरणों° की पूर्ति हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड से एक अग्रिम क्रय आदेश (ए पी ओ) प्राप्त किया। अग्रिम क्रय आदेश के अनुसार क्रय आदेश (पी ओ) के विरूद्ध आपूर्ति शुरू करने से पहले कम्पनी को भा सं नि लि से टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र (टी ए सी) लेना था।

भा सं नि लि ने कुल मिलाकर (फरवरी 2004 से अप्रैल 2004) 15.16 करोड़ रू.* के अस्थाई कीमतों पर उपरोक्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु तीन क्रय आदेश (पी ओ) दिये। क्रय आदेशों के अनुसार (i) कम्पनी को आदेश दिये जाने के छः माह के अन्दर आपूर्ति पूरी करनी थी, यानि अगस्त से अक्तुबर 2004 के बीच (ii) नियत मूल सुपुर्दगी की समाप्ति के बाद की गई आपूर्ति पर परिनिर्धारित नुकसान (एल डी) लगेगा। इसके अतिरिक्त सुपुर्दगी बढ़ाने के प्रत्येक प्रकरण की जांच नये प्रचलित बाजारू दरो की तुलना से होगी जैसा कि भा सं नि लि की अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निविदा की सामान्य शर्तो में निश्चित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (जुलाई 2005) अग्रिम क्रय आदेश (मई 2003) की प्राप्ति के 10 महीनों बाद भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड (भा इ लि नि) को एन्टेना अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया (मार्च 2004), जबकि इस प्रणाली में टी ए सी की जरूरत भी एक मुख्य अंग था। फलस्वरूप, कम्पनी नियम अनुबद्ध सुपुर्दगी के अंदर उपस्कर की आपूर्ति न कर सकी व भा सं नि लि ने परिनिर्धारित नुकसान (एल डी) की उगाही के साथ नियत सुपुर्दगी को सितम्बर 2004 में बढ़ा दिया। उसी समय, सितम्बर 2004 में खुली निविदाओं में अनुमोदित कम कीमतों के कारण भा सं नि लि ने क्रय आदेशों की अस्थाई मूल्य को 10.70 करोड़ रू.° तक कम कर दिया।

फरवरी 2004 के क्रय आदेश में सुपुर्दगी के बढ़ाने पर कीमत कम होने के कारण कम्पनी को 1.25 करोड़ रू. (सामग्री लागत–विक्रय कीमत) का नगद नुकसान हुआ। आगे कम्पनी ने आपूर्ति में विलम्ब के कारण किताबों में 1.24 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान के लिए प्रावधान किया, जिसमें दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये बिलों में से भा सं नि लि ने 39.40 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान को वसूल कर लिया था। कम्पनी द्वारा आपूर्ति फरवरी 2006 में कर दी गयी।

° सी बैंड (पेकज–I) उपस्कर व ईको कैन्सलर सैल्फ में 2 एम बी इटरमीडिएट डेटा रेट (आई डी आर) सिस्टम

* आई डी आर उपस्कर के लिए फरवरी 2004 में क्रय आदेश (8.26 करोड़ रू.), इको चान्सकर व सैल्वस के लिए मार्च 2004 में क्रय आदेश (3.53 करोड़ रू.) व आई डी आर उपस्कर हेतु अप्रैल 2004 में क्रय आदेश (3.37 करोड़ रू.)

° फरवरी 2004, मार्च 2004, अप्रैल 2004 के क्रय आदेशों की कम कीमत क्रमशः 5.43 करोड़ रू., 2.04 करोड़ रू. व 3.23 करोड़ रू. थी।

प्रबन्धन ने (जून 2006) में बताया कि कोई विलम्ब नही हुआ क्योंकि भा सं नि लि से क्रय आदेश फरवरी 2004 में प्राप्त हुआ व ई सी आई एफ को एन्टेना के लिए मार्च 2004 में आदेश दिया गया। चुंकि ई सी आई एल को एन्टेना कार्यक्षेत्र परीक्षा व भा सं नि लि द्वारा टी ए सी अनुमति के बाद ही आपूर्ति किये जाने थे, इसलिए ई सी आई एफ से आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा सं नि लि के अग्रिम क्रय आदेश (मई 2003) में यह निर्दिष्ट था कि बोलीदाता को आपूर्ति शुरू इससे पहले टी ए सी लेना आवश्यक है अतः अग्रिम क्रय आदेश प्राप्त होने पर, टी ए सी के लिए सामग्री अधिप्राप्त करने हेतु कंम्पनी को तुरन्त कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी।

इस प्रकार सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम क्रय आदेश की प्राप्ति व वांछित टी ए सी प्राप्त करने में समय पर कार्रवाई में विफलता के कारण आपूर्ति में विलम्ब हुआ। इसके फलस्वरूप 1.24 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान के भुगतान के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त 1.25 करोड़ रू. का कीमतों में कमी के कारण नगद नुकसान हुआ। (जिसमें से 39.40 लाख रू. का भुगतान किया गया)।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

5.2 निरीक्षण व आपूर्ति में विलम्ब के कारण हानि

क्रय आदेश में सहमत परीक्षण के लिए वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कम्पनी की विफलता के कारण निरीक्षण, आपूर्ति में विलम्ब हुआ व तत्पश्चात् 1.16 करोड़ रू. का परिनिर्धारण नुकसान लगा

कम्पनी ने 9.49 करोड़ रू. की सभी कुछ सम्मिलित कीमत पर एन्टेना, फीडर व अन्य सहायक उपस्करों सहित 6250 एस्सर एफ एफ सब्सक्राइबर टर्मिनल (टर्मिनल्स) सेटो की आपूर्ति हेतु (फरवरी 2002) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई से क्रय आदेश (पी ओ) प्राप्त किया। क्रय आदेश में निम्नलिखित प्रावधान था :

(i) क्रय आदेश जारी होने के चार सप्ताहों के अन्दर टर्मिनल निरीक्षण हेतु सौंपे जायेंगे अथार्त् 18 मार्च 2002 और आपूर्ति क्रय आदेश जारी हाने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर शुरू हो जानी चाहिए अर्थात् 16 अप्रैल 2006।

(ii) परीक्षण व सिस्टम डिजाइन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये निरीक्षण के लिए परीक्षण सारणी परस्पर विचार कर की जाएगी व यदि खरीददार ऐसे परीक्षणों को अपूर्तिकर्ता के यहॉ करना चाहता है, तो सभी समुचित सुविधाएँ जैसे कि परीक्षण उपकरण व परीक्षण जुगते बिना किसी के प्रभार उपलब्ध कराएं जायेगें व

(iii) विलम्ब के मामले में म टे नि लि परिनिर्धारण नुकसान (एल डी) को वसूल करने का हकदार था,

आदेश को क्रियान्वित करने के लिए, कम्पनी ने अपनी सहयोगियों एल जी इलैक्ट्रनिक्स आई एन सी कोरिया (एल जी) को फरवरी 2002 में 6250 टर्मिनल देने हेतु आदेश दिया। आयातित ट्रर्मिनल 18 मार्च 2002 को बंगलौर में निरीक्षण हेतु सौंपे गये, जो कि 19 अप्रैल व 23 अप्रैल 2002 के बीच म टे नि लि द्वारा निरीक्षित किये गये। म टे नि लि ने अपनी रिपोर्ट (29 अप्रैल 2002) में निर्दिष्ट किया कि कुछ परीक्षण निरीक्षण के लिए नही दिये जा सके व कुछ परीक्षण म टे नि लि मुम्बई को वास्तविक वायु अन्तरा पृष्ठ में दिखाये जाने थे।

कम्पनी ने (मई 2002) यह विश्वास किया की कुछ परीक्षणों की जिन्हें आधारभूत उपस्करों के न मिलने के कारण पूरा न किया जा सका, जरूरतों को पूरा किया जायेगा, म टे नि लि से इस आधार पर प्रेषण आपत्ति देने का अनुरोध किया कि एल जी ने वही माडल उसी टेन्डर से पहले भी म टे नि लि को आपूर्ति किये गये थे व स्वयं प्रमाणन के आधार पर म टे नि लि द्वारा स्वीकार किये गये थे। कम्पनी के अनुरोध को म टे नि लि द्वारा स्वीकार (जुलाई 2002) नहीं किया गया। अतः कम्पनी ने सितम्बर/अक्तूबर 2002 के दौरान परीक्षण के लिए प्रबन्ध किया व 15 नवम्बर 2002 तक आपूर्ति की। म टे नि लि ने अदायगी देते हुऐ 1.16 करोड़ रू. की परिनिर्धारण नुकसान (एल डी) की उगाही की, कम्पनी की परिनिर्धारण नुकसान को माफ करने के अनुरोध को म टे नि लि द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने (जून 2006) में कहा कि (i) कम्पनी के पास उपलब्ध परीक्षण उपकरणों से अधिकांश आपूर्ति का परीक्षण किया गया, (ii) म टे नि लि ने इनको जीवन्त नेटवर्क में परीक्षण करने पर बल दिया जो कि केवल सेवादाताओ के पास उपलब्ध था और (iii) कम्पनी को आगे के परीक्षण के लिए म टे नि लि के नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ा जिसके लिए म टे नि लि द्वारा केवल सितम्बर 2002 में अनुमति दी गई।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्र आ की शर्तों के अनुसार निर्धारित निरीक्षण से पहले कम्पनी को सभी सुमुचित सुविधाएं व सहायता प्रदान करनी थी, लेकिन आधारभूत उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी कुछ परीक्षण न करवा सकी। कम्पनी ने आखिरकार परीक्षणों के लिए व्यवस्था की जो सितम्बर/अक्तूबर 2002 में किये गये। इस प्रकार कम्पनी द्वारा परीक्षण के लिए क्र आ में सहमत सुविधाओं को उपलब्ध करवानें में विफलता के कारण, निरीक्षण तथा आपूर्ति में विलम्ब हुआ व तत्पश्चात् 1.16 करोड़ रू. की एल डी की उगाही हुई।

अक्तूबर 2006 में मामला मंत्रालय को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

5.3 विद्युत प्रभारों का उच्चतर दरों पर भुगतान

वाणिज्यक भार को घरेलू भार से अलग करने में देरी व यू पी पी सी एफ से अपर्याप्त अनुसरण के कारण उच्चतर दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान तथा तत्पश्चात् 1.08 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय

कम्पनी की रायबरेली इकाई ने (अक्तूबर 1990 में) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अब उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड (यू पी पी सी एल) से एक 6,000 के वी ए भार के लिए अनुबंध किया (कम्पनी की टाउनशिप के लिए 588 के वी ए को सम्मिलित कर)। एक ही सिंगल पोइंट कनेक्शन औद्योगिक/वाणिज्यिक घरेलू उद्धेश्य बीच लोड को अलग किये बगैर था। उसमें टाउनशिप के आवासीय लोड के लिए अलग से मीटरिंग की व्यवस्था नही थी, यद्यपि आवासों के लिए अलग से मीटर लगाने थे। मिश्रित लोड होने की वजह से, कम्पनी ने पूरे विद्युत उपभोग का भुगतान उच्च दर (एच वी 2) पर किया, कम्पनी टाउनशिप के आवासीय उद्धेश्यों के लिए उपभोग की गई बिजली सहित जो कि बड़े एव भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं या प्रोसेसिंग उद्धेश्यों के लिये लागू था।

लेखापरीक्षा में (जून 2004) यह पाया गया कि कम्पनी यू पी पी सी एल को टाउनशिप की पावर उपभोग के लिये लगातार उच्च दरों पर भुगतान कर रही थी जबकि वह अपने कर्मचारियों से वसूली निम्न दर (एल एम वी 1 दरों) जो कि घरेलू उपभोग के लिए थी, से की। कम्पनी द्वारा टाउनशिप में विद्युत उपभोग के लिए अलग से बिल जारी करने के लिए यू पी पी सी एल से

अनुरोध करने पर (अप्रैल 1998) टाउनशिप के लिए अलग से अनुबंध किये जाने की सलाह दी (मई 1998)। कम्पनी ने आवासीय लोड को वाणिज्यिक लोड से अक्तूबर 2004 में अलग किया इसी समय कम्पनी ने अधिशासी अभियन्ता व उप महाप्रबन्धक के स्तर पर टाउनशिप के लिए अलग से फीडर उपलब्ध करवाने हेतु यू पी पी सी एल से लगातार अनुरोध किया, लेकिन इसे उच्च स्तर पर नही लिया गया। यह यू पी पी सी एल के अधिकारियों द्वारा विलम्ब की अपर्याप्त प्रतिक्रिया का मामला समझा था, टाउनशिप के लिए अलग से संयोजन अभी स्थापित किया जाना (जुलाई 2006) व कम्पनी अक्तूबर 2001 से मार्च 2006 तक के दौरान टाउनशिप द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एच वी–2[@] की उच्चतर दरों पर भुगतान करती रही, फलस्वरूप 1.08 करोड़ रू[#] का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2005) कि यू पी पी सी एल द्वारा बिलिंग प्रयोजन के लिए टाउनशिप के लिए एक टाउनशिप लोड को अलग कर दिया गया है व इस उद्धेश्य के लिए यू पी पी सी एल द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

घरेलू भार को वाणिज्यिक भार से अलग करने में हुये विलम्ब व यू पी पी सी एल से अपर्याप्त अनुसरण के कारण उच्चतर दरों पर बिजली के प्रभारों का भुगतान हुआ व तत्पश्चात् 1.08 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

5.4 स्थापित करने में विलम्ब व तदनुरूपी ब्याज की हानि

8 लाख रू. की कीमत वाले नेटवर्क मैंनेजमैट सिस्टम को आपूर्ति स्थापित करने में विलम्ब के कारण पिछले चार वर्षो में 1.27 करोड़ रू. की गैर–उगाही व 84.40 लाख रू. का तदनुरूपी हानि

सात भू केन्द्रो (13 स्थानों पर नेटवर्क संयोजनता के साथ) पर 4.98 करोड़ रू. की सभी सम्मिलित कीमत पर हार्डवयेर व सम्बन्धित मदों की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए कम्पनी को (जनवरी 1999) रक्षा मंत्रालय, रडार व संचार योजना कार्यालय (र सं यो का) नई दिल्ली से एक क्रय आदेश मिला, आदेश दिये जाने के छः माह के अन्दर पूर्ति व स्थापना की जानी थी।

कम्पनी ने 8 लाख रू. के नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (एन एम एस) को छोड़कर, जोकि निर्धारित मापदण्ड का न होने के कारण ग्राहक द्वारा निरस्त कर दिया गया था (दिसम्बर 2000) की आपूर्ति अगस्त 2000 से जुन 2002 के दौरान पूरी की। र सं यो का (जुलाई 2001) ने मै सि की बदलती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवश्यकताओं को बदल दिया; कम्पनी ने (जुलाई 2002) ने मै सि के कार्य को बाहर से करवाने का निर्णय लिया व एक बाह्य प्रदायक को (दिसम्बर 2002) में इसका कार्य दे दिया। इसी बीच नेटवर्क की स्थापना/कमीशन न होने के कारण कम्पनी ने 1.27 करोड़ रू. रोक लिए क्योंकि क्रय आदेशों में यह निहित था कि 25 प्रतिशत भुगतान केवल स्थापना, परीक्षण व कमीशन के बाद देनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (मार्च 2006) कम्पनी ने बाहय् प्रदायक का चयन बिना उसकी विश्वसनीयता के किया अतः बाह्य प्रदायक ने मै सि की आपूर्ति करने में असफल रहा व (अक्तूबर 2004) अपने व्यवसाय को बन्द कर दिया। इसी बीच र सं यो का ने फिर (मार्च 2004)

[@] अक्तुबर 2001 से मार्च 2006 तक एल एम वी –1 दर 2.95 रू. प्रति यूनिट से 3.00 रू. प्रति यूनिट रही वे एच वी–2 की दरें 3.50 रू. प्रति यूनिट से 3.75 रू. प्रति यूनिट रही।

[#] स्कूल, शांपिग सेंटर व पोस्ट आफिस में वाणिज्यक भार को आवसीय मकानों से अलग इस के बाद टाउनशिप की 2005–06 वे घरेलू उपभोग पर आधारित।

ने मैं सि के लिए अपनी जरूरतों को बदला। तथापि ने मैं सि जो कि र सं यो का ने नहीं लिये थे को छोड़कर 25 प्रतिशत बकाया भुगतान के लिये मामला नही उठाया गया। कम्पनी ने फिर मैं सि को स्वयं ही विकसित करना शुरू किया, आपूर्ति (अप्रैल 2006) तक पूरी नही की गई।

प्रबन्धन ने (जुलाई 2006) बताया कि नौ स्थलों पर कम्पनी का ने मैं सि की डिज़ाइन को (दिसम्बर 2000) ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ग्राहक ने ने मैं सि की विशिष्टता को प्रथागत हार्डवेयर साल्युशन पी सी आधारित कर दिया व इन नौ स्थलों के लिए वांछित हार्डवेयर का नवम्बर 2002 में प्रबन्ध किया गया लेकिन ग्राहक ने साफ्टवेयर में समय–समय पर बदलाव किया, जिससे आपूर्ति/प्रोजेक्ट में विलम्ब हुआ।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि प्रारम्भ में कम्पनी ने मैं सि को विशिष्टता के अनुसार पूर्ति व स्थापित करने में विफल रही व बाहय् प्रदायक के गलत चुनाव के कारण आपूर्ति में विलम्ब हुआ, फलस्वरूप मार्च 2006 तक 84.40 लाख रूपये के ब्याज के नुकसान के साथ–साथ पिछले चार वर्षों* में र सं यो का से 1.27 करोड़ रू. की उगाही नहीं हो सकी।

नवम्बर 2006 में मामला मंत्रालय को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

* जून 2002 से किया गया जब वास्तविक पूर्ति की गई थी।

अध्याय VI
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

७. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिये गए सभी विषयों के बारे में कार्यकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, लोक लेखा समिति (लो ले स) ने 1982 में निर्णय लिया कि उनमें समाविष्ट सभी पैराग्राफ़ों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग अन्तिम उपचारी/की गई शोधन कार्यवाई टिप्पणी (की का टि) प्रस्तुत करेंगे।

लो ले स ने नौंवे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) जो कि 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत किया गया, में अपने पहले के विचारों को दोहराते हुए की का टि को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब तथा विफलता को गम्भीरता से लिया।

लोक सभा सचिवालय ने भी (जुलाई 1985) में सभी मंत्रालयों को अनुरोध किया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) में सम्मिलित सभी पैराग्राफों/अधिमूल्यन से संबंधित त्वरित/सही–कार्यवाही दर्शाने वाली टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित) संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित समिति (सा क्षे उ समिति) द्वारा विस्तृत जांचों के लिए नहीं चुने हुए पैराग्राफों/अधिमूल्यनों के संबंध में ऐसी टिप्पणियों को भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, सा क्षे उ स ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998–99–बारहवीं लोकसभा) में लोकसभा सचिवालय द्वारा जुलाई 1985 में जारी उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते हुए सिफारिश की कि संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के सभी प्रतिवेदनों पर संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के छः माह के अन्दर की गई अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणियां लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित होने के पश्चात सा क्षे उ समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की अनुवर्ती कार्यवाही में, सा क्षे उ स ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999–2000–तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (सा उ वि) को अपने आप सा उ वि में एक मानीटरिंग सैल स्थापित करना चाहिये जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उपक्रमों पर की गई टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्यवाही के निष्कर्षों की जांच कर सके।

दूरसंचार विभाग (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित की का टि की समीक्षा से पता चला कि 174 पैराग्राफों, जिनका विवरण परिशिष्ट–XXVII में है, के संबंध में अन्तिम की का टि अक्तूबर 2006 तक प्रतीक्षित थी।

सी. वी. अवधानी

(सी. वी. अवधानी)
उप नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 23 फरवरी 2007

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 26 फरवरी 2007

परिशिष्ट

परिशिष्ट II

(पृष्ठ संख्या 9 पर पैराग्राफ 2.1 में संदर्भित)

एक्सचेंजों की बढ़ी हुई धारक क्षमता के अनुरूप किराये के प्रभार की कम वसूली

(लाख रू. में)

क्र. सं.	सै. स्वी. क्षेत्र का नाम	कम बिल की अवधि	कम बिल की राशि	वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल					
1.	निजामाबाद	अगस्त 2004 से अगस्त 2005 तक	6.21	0.00	6.21
		अप्रैल 2003 से फरवरी 2006 तक	51.94	0.00	51.94
2.	करीम नगर	मार्च 2002 से सितंबर 2003 तक	27.40	0.00	27.40
3.	श्री काकूलम	अप्रैल 2003 से नवंबर 2005 तक	56.07	0.00	56.07
		लघु योग	*141.62*	*0.00*	*141.62*
पूर्वी उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल					
4.	बलिया	मार्च 2004 से नवंबर 2005 तक	36.17	0.00	36.17
5.	फर्रूखाबाद	अप्रैल 2003 से दिसंबर 2004 तक	9.15	0.00	9.15
		लघु योग	*45.32*	*0.00*	*45.32*
		कुल योग	186.94	0.00	186.94

परिशिष्ट III
(पृष्ठ संख्या 10 पर पैराग्राफ 2.2 में संदर्भित)
देयों के भुगतान न होने के बावजूद दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना

(लाख रू. में)

क्र.सं.	लाईन/केबल/परिपथों का विवरण	कम वसूली गैर वसूली की अवधि	कम वसूली/गैर वसूली की पूरी राशि	लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी होने के बाद की गई वसूली का विवरण	
				वसूल की गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है।
1	2	3	4	5	6
बिहार दूरसंचार परिमंडल					
1	महाप्रबंधक दूरसंचार जिला भागलपुर के अधीन 567 दूरभाष अभिदाता	मार्च 2000 से सितंबर 2005 तक	75.85	0.00	75.85
2	दूरसंचार जिला प्रबंधक मोतीहारी के अधीन 260 दूरभाष अभिदाता	नवंबर 2000 से सितंबर 2005 तक	42.26	0.00	42.26
3	दू जि प्र समस्तीपुर के अधीन 150 दूरभाष अभिदाता	अप्रैल 2004 से दिसंबर 2005 तक	60.63	0.00	60.63
4	महाप्रबंधक दूरसंचार जिला छपरा के अधीन 103 दूरभाष अभिदाता	अप्रैल 2004 से दिसंबर 2005 तक	66.56	0.00	66.56
5	द जि प्रबंधक मोतीहारी के अधीन 341 एस टी डी/पी सी ओ	जनवरी 2001 से दिसंबर 2005 तक	36.27	0.00	36.27
6	दू जि प्र समस्तीपुर के अधीन 12 एस टी डी/पी सी ओ	अप्रैल 2004 से दिसंबर 2005 तक	5.35	0.00	5.35
7	म दू जि भागलपुर के अधीन 285 दूरभाष अभिदाता	अगस्त 2004 से अक्तूबर 2005 तक	32.81	0.00	32.81
		लघु योग	***319.73***	***0.00***	***319.73***
झारखंड दूरसंचार परिमंडल					
8	म दू जि रांची में 23 विभिन्न दूरभाष अभिदाता	सितंबर 1996 से अप्रैल 2005 तक	70.44	0.00	70.44
9	म दू जि जमशेदपुर के अधीन 338 दूरभाष अभिदाता	अप्रैल 2005 से दिसंबर 2005 तक	31.77	0.00	31.77
10	म दू जि जमशेदपुर के अधीन 141 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	अप्रैल 2005 से दिसंबर 2005 तक	20.05	0.00	20.05
11	दू जि प्र डाल्टनगंज के अधीन 37 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	अप्रैल 2002 से दिसंबर 2005 तक	21.32	0.00	21.32
		लघु योग	***143.58***	***0.00***	***143.58***
कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल					
12	म दू जि हुबली के अधीन 498 दूरभाष अभिदाता	सितंबर 1997 से नवम्बर 2005 तक	124.86	0.00	124.86
		लघु योग	***124.86***	***0.00***	***124.86***
राजस्थान दूरसंचार परिमंडल					
13	म दू जि अलवर के अधीन 211 दूरभाष अभिदाता	मई 2001 से नवम्बर 2004 तक	16.29	7.18	9.11

क्र.सं.	लाईन/केबल/परिपथों का विवरण	कम वसूली गैर वसूली की अवधि	कम वसूली/गैर वसूली की पूरी राशि	लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी होने के बाद की गई वसूली का विवरण	
				वसूल की गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है।
1	2	3	4	5	6
14	म दू जि श्रीगंगानगर के अधीन 252 दूरभाष अभिदाता	जुलाई 2003 से नवम्बर 2004 तक	20.76	8.38	12.38
15	दू जि प्र चित्तौड़गढ़ के अधीन 108 दूरभाष अभिदाता	जुलाई 2001 से जुलाई 2004 तक	8.89	3.76	5.13
16	म दू जि उदयपुर के अधीन 181 दूरभाष अभिदाता	जुलाई 2001 से जुलाई 2004 तक	12.89	6.90	5.99
17	प्र म दू जयपुर द्वारा प्रदान किये गये 1166 दूरभाष अभिदाता और 52 एस टी डी/पी सी ओ	मार्च 1997 से सितंबर 2004 तक	112.63	52.18	60.45
		लघु योग	*171.46*	*78.40*	*93.06*
पूर्वी उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल					
18	म दू जि फैजाबाद के अधीन 118 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	अक्तूबर 2000 से फरवरी 2006 तक	26.60	0.00	26.60
19	म दू जि इलाहाबाद के अधीन 94 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	अक्तूबर 2000 से फरवरी 2006 तक	16.72	0.00	16.72
20	म दू जि कानपुर के अधीन 579 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	जून 1996 से मार्च 2005 तक	48.88	0.00	48.88
		लघु योग	*92.20*	*0.00*	*92.20*
पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल					
21	म दू जि मुजफ्फर नगर के अधीन 40 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	जून 2002 से फरवरी 2005 तक	6.18	0.00	6.18
22	म दू जि मुरादाबाद के अधीन 123 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	अक्तूबर 2000 से फरवरी 2006 तक	18.37	0.00	18.37
23	म दू जि नौयडा के अधीन 236 एस टी डी/पी सी ओ प्रचालक	सितंबर 1998 से दिसंबर 2005 तक	51.62	0.00	51.62
		लघु योग	*76.17*	*0.00*	*76.17*
		कुल योग	928.00	78.40	849.60

परिशिष्ट III
(पृष्ठ संख्या 11 पर पैराग्राफ 2.3 में संदर्भित)
सम्पूर्ण संज्ञापन पत्रों के गैर प्राप्ति के कारण बिलों का न बनना

(लाख रू. में)

क्र. सं.	लाईन/केबल सर्किट का विवरण	संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण जारी न किये गये बिलों की अवधि और राशि		लेखापरीक्षा अवलोकन जारी होने के पश्चात की गई वसूली का विवरण	
		अवधि	राशि	वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
बिहार दूरसंचार परिमंडल					
1.	म दू जि छपरा द्वारा रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम और सैन्ट्रल बैंक को स्पीच सर्किट और हाट लाईन का प्रावधान	दिसंबर 2002 से जनवरी 2006 तक	14.63	0.00	14.63
2.	दू जि प्र समस्तीपुर द्वारा रेलवे को डाटा सर्किट और डी आई डी सुविधा का प्रावधान	सितंबर 2003 से सितंबर 2006 तक	5.03	0.00	5.03
		लघु योग	***19.66***	***0.00***	***19.66***
गुजरात दूरसंचार परिमंडल					
3.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स संचार टेलीनेट को 512 के बी पी एस सर्किट का प्रावधान	दिसंबर 2001 से मार्च 2005 तक	23.27	19.63	3.64
4.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स बिड़ला ए टी टी कम्यूनीकेशनस को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	दिसंबर 2001 से दिसंबर 2003 तक	8.36	1.69	6.67
5.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स फास्कल लि0 को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	नवंबर 2002 से नवंबर 2003 तक	7.25	0.00	7.25
6.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स फास्कल लि0 को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	अक्तूबर 2002 से नवंबर 2003 तक	8.70	8.70 ♣	0.00
7.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स फास्कल लि0 को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	नवंबर 2002 से नवंबर 2003 तक	8.70	8.70 ♣	0.00
8.	म दू जि भाव नगर द्वारा मैसर्स बिडला ए टी टी कम्युनिकेशन्स को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	मई 2002 से मई 2003 तक	8.33	5.64	2.69
9.	म दू जि सुन्दर नगर द्वारा मरदिया कैमिकल्स लि0 को विशेष सर्किट का प्रावधान	जुलाई 2001 से जुलाई 2002 तक	0.49	0.00	0.49
10.	म दू जि सुन्दर नगर द्वारा मै. फॉस्कल लि0 को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	जनवरी 2003 से जनवरी 2004 तक	3.75	3.75	0.00
11.	म दू जि सुन्दर नगर द्वारा मैं बिड़ला ए टी टी कम्यू. लि. को 2 एम बी सर्किट का प्रावधान	अप्रैल 2003 से अप्रैल 2004 तक	3.77	3.77	0.00

♣ मार्च 2004 तक वास्तविक वसूली 11.29 लाख और सर्किट 31 मार्च 2004 को बन्द कर दिये गये।

क्र. सं.	लाईन/केबल सर्किट का विवरण	संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण जारी न किये गये बिलों की अवधि और राशि		लेखापरीक्षा अवलोकन जारी होने के पश्चात की गई वसूली का विवरण	
		अवधि	राशि	वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
12.	म दू जि सुन्दर नगर द्वारा राना रामदेव सिंह को विशेष सर्किट का प्रावधान	जनवरी 2003 से जनवरी 2004 तक	1.17	0.90	0.27
13.	सै. स्वी. क्षे. गांधीनगर द्वारा देना बैंक को 64 के बी पी एस सर्किट का प्रावधान	मार्च 2005 से मार्च 2006 तक	1.22	1.22	0.00
14.	सै. स्वी. क्षे. गांधीनगर द्वारा बी एस एन एल को 64 के बी पी एस का प्रावधान	फरवरी 2005 से मार्च 2006 तक	1.78	1.78	0.00
		लघु योग	*76.79*	*55.78*	*21.01*
राजस्थान दूरसंचार परिमंडल					
15.	म दू जि झुंझनु द्वारा श्याम टेली लिं और एअर सैल (हच) को अंतर संयोजन पोर्ट के प्वाइंट का प्रावधान	दिसंबर 2003 से दिसंबर 2006 तक	4.40	0.00	4.40
16.	म दू जि झुंझनु द्वारा रिलायन्स इन्फोकोम को अंतर संयोजन पोर्ट के प्वाइंट का प्रावधान	जुलाई 2004 से नवंबर 2006 तक	9.85	0.00	9.85
		लघु योग	*14.25*	*0.00*	*14.25*
		कुल योग	110.70	55.78	54.92

परिशिष्ट IV

(पृष्ठ संख्या 13 पर पैराग्राफ 2.5 में संदर्भित)

पश्चिमी बंगाल दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत सै. स्वी. क्षे. में संशोधित पल्स दरों की देरी से कार्यान्वयन/अकार्यान्वयन की वजह से हुए राजस्व की हानि का विवरण।

(रू. में राशि)

क्र. सं.	सै. स्वी. क्षे. का नाम	अकार्यान्वयन की अवधि	मीटरड कालों की संख्या	वास्तविक कालों की संख्या यदि परिवर्तन या पल्स दर कार्यान्वियत की जाती	बिल राशि	वास्तविक राशि जिसके बिल बनना थे	कम प्रभारित राशि (कॉलम 7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सूरी	01.01.2005 से 31.01.2005 तक	2,95,974	4,43,961	3,61,841	8,87,922	**5,26,081**
2.	दुर्गापुर	01.09.2004 से 31.12.2004 तक	16,68,190	33,36,380	21,04,140	40,03,656	**18,99,515**
				कुल	**24,65,981**	**48,91,578**	**24,25,596**

परिशिष्ट V

(पृष्ठ संख्या 15 पर पैराग्राफ 2.7 में संदर्भित)

निजी परिचालकों द्वारा अन्तर संयोजन उपयोग प्रभारों के भुगतान में देरी की वजह से वसूल किये जाने वाले ब्याज को दर्शाने वाला समेकित विवरण।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	निजी सेवा परिचालक का नाम	उन बिलों की संख्या जिनके भुगतान में देरी हुई	शामिल बिलों की आवधिक (बिलों की तारीख)	देरी की श्रेणी	भुगतान किये गये बिलों की राशि	भुगतान में देरी की वजह से ब्याज की
आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल						
			महबूबनगर सै स्वी क्षे			
1	आईडिया सैल्यूलर लि0	7	21 जून 03 से 21 दिसंबर 2004 तक	71 से 167 दिन	8.91	0.57
2	बी एम एल	4	20 सितंबर 2003 से 21 दिसंबर 2003 तक	71 से 163 दिन	6.18	0.46
3	टाटा टेली सर्विस लि0	3	18 फरवरी 2003 से 20 अप्रैल 2003 तक	91 से 152 दिन	1.97	0.15
4	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	8	21 अगस्त 2003 से 21 मार्च 2004 तक	52 से 180 दिन	52.42	2.75
5	बी टी एल	2	21 मार्च 03 और 21 मई 2004	68 से 73 दिन	4.73	0.22
	लघु योग	***24***			***74.21***	***4.15***
			सागरेडी सै स्वी क्षे			
6	भारती सैल्यूलर लि0	7	1 मई से 1 नवम्बर 2004	34 से 59 दिन	23.54	0.75
7	टाटा टैली सर्विज लि0	3	5 अगस्त 04 से 1 फरवरी 2005 तक	44 से 239 दिन	17.53	2.07
8	विदेश संचार निगम लि0	5	5 जून 2004 से 1 मार्च 2005 तक	32 से 295 दिन	3.83	0.27
9	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	7	1 मई से 1 दिसम्बर 2004 तक	52 से 193 दिन	46.75	3.76
10	आईडिया सैल्यूलर लि0	7	1 मई 2004 से 1 अप्रैल 2005 तक	50 से 123 दिन	9.51	0.45
	लघु योग	***29***			***101.16***	***7.30***
			श्री काकुलम सै स्वी क्षे			
11	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	2	4 अक्तूबर और 4 नवम्बर 2004	24 से 114 दिन	5.09	0.20
12	आईडिया सैल्यूलर लि0	5	5 मई से 5 दिसंबर 2004 तक	33 से 84 दिन	6.93	0.24
13	बी एम एल	1	1 जनवरी 2005	46 दिन	1.78	0.06
	लघु योग	***8***			***13.80***	***0.50***
	योग	61			189.17	11.95

क्र. सं.	निजी सेवा परिचालक का नाम	उन बिलों की संख्या जिनके भुगतान में देरी हुई	शामिल बिलों की आवधिक (बिलों की तारीख)	देरी की श्रेणी	भुगतान किये गये बिलों की राशि	भुगतान में देरी की वजह से ब्याज की
गुजरात दूरसंचार परिमंडल						
			मेहसाना सै स्वी क्षे			
14	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	14	4 सितंबर 2003 से 5 अगस्त 2004	4 से 36 दिन	197.63	2.30
	लघु योग	***14***			***197.63***	***2.30***
			भावनगर सै स्वी क्षे			
15	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	15	1 मार्च से 1 जुलाई 2004	31 से 91 दिन	46.54	1.64
16	टाटा टैली सर्विज लि0	4	1 मई और जून 2004	49 से 88 दिन	6.05	0.27
	लघु योग	***19***			***52.59***	***1.91***
			वलसाढ़ सै स्वी क्षे			
17	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	58	11 सितंबर 2003 से 19 अगस्त 2004	20 से 266 दिन	240.29	10.49
	लघु योग	***58***			***240.29***	***10.49***
			भरूच सै स्वी क्षे			
18	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	58	17 अक्तूबर 2003 से 16 अक्तूबर 2004	3 से 258 दिन	239.75	6.74
19	विदेश संचार निगम लि0	5	11 सितंबर 2004 से 11 मई 2005	42 से 88 दिन	9.13	0.38
	लघु योग	***63***			***248.88***	***7.12***
	योग	**154**			**739.39**	**21.82**
केरल दूरसंचार परिमंडल						
			इरनाकुलम सै स्वी क्षे			
20	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	5	5 जनवरी से 31 मार्च 2005	120 से 262 दिन	102.59	16.30
21	विदेश संचार निगम लि0	1	10-मई 05	1 दिन	79.33	0.03
22	विदेश संचार निगम लि0	4	10 मई 10 अगस्त 2005	1 से 37 दिन	416.70	0.83
23	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	1	10- जून-05	4 दिन	60.00	0.09
	लघु योग	***11***			***658.62***	***17.25***
			कालीकट सै स्वी क्षे			
24	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	17	6 जून 2003 से 6 मार्च 2005	2 से 40 दिन	1106.15	5.18
25	बी पी एल	22	6 जून 2003 से 6 मार्च 2005	32 से 112 दिन	137.41	14.82
26	विदेश संचार निगम लि0	8	6 अक्तूबर 2004 से 6 मई 2005	21 से 71 दिन	193.72	4.03
	लघु योग	***47***			***1437.28***	***24.03***
			तिरूवनन्तपुरम सै स्वी क्षे			
27	विदेश संचार निगम लि0	13	10 मई 2004 से 18 जनवरी 2005	2 से 175 दिन	698.57	11.62

क्र. सं.	निजी सेवा परिचालक का नाम	उन बिलों की संख्या जिनके भुगतान में देरी हुई	शामिल बिलों की आवधिक (बिलों की तारीख)	देरी की श्रेणी	भुगतान किये गये बिलों की राशि	भुगतान में देरी की वजह से ब्याज की
28	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	12	10 मई 2004 से 18 जनवरी 2005	2 से 97 दिन	621.37	7.82
29	भारती सैल्यूलर लि0	15	10 र्म 2004 से 22 फरवरी 2005	1 से 4 दिन	2300.53	2.38
30	विदेश संचार निगम लि0	4	18 अक्तूबर 2005 से 18 जनवरी 2006	31 से 54 दिन	14.52	0.47
31	बी पी एल	3	18 अक्तूबर से 14 दिसंबर 2005	35 से 64 दिन	104.77	3.23
32	भारती सैल्यूलर लि0	2	25 नवंबर से 14 दिसंबर 2005	2 से 6 दिन	198.63	0.15
33	टाटा टैलीकाम लि0	2	18 अक्तूबर से 14 दिसंबर 2005	7 से 10 दिन	139.68	0.44
	लघु योग	*51*			*4078.07*	*26.11*
	योग	109			6173.97	67.39
उड़ीसा दूरसंचार परिमंडल						
			कटक सै स्वी क्षे			
34	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	15	3 सितंबर 2003 से 3 नवंबर 2004	64 से 524 दिन	339.18	57.58
	लघु योग	*15*			*339.18*	*57.58*
			भुवनेश्वर सै स्वी क्षे			
35	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	83	13 जून 2003 से 9 मार्च 2005	1 से 362 दिन	811.35	24.16
36	विदेश संचार निगम लि0	5	9 जनवरी से 9 फरवरी 2005	11 से 12 दिन	14.23	0.08
	लघु योग	*88*			*825.58*	*24.24*
			राउरकेला से स्वी क्षे			
37	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	8	दिसंबर 2003 से सितंबर 2004	2 से 75 दिन	58.48	1.09
	लघु योग	*8*			*58.48*	*1.09*
			जि म (ई टी आर) भुवनेश्वर से स्वी क्षे			
38	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	5	21 दिसंबर 2004 से 10 मई 2005	76 से 181 दिन	214.59	17.69
39	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	4	10 जून से 12 सितंबर 2005	130 से 168 दिन	149.13	14.77
	लघु योग	*9*			*363.72*	*32.46*
	योग	120			1586.96	115.37
राजस्थान दूरसंचार परिमंडल						
			अलवर सै स्वी क्षे			
40	एअर सैल डिजिटल लि0	16	4 फरवरी 2004 से 3 जून 2005	1 से 62 दिन	22.50	0.18
41	भारती टेलीनेट लि0	10	3 सितंबर 2004 से 3 जून 2005	2 से 9 दिन	13.07	0.03

क्र. सं.	निजी सेवा परिचालक का नाम	उन बिलों की संख्या जिनके भुगतान में देरी हुई	शामिल बिलों की आवधिक (बिलों की तारीख)	देरी की श्रेणी	भुगतान किये गये बिलों की राशि	भुगतान में देरी की वजह से ब्याज की
42	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	54	1 जुलाई 2003 से 3 जून 2005	1 से 90 दिन	102.32	1.02
43	श्याम टेलीलिंक लि0	160	9 मार्च 2002 से 3 जून 2005	3 से 198 दिन	663.77	17.63
44	विदेश संचार निगम लि0	10	3 सितंबर 2004 से 3 जून 2005	11 से 157 दिन	6.24	0.17
45	एअर सैल डिजिटल लि0	3	3 जुलाई से 3 सितंबर 2005	5 से 26 दिन	6.90	0.04
46	भारती टेलीनेट लि0	3	3 जुलाई से 3 सितंबर 2005	7 से 51 दिन	3.77	0.06
47	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	12	3 जुलाई से 3 सितंबर 2005	7 से 26 दिन	24.45	0.17
48	श्याम टेलीलिंक लि0	18	3 जुलाई से 3 सितंबर 2005	41 से 56 दिन	70.78	1.83
49	विदेश संचार निगम लि0	3	3 जुलाई से 3 सितंबर 2005	15 से 95 दिन	2.48	0.09
	लघु योग	***289***			***916.28***	***21.22***
	झुंझनु सै स्वी क्षे					
50	एअर सैल डिजिटल लि0	1	फरवरी–05	28 दिन	0.85	0.01
51	हैक्साकाम	9	जुलाई 2003 से अप्रैल 2005	1 से 48 दिन	19.56	0.10
52	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	69	26 अगस्त 2003 से 20 जून 2005	2 से 438 दिन	84.91	3.24
53	श्याम टेलीलिंक लि0	17	13 दिसंबर 2004 से 20 जून 2005	12 से 130 दिन	32.60	0.78
54	विदेश संचार निगम लि0	4	25 जनवरी से 20 जून 2005	7 से 25 दिन	13.56	0.10
55	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	8	मई से अगस्त 2005	11 से 20 दिन	16.28	0.10
56	श्याम टेलीलिंक लि0	10	मई से अगस्त 2005	27 से 90 दिन	24.06	1.08
57	विदेश संचार निगम लि0	2	मई से जुलाई 2005	20 से 23 दिन	9.28	0.08
	लघु योग	***120***			***201.10***	***5.49***
	सिकार सै स्वी क्षे					
58	श्याम टेलीलिंक लि0	43	7 अगस्त 2003 से 5 अप्रैल 2005	15 से 170 दिन	81.79	2.94
	लघु योग	***43***			***81.79***	***2.94***
	योग	**452**			**1199.17**	**29.65**
	कुल योग	**896**			**9888.66**	**246.18**

परिशिष्ट VI

(पृष्ठ संख्या 15 पर पैराग्राफ 2.7 में संदर्भित)

निजी परिचालकों द्वारा अन्तर संयोजन उपयोग प्रभारों के भुगतान न होने को दर्शाने वाला समेकित विवरण।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	निजी सेवा परिचालक का नाम	उन बिलों की संख्या जिनके भुगतान में देरी हुई	उन बिलों की अवधि (बिलों की तारीख)	31 जनवरी 2006 को देरी की श्रेणी	बिल की धनराशि जिसका भुगतान नहीं हुआ
केरल दूरसंचार परिमंडल					
तिरूवनन्तपुरम सै स्वी क्षे					
1	भारती सैल्यूलर लि0	1	फरवरी से अप्रैल 2004	529 दिन	17.20
	लघु योग	*1*			*17.20*
	योग	1			17.20
राजस्थान दूरसंचार परिमंडल					
अलवर सै स्वी क्षे					
2	एअर सैल डिजिटल लि0	1	अप्रैल 2005	350 दिन	2.25
3	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	2	अप्रैल 2005	350 दिन	4.63
	लघु योग	*3*			*6.88*
अलवर सै स्वी क्षे					
4	एअर सैल डिजिटल लि0	10	10 अक्तूबर 2004 से 10 अगस्त 2005	97 से 401 दिन	2.15
5	श्याम टेलीलिंक लि0	15	10 अक्तूबर 2004 से 10 अगस्त 2005	97 से 401 दिन	0.11
6	विदेश संचार निगम लि0	19	10 मार्च से 10 अगस्त 2005	97 से 250 दिन	1.53
	लघु योग	*44*			*3.79*
झुंझनु सै स्वी क्षे					
7	रिलायन्स इन्फोकॉम लि0	2	अक्तूबर 2003 से सितंबर 2004	489 से 785 दिन	8.41
8	श्याम टेलीलिंक लि0	22	जनवरी 2004 से अगस्त 2005	114 से 706 दिन	12.95
9	विदेश संचार निगम लि0	8	दिसंबर 2004 से अगस्त 2005	111 से 405 दिन	13.78
	लघु योग	*32*			*35.14*
	योग	*79*			45.81
	कुल योग	80			63.01

परिशिष्ट VII
(पृष्ठ संख्या 16 पर पैराग्राफ 2.8 में संदर्भित)
निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचना प्रभारों के बिल न बनाना।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	दिये गये निष्क्रिय सम्पर्कों का विवरण	गैर वसूली की अवधि	गैर वसूली की पूरी राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन जारी होने के बाद की गई वसूली का विवरण	
				वसूली गई राशि	वसूली की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल					
1.	म दू जि नैलोर द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	अक्तूबर 2002 से मार्च 2006	11.65	0.00	11.65
2.	म दू जि त्रिस्पति द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	मार्च 2001 से मार्च 2006	33.37	23.74	9.63
3.	म दू जि सांगारैडी द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	मार्च 2003 से मई 2006	7.64	0.60	7.04
4.	म दू जि श्रीकाकुलम द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	अक्तूबर 2001 से दिसंबर 2006	9.90	0.00	9.90
		लघु योग	***62.56***	***24.34***	***38.22***
गुजरात दूरसंचार परिमंडल					
5.	म दू जि भावनगर द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	नवंबर 2002 से मार्च 2006	34.33	18.32	16.01
		लघु योग	***34.33***	***18.32***	***16.01***
हरियाण दूरसंचार परिमंडल					
6.	प्र दू रोहतक द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	जून 2002 से सितंबर 2006	17.45	0.00	17.45
7.	प्र दू हिसार द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	सितंबर 2002 से जून 2006	21.97	0.00	21.97
		लघु योग	***39.42***	***0.00***	***39.42***
महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल					
8.	प्र म दू जि पूना द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	दिसंबर 2002 से मार्च 2006	69.46	0.00	69.46

क्र. सं.	दिये गये निष्क्रिय सम्पर्कों का विवरण	गैर वसूली की अवधि	गैर वसूली की पूरी राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन जारी होने के बाद की गई वसूली का विवरण	
				वसूली गई राशि	वसूली की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
9.	प्र दू अहमदनगर द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	मार्च 2003 से मार्च 2006	8.60	0.00	8.60
10.	प्र दू ओस्मानाबाद द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	अक्तूबर 2001 से मार्च 2006	6.39	0.00	6.39
11.	प्र दू कोल्हापुर द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	अगस्त 2003 से मार्च 2006	4.59	0.00	4.59
		लघु योग	*89.04*	*0.00*	*89.04*
पंजाब दूरसंचार परिमंडल					
12.	प्र दू अमृतसर द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	जून 2004 से मई 2005	12.70	6.09	6.61
		लघु योग	*12.70*	*6.09*	*6.61*
तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल					
13.	प्र दू कुडालौर द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	जुलाई 2003 से मार्च 2006	4.50	0.00	4.50
14.	प्र दू सालेम द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 और मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को निष्क्रिय सम्पर्कों के अवसंरचित सुविधाओं का प्रावधान	जुलाई 2003 से मार्च 2006	16.95	0.00	16.95
		लघु योग	*21.45*	*0.00*	*21.45*
		कुल योग	259.50	48.75	210.75

परिशिष्ट VIII

(पृष्ठ संख्या 16 पर पैराग्राफ 2.9 में संदर्भित)

अन्तः संयोजन लाईसेंस फीस के बिल न बनाने को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रू. में)

क्र.सं.	सै स्वी क्षे	बिल न बनाने की अवधि	बिल न बनाये जाने की धनराशि	जारी बिलों की धनराशि
1.	अदिलाबाद	दिसंबर 2004 से दिसंबर 2005	22.04	0.00
2.	खामम	नवंबर 2004 से नवंबर 2006	26.45	24.00
3.	कुरनूल	जुलाई 2005 से जुलाई 2006	26.45	24.00
4.	निजामाबाद	फरवरी 2005 से फरवरी 2006	17.63	15.00
5.	विशाखापटनम्	जून 2005 से जून 2006	17.63	0.00
6.	विजियानाग्राम	जून 2004 से मार्च 2006	24.44	0.00
		कुल	**134.64**	**63.00**

परिशिष्ट IX

(पृष्ठ संख्या 17 पर पैराग्राफ 2.10 में संदर्भित)

अन्तः संयोजन लाईसेंस फीस के बिल न/कम बनाने को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रू. में)

क्र.स.	सै स्वी क्षे/ परिमण्डल का नाम	बिल न बनाने/कम बिल बनने की अवधि	बिल न बनाना	कम बिल बनाना	बिल न बनाने/कम बिल बनाने की पूरी राशि	वसूली राशि	वसूल की जाने वाली राशि
आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार परिमंडल							
1.	नालगौंडा	जनवरी 2004 से जुलाई 2006	22.78	-----	22.78	20.58	2.20
2.	नैल्लौर	मई 2004 से मार्च 2005	10.20	-----	10.20	2.41	7.79
3.	श्री काकुलम	अक्तूबर 2003 से दिसंबर 2006	11.55	-----	11.55	0.00	11.55
		लघु योग	*44.53*	*0.00*	*44.53*	*22.99*	*21.54*
गुजरात दूरसंचार परिमंडल							
4.	भावनगर	नवंबर 2001 से मार्च 2005	7.87	----	7.87	0.00	7.87
5.	राजकोट	अप्रैल 2005 से मार्च 2006	----	1.75	1.75	0.00	1.75
6.	वडोदरा	अप्रैल 2005 से मार्च 2006	----	10.50	10.50	10.50	0.00
		लघु योग	*7.87*	*12.25*	*20.12*	*10.50*	*9.62*
तमिलनाडु दूरसंचार परिमंडल							
7.	कोयम्बटूर	अप्रैल 2005 से मार्च 2006	6.85	----	6.85	5.49	1.36
8.	कुनूर	फरवरी 2005 से मार्च 2006	15.54	----	15.54	14.00	1.54
9.	सलेम	जून 2004 से मार्च 2006	16.82	----	16.82	0.00	16.82
10.	त्रिनेलवेली	नवंबर 2005 से मार्च 2006	1.01	----	1.01	1.01	0.00
		लघु योग	*40.22*	----	*40.22*	*20.50*	*19.72*
		कुल योग	92.62	12.25	104.87	53.99	50.88

परिशिष्ट X

(पृष्ठ संख्या 19 पर पैराग्राफ 2.12 में संदर्भित)

तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डल के तीन सै. स्वी. क्षेत्रों में अवसंरचना की आपसी हिस्सेदारी हेतु निजी परिचालकों से विशेष आवर्ती प्रभार की गैर वसूली

(रू. में राशि)

क्र. सं.	लाईनों / केबलों सर्किट का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अवसंरचना की आपसी हिस्सेदारी के लिये निजी परिचालकों से विशेष वार्षिक आवर्ती प्रभार		लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद की गई वसूली का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि
		अवधि	राशि		
धर्मापुरी सै स्वी क्षे					
1.	मैसर्स रिलायंस इन्फोकोम लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	25/7/04 से 31/3/07	22,34,548	10,45,900	11,88,648
2.	मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	1/4/06 से 31/3/07	10,00,000	0.00	10,00,000
3.	मै. वी एस एन एल को प्रदान की गई एस टी एम–I	21/2/06 से 20/2/07	10,00,000	0.00	10,00,000
4.	मै. भारती टेलीनेट लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	1/4/06 से 31/3/07	10,00,000	0.00	10,00,000
		लघु योग	***52,34,548***	***10,45,900***	***41,88,648***
इरोड सै स्वी क्षे					
5.	विशाखापटनम	जून 2005 से जून 2006		17.63	0.00
6.	मै. भारती टेली सोनिक लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	12/3/04 से 11/3/05	1,07,528	1,07,528	0.00
7.	मै. भारती सैल्यूलर लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	1/12/05 से 30/4/06	4,59,166	3,25,375	1,33,791
8.	मै. भारती टेली सोनिक लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	12/3/04 से 11/3/05	1,07,528	1,07,528	0.00
		लघु योग	***5,66,696***	***4,32,903***	***1,33,791***
नागरकवाइल सै स्वी क्षे					
9.	मै. टाटा टेली सर्विसेज लि0 को प्रदान की गई एस टी एम–I	10/6/05 से 9/6/06	10,00,000	0.00	10,00,000
10.	मै. वी एस एन एल को प्रदान की गई एस टी एम–I	29/10/05 से 31/3/07	10,00,000	0.00	10,00,000
		लघु योग	***20,00,000***	***0.00***	***20,00,000***
		कुल योग	**78,01,244**	**14,78,803**	**63,22,441**

परिशिष्ट XI

(पृष्ठ संख्या 21 पर पैराग्राफ 2.15 में संदर्भित)

पट्टे पर दी गई परिपथ के किराये की गैर वसूली को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	परिमण्डल/सैस्वी, क्षे का नाम	विवरण	गैर वसूली की अवधि	गैर वसूली	वसूली राशि	वसूल की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़ दूरसंचार परिमंडल						
1.	म प्र दू रायपुर	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर प्रदान की गई 14 परिपथ	मई 2003 से अगस्त 2006	54.66	0.00	54.66
			लघु योग	***54.66***	***0.00***	***54.66***
केरल दूरसंचार परिमंडल						
2.	प्रधान म प्र दू इरनाकुलम	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर प्रदान की गई 78 परिपथ	मई 2005 से दिसंबर 2006	29.80	0.00	29.80
			लघु योग	***29.80***	***0.00***	***29.80***
मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल						
3.	म प्र दू इन्दौर	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर प्रदान की गई 11 परिपथ	फरवरी 2004 से फरवरी 2005	10.04	0.00	10.04
			लघु योग	***10.04***	***0.00***	***10.04***
महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल						
4.	म प्र दू चन्द्रपुर	10 हाट लाईन डाटा परिपथ और 15 डाटा परिपथ	अक्तूबर 2002 से अप्रैल 2006	24.06	0.00	24.06
5.	म प्र दू नान्देड़	39 डाटा परिपथ और 9 पोर्ट	अप्रैल 2005 से मार्च 2006	48.45	39.87	8.58
			लघु योग	***72.51***	***39.87***	***32.64***
राजस्थान दूरसंचार परिमंडल						
6.	म दू जि बीकानेर	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर दी गई 27 डाटा परिपथ	जनवरी 2005 से अगस्त 2006	16.07	16.07	0.00
7.	म दू जि भीलवाड़ा	मै. अपोलो टायर्स लि0 को पटटे पर दी गई डाटा परिपथ	जनवरी 2004 से मार्च 2006	1.11	1.11	0.00
8.	प्र म दू जि जयपुर	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर दी गई 96 परिपथ	जनवरी 2005 से फरवरी 2007	34.99	30.47	4.52
			लघु योग	***52.17***	***47.65***	***4.52***

क्र. स.	परिमण्डल/सैस्वी. क्षे का नाम	विवरण	गैर वसूली की अवधि	गैर वसूली	वसूली राशि	वसूल की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरांचल दूरसंचार परिमंडल						
9.	म प्र दू जि हरिद्वार	विभिन्न अभिदाताओं को पटटे पर दी गई 16 परिपथ	मई 2004 से सितंबर 2006	5.39	5.37	0.02
			लघु योग	***5.39***	***5.37***	***0.02***
पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल						
10.	म प्र दू जि मुरादाबाद	उत्तरी रेलवे को स्पीच परिपथ	फरवरी 1980 से जनवरी 2006	18.39	0.00	18.39
			लघु योग	***18.39***	***0.00***	***18.39***
			कुल योग	242.96	92.89	150.07

परिशिष्ट XII

(पृष्ठ संख्या 23 पर पैराग्राफ 2.17 में संदर्भित)

पट्टे पर दी गई परिपथों के प्रावधान में देरी को दर्शाने वाला विवरण।

(रू. में राशि)

सै. स्वी. क्षे. का नाम	पटटे पर प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली परिपथों का ब्यौरा	अन्तिम संज्ञापन पत्र के जारी होने की तिथि	परिपथ के प्रावधान की देय तिथि	पटटे पर परिपथों के वास्तविक प्रावधान अप्रावधान की	प्रावधान में 7 दिनों से अधिक की देरी (दिनों में/वर्षो	संभावित राजस्व हानि की राशि
बिहार दूरसंचार परिमंडल						
हाजीपुर	पूर्वी केन्द्रीय रेलवे के अन्तर्गत हाजीपुर से मुगल सराय के मध्य तक स्पीच परिपथ का प्रावधान	15-7-2002	23-7-2002	परिपथ का प्रावधान न होने की वजह से मांग 23 अक्तू. 2005 को रदद की गई	1187 अथवा 3.25 वर्ष	3,08,131
	पूर्वी केन्द्रीय रेलवे के अन्तर्गत दानापुर और हाजीपुर के मध्य 2 एम बी पी एस डाटा परिपथ का प्रावधान	11-7-2002	20-7-2002	31 दिसंबर 2005 तक प्रदान नहीं की गई	1257 अथवा 3.44 वर्ष	11,72,531
समस्तीपुर	समस्तीपुर और हसनपुर के मध्य परिपथ का प्रावधान	14-8-2002	22-8-2002	28 फरवरी 2006 तक प्रदान नहीं की गई	1287 अथवा 3.52 वर्ष	1,34,268
	समस्तीपुर और सलौना के बीच परिपथ का प्रावधान	14-8-2002	22-8-2002	28 फरवरी 2006 तक प्रदान नहीं की गई	1287 अथवा 3.52 वर्ष	1,47,689
	समस्तीपुर और भैरोगंज के बीच एक स्पीच परिपथ का प्रावधान	14-8-2002	22-8-2002	28 फरवरी 2006 तक प्रदान नहीं की गई	1287 अथवा 3.52 वर्ष	3,60,168
	समस्तीपुर और कामतौल के मध्य 2 एम बी पी एस डाटा परिपथ का प्रावधान	30-11-2002	8-12-2002	28 फरवरी 2006 तक प्रदान नहीं की गई	448 अथवा 1.23 वर्ष	12,017
	समस्तीपुर और हरीनगर के बीच परिपथ का प्रावधान	30-11-2002	8-12-2002	28 फरवरी 2006 तक प्रदान नहीं की गई	448 अथवा 1.23 वर्ष	18,485
					लघु योग	***21,53,289***
कोलकाता दूरसंचार परिमंडल						
कोलकाता	मै. एन टी पी सी लि. को प्रदान की गई 128 के बी पी एस	24.5.2005	1.6.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	265	1,75,696
	मै. बैंक आफ इंडिया को प्रदान की गई 64 के बी पी एस	30.3.2005	6.4.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	321	95,241

सै. स्वी. क्षे. का नाम	पटटे पर प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली परिपथों का ब्यौरा	अन्तिम संज्ञापन पत्र के जारी होने की तिथि	परिपथ के प्रावधान की देय तिथि	पटटे पर परिपथों के वास्तविक प्रावधान अप्रावधान की	प्रावधान में 7 दिनों से अधिक की देरी (दिनों में/वर्षो	संभावित राजस्व हानि की राशि
	मैसर्स एफ ओ आई एस को प्रदान की गई 64 के बी पी एस	15.7.2005	23.7.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	213	81,295
	नौसेना प्रभारी अधिकारी को प्रदान की गई 2 एम बी पी एस	24.2.2005	4.3.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	354	10,73,635
	जी एम पूर्वी रेलवे को प्रदान की गई 64 के बी पी एस	1.4.2005	9.4.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	318	86699
	जी एम पूर्वी रेलवे को प्रदान की गई 64 के बी पी एस	1.4.2005	9.4.2005 से 20.2.2006	20.2.06 तक प्रदान नहीं की गई	318	86,699
					लघु योग	***15,99,265***
कर्नाटक दूरसंचार परिमंडल						
हुबली	मैसर्स भारती मोबाईल लि. को हुबली और अन्य विभिन्न स्थानों के मध्य 23 परिपथों का प्रावधान	16 जनवरी और 9 नवंबर 2004 के मध्य	24 जनवरी और 17 नवंबर 2004 के मध्य	17 अप्रैल और 23 नवंबर 2004 के मध्य	8 व 83 दिनों के मध्य	20,41,171
	मैसर्स हच्चिसन एस्सार साऊथ लि. को हुबली और अन्य विभिन्न स्थानों के बीच 25 परिपथों का प्रावधान	14 मई और 16 जून 2004 के मध्य	22 मई और 24 जून 2004 के मध्य	1 जुलाई और 11 अक्तूबर 2004 के मध्य	23 व 110 दिनों के मध्य	46,45,802
					लघु योग	***66,86,973***
					कुल योग	**1,04,39,527**

परिशिष्ट XIII

(पृष्ठ संख्या 24 पर पैराग्राफ 2.18 में संदर्भित)

पश्चिमी बंगाल दूरसंचार ज़िला आसन सोल सै. स्वी. क्षे. और चेन्नई दूरभाष ज़िला के अन्तर्गत भुगतान न किये गये बिलों की राशि और पट्टे पर दिये गये परिपथों के संयोजन के काटे जाने में देरी को दर्शाने वाला विवरण।

(रू. में राशि)

क्र. सं.	पटटे पर दिये गये परिपथों का विवरण	बिल की तिथि	भुगतान की देय तिथि (कालम 3+21	संयोजन काटे जाने की देय तिथि (कालम 3+35 दिन)	संयोजन काटे जाने की वास्तविक तिथि	संयोजन काटे जाने में देरी (6–5 दिनों में)	भुगतान न हुए किराये बिलों की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
चेन्नई दूरभाष जिला							
1.	मैसर्स पैट्रायट आटोमेशन प्रोज़ैक्ट लि0 चेन्नई को पटटे पर दिये गये विभिन्न डाटा ई आई आर 2 लिंक	30-9-01	21-10-01	4-11-01	26-11-02	387	1709236
2.		7-5-01	28-5-01	11-6-01	26-11-02	533	175535
3.		1-7-01	22-7-01	5-8-01	26-11-02	478	1226008
4.		1-6-01	22-6-01	6-7-01	13-9-01	69	249375
5.		1-6-01	22-6-01	6-7-01	11-2-02	220	216312
6.		1-6-01	22-6-01	6-7-01	12-9-01	68	192780
7.		5-6-02	26-6-02	10-7-02	24-1-03	198	251479
8.		1-6-01	22-6-01	6-7-01	3-1-03	546	1391600
9.		1-6-01	22-6-01	6-7-01	3-1-03	546	460590
10.		5-6-02	26-6-02	10-7-02	3-1-03	177	90920
11.		5-6-02	26-6-02	10-7-02	26-11-02	139	90920
						लघु योग	*6054755*
आसन सोल सै स्वी क्षे. पश्चिमी बंगाल दूरसंचार परिमण्डल							
12.	मैसर्स डैसकान लि0 कोलकाता को पटटे पर दिये गये विभिन्न डाटा, ई.1 आर 2 लिंक	12-8-03	2-9-03	16-9-03	13-2-06	881	1348198
13.		9-8-04	30-8-04	13-9-04	13-2-06	518	1099061
14.		28-12-05	18-1-06	1-2-06	13-2-06	12	239253
15.		12-8-03	2-9-03	16-9-03	13-2-06	881	232571
16.		9-8-04	30-8-04	13-9-04	13-2-06	518	208055
17.		28-12-05	18-1-06	1-2-06	13-2-06	12	72315
						लघु योग	*3199453*
						कुल योग	9254208

परिशिष्ट XIV
(पृष्ठ संख्या 25 पर पैराग्राफ 2.20 में संदर्भित)
क्षतिपूर्ति संबंधी दावों की न वसूली

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	ईकाई का नाम	अवसरों की संख्या	दावे की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि
1	2	3	4
उड़ीसा परिमण्डल			
1.	प्र दू जि सम्बलपुर	72	1.54
2.	प्र दू जि राऊरकेला	48	0.03
3.	प्र दू जि कटक	19	0.39
4.	प्र दू जि भुवनेश्वर	26	0.61
5.	प्र दू जि बारीपादा	48	0.13
6.	डी ई टी मोइक्रोवेव और ओ एफ सी भुवनेश्वर	9	0.13
झारखंड परिमण्डल			
7.	प्र दू जि रांची	23	1.83
कर्नाटक परिमण्डल			
8.	प्र म प्र दू दक्षिण कन्नड दूरसंचार जिला	261	1.04
	कुल योग	506	5.70

परिशिष्ट XV
(पृष्ठ संख्या 26 पर पैराग्राफ 2.21 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	सै स्वी क्षे का नाम	प्रकरण का विवरण	बिलों को न बनाने की/कम बनाने की अवधि	बिलों को न बनाने/कम बनाने की राशि	वसूल की गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
चेन्नई दूरभाष जिला						
1.	उप महा प्रबंधक (लम्बी दूरी और) चेन्नई	वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क आधारित मल्टी पोंटोकोल लेबल स्विचिंग के किराये के बिल न बनाने (14 प्रकरण) और कम बिल बनाना (21 प्रकरण)	सितंबर 2004 से मार्च 2006	52.68	49.44	3.24
			लघु योग	***52.68***	***49.44***	***3.24***
गुजरात दूरसंचार परिमण्डल						
2.	म प्र दू जि अहमदाबाद	लाईसैंस शुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सैल्यूलर मोबाईल परिचालकों कों अनियमित छूट का भुगतान	अप्रैल 2003 से जून 2005	40.43	40.43	0.00
			लघु योग	***40.43***	***40.43***	***0.00***
हरियाणा दूरसंचार परिमण्डल						
3.	म प्र दू जि अम्बाला	मैसर्स एस्कोटेल मोबाईल लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	नवंबर 1997 से मार्च 2004	15.58	15.58	0.00
4.	म प्र दू जि हिसार	मैसर्स एस्कोटेल मोबाईल लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	अगस्त 1998 से जून 2004	19.22	19.22	0.00
			लघु योग	***34.80***	***34.80***	***0.00***
कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल						
5.	उप महाप्रबंधक (पटटे पर दिये गये दूरसंचार परिपथ) बैंगलोर सै. स्वी. क्षे.	मै. थामसन बिजनेस इन्फोमेशन इण्डिया प्रा. लि. बंगलोर को पटटे पर दी गई डाटा परिपथों का कम बिल बनाना	अप्रैल 2004 से दिसंबर 2005	32.70	32.70	0.00
			लघु योग	***32.70***	***32.70***	***0.00***
केरल दूरसंचार परिमण्डल						
6.	प्र म प्र दू जि इरनाकुलम	मै. फैडरल बैंक लि0 को दी गई डाटा परिपथों के किराये का कम बिल बनाना	मार्च 2004 से जून 2006	260.82	260.82	0.00
			लघु योग	***260.82***	***260.82***	***0.00***

क्र. सं.	सै स्वी क्षे का नाम	प्रकरण का विवरण	बिलों को न बनाने की/कम बनाने की अवधि	बिलों को न बनाने/कम बनाने की राशि	वसूल की गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल						
7.	दू जि प्र सागर	मै. भारती टैलीनेट लि0 का बिल न बनाना	अगस्त 2003 से मार्च 2005	7.66	7.66	0.00
8.	दू जि प्र धार	निजी परिचालकों को प्रदान की गई सुविधाओं का बिल न बनाना	फरवरी 2002 से सितंबर 2005	28.98	28.98	0.00
9.	प्र म प्र दू जि मन्दसौर	निजी परिचालकों को प्रदान की गई सुविधाओं का बिल न बनाना	अप्रैल 2001 से मार्च 2005	8.86	8.86	0.00
			लघु योग	***45.50***	***45.50***	***0.00***
पंजाब दूरसंचार परिमण्डल						
10.	प्र म प्र दू जि चण्डीगढ़	मैसर्स स्पाईस टेलीकाम लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	मार्च 1997 से मार्च 2005	18.96	18.96	0.00
11.	म प्र दू जि होशियारपुर	मैसर्स स्पाईस टेलीकाम लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	सितंबर 1998 से अगस्त 2004	18.08	18.08	0.00
12..	म प्र दू जि लुधियाना	मैसर्स एच एफ सी एल और रिलायंस से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	अप्रैल 2001 से दिसंबर 2005	43.37	43.37	0.00
13.	म प्र दू जि पटियाला	मैसर्स भारती मोबाईल लि0 एच एफ सी एल और स्पाईस टेलीकाम लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	अप्रैल 2001 से सितंबर 2004	13.93	13.93	0.00
14.	म प्र दू जि पठानकोट	मै. स्पाईस टेलीकाम लि0 से अवसंरचना हिस्सेदारी प्रभारों की कम वसूली	अगस्त 2001 से सितंबर 2005	11.00	11.00	0.00
15.	म प्र दू जि संगरूर	मै. रिलायंस से प्रवेश प्रभारों की कम वसूली	जनवरी से मार्च 2004	45.07	45.07	0.00
			लघु योग	***150.41***	***150.41***	***0.00***
राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल						
16.	म प्र दू जि जयुपर	पटटे पर दिये गये 2 एम बी पी एस परिपथों के किराये का कम बिल बनाना	जुलाई 2005 से मार्च 2006	15.01	15.01	0.00
			लघु योग	***15.01***	***15.01***	***0.00***
तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डल						
17.	म प्र दू जि नागेरकौल	मै. भारती सैल्युलर लि0 का पोर्ट प्रभारों का बिल न बनाना	अक्तूबर 2004 से अक्तूबर 2005	3.30	3.30	0.00

क्र. सं.	सै स्वी क्षे का नाम	प्रकरण का विवरण	बिलों को न बनाने की/कम बनाने की अवधि	बिलों को न बनाने/कम बनाने की राशि	वसूल की गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
18.	म प्र दू जि तंजावूर	विभिन्न डाटा परिपथों का बिल न बनाना	मई 2005 से अप्रैल 2006	28.39	28.39	0.00
19.	उप म प्र दू (एल डी) चेन्नई दूरभाष	हच्च, एअरसैल और रिलायंस के पोर्ट प्रभारों का बिल न बनाना	सितंबर 2005 से मार्च 2006	6.90	6.90	0.00
20.	म प्र दू जि चैंगलपेट	वार्षिक अवसंरचना प्रभारों का कम बिल बनाना	फरवरी 2003 से मार्च 2005	10.36	10.36	0.00
		प्रवेश काल प्रभारों का बिल न बनाना	जून 2004 से नवंबर 2004	5.02	5.02	0.00
21.	म प्र दू जि धरमपुरी	मै. आदियामान को 256 के बी पी एस से 1 एम बी के लिये इंटरनेट पोर्ट प्रभारों और पटटे पर दी गई लाईनों का कम बिल बनाना	अगस्त 2004 से जून 2005	8.92	8.92	0.00
22.	उप म प्र दू (एल डी) चेन्नई दूरभाष	एस टी एम– प्रणाली से ए डी एम–4 प्रणाली के वार्षिक रखरखाव प्रभारों को कम बनाना	सितंबर 2003 से मार्च 2006	6.29	6.29	0.00
			लघु योग	*69.18*	*69.18*	*0.00*
			कुल योग	701.53	698.29	3.24

परिशिष्ट XVI
(पृष्ठ संख्या 28 पर पैराग्राफ 3.2 में संदर्भित)
बिजली अधिभारों का अधिक भुगतान

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	सै स्वी क्षे का नाम	अवधि	अधिक भुगतान (रू.)
1.	म प्र दू जि बांसवाड़ा	जनवरी 05–सितंबर 05	577389
2.	दू जि प्र बाडमेर	जनवरी 05–अगस्त 05	759720
3.	दू जि प्र बूंदी	जनवरी 05–अगस्त 05	157728
4.	पी जी एन टी डी जयपुर	जनवरी 05–दिसंबर 05	3708062
5.	दू जि प्र झालावर	जनवरी 05–सितंबर 05	52606
6.	म प्र दू जि झुझनू	जनवरी 05–नवंबर 05	561729
7.	म प्र दू जि श्री गंगानगर	जनवरी 05–सितंबर 05	3344442
8.	म प्र दू जि सिरोही	जनवरी 05–अगस्त 05	1104410
9.	दू जि प्र टोंक	जनवरी 05–सितंबर 05	712346
10.	म प्र दू जि अजमेर	जनवरी 05–दिसंबर 05	1928889
11.	म प्र दू जि भरतपुर	जनवरी 05–फरवरी 05	3341225
	योग		1,62,48,546

परिशिष्ट XVII
(पृष्ठ संख्या 30 पर पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)
भण्डारों का निष्क्रिय पड़े रहना

(लाख रू. में)

क्र. सं.	मद	खरीद का वर्ष	मात्रा	कीमत
1.	मोडयुलर संयोजक	2001-2003	124837	41.56
2.	15 मी. सेल्फ सपोर्टिंग स्लीव	2001-2002	107	48.56
3.	लेड सिलीव	2001-2002	124837	14.23
4.	साकेट–बी	2002-2003	6494	33.77
5.	टयूब ए 8, ए 4, बी 4	2001-2002	6399	36.25
6.	डी एस छोटा	2001-2002	122930	12.76
7.	स्टाक फोन	2001-2002	51524	11.85
8.	पैच पैनल एंटीना	2001-2002	7120	53.14
9.	सी डी एम ए डब्ल्यू एल एल 2235	2001-2002	1900	127.00
	योग			379.12

परिशिष्ट XVIII
(पृष्ठ संख्या 32 पर पैराग्राफ 3.4 में संदर्भित)
एक्सचेंज भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश दर्शाने वाली विवरणी

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	दूरसंचार परिमण्डल	सै सवी क्षे का नाम	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज भवन के पूरा होने की तारीख	लागत (लाख रू. में)	परिमंडल वार लागत (करोड़ रू. में)
1.	बिहार	म प्र दू जि छपरा	छपरा	मार्च 2004	183.07	**1.83**
2.	कर्नाटक	दू जि प्र रायचूर	मासिक	सितंबर 2003	53.34	**0.90**
		म प्र दू जि मांडया	पूरीगली	मार्च 2004	36.23	
3.	राजस्थान	प्र म प्र दू जि जयपुर	गोबिन्द नगर	जनवरी 2001	77.50	**1.57**
			जोबनेर	अगस्त 2001	37.25	
		म प्र दू जि भीलवाड़ा	बिजोलिया	फरवरी 2003	42.17	
4.	तमिलनाडु	म प्र दू जि तिरूनलवेली	पामबुकोइलशेन्डी	अगस्त 2003	22.01	**1.77**
			उलानगुलाम	अगस्त 2003	23.49	
			नाडुवाकुरिचि	अक्तूबर 2003	26.12	
			उवरि	सितंबर 2002	26.09	
			उक्कीरनकोट्टई	मार्च 2004	26.58	
		म प्र दू जि कुमबाकोनम	मोती लाल स्ट्रीट	मार्च 2003	33.52	
			पोराय्यार	जुलाई 2004	19.04	
योग						**6.07**

परिशिष्ट XIX
(पृष्ठ संख्या 35 पर पैराग्राफ 3.5 में संदर्भित)
प्राथमिक केबलों पर निष्फल व्यय

1.	मार्च 2005 को एम डी एफ में प्राथमिक केबलों की समापन	2.33 लाख जोड़ा
2.	1.19 लाख दूरभाष संयोजक प्रदान करने हेतु एम डी एफ में प्राथमिक केबल की समापनों की जरूरत	1.19 लाख जोड़ा
3.	एम डी एफ में अलग (क्र. 1–2)	1.14 लाख जोड़ा
4.	2000–05 के दौरान दूरभाष संयोजकों की वार्षिक विकास दर 5,326 प्रतिवर्ष थी, इस विकसित दर को ध्यान में रखते हुए 2006–2010 के दौरान 26,633 दूरभाष संयोजकों को प्रदान किया जायेगा जिसके लिये एम डी एफ में 26,633 प्राथमिक केबल समापनों की आवश्यकता है।	–0.26 लाख जोड़ा
5.	26,633 समापन प्रदान करने के बाद फालतू समापन	0.88 लाख जोड़ा
6.	भोपाल सै. स्वी क्षे में कुल दूरभाष संयोजकों की संख्या 1.70 लाख है (जनवरी 2006) और कुल 19.20 लाख कि.मी. केबल बिछायी गई जो कि 11.29 सी के एम प्रत्येक दूरभाष संयोजक बनती है। इसलिये 6 कि.मी. प्रति दूरभाष संयोजन की गणना से 11.29 सी के एम बनती है। भोपाल सै स्वी क्षे में इसलिये एक दूरभाष संयोजक प्रदान करने के लिये औसत 6 कि.मी. केबल का इस्तेमाल किया गया।	
7.	एक दूरभाष संयोजक प्रदान करने के लिये प्रत्येक कि.मी. के लिये कम से कम 800 जोड़ों की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता केबल की लम्बाई 0.88 लाख जोड़ों के लिये 110 कि.मी. बनेगी।	
8.	5.12 लाख प्रत्येक कि.मी की दर की गणना से 800 जोड़ों वाली 110 कि.मी. आर्मर्ड केबल की कुल लागत रू. 5.63 करोड़ हुई।	

परिशिष्ट XX

(पृष्ठ संख्या 36 पर पैराग्राफ 3.6 में संदर्भित)

एक्सचेंज के विस्तार/चालू करने पर अनुत्पादक व्यय को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रू. में)

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	विस्तारण का माह	पूर्व विस्तारण क्षमता (लाइनों में)	विस्तारण के पश्चात क्षमता (लाइनों में)	विस्तारण पूर्व से सीधी एक्स लाइनों* की प्रतीक्षा सूची	20% वृद्धि (कालम–6 की 20 %)	न्याय संगत कुल क्षमता (लाइनों में) (कालम 6+7)	अति विस्तारित क्षमता (लाइनों में)	अति क्षमता पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ध्रुव आर एल यू	दिसंबर 2001	5000	6000	4027	805	4832	1000	85
2.	रांची ई डब्ल्यू एस डी प्रमुख	फरवरी 2003	13000	14000	10077	2015	12092	1000	28
3.	हिनू आर एस यू	जनवरी 2002	8000	9000	4082	816	4898	1000	148
4.	ध्रुव सैक्टर II ई डब्ल्यू एस डी आर एस यू	दिसंबर 2004	4000	6000	3486	697	4183	1000	27
5.	सी एम पी डी आई आर एस यू	दिसंबर 2002	3800	5000	3315	663	3978	1000	29
6.	मंडार एम बी एम	मार्च 2004	1000	2000	620	124	744	1000	44
				लघु योग				***6000***	***361***
7.	मंडप ओ सी बी, आर एस यू (नया एक्सचेंज)	मार्च 2004	नया एक्सचेंज	2000				2000	122
				कुल योग				**8000**	**483**

* सीधी एक्सचेंज लाइने (दूरभाष संयोजन)

परिशिष्ट XXI
(पृष्ठ संख्या 39 पर पैराग्राफ 3.9 में संदर्भित)
विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय

(लाख रू. में)

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	सौ. स्वी. क्षे. का नाम	राशि	कुल
1.	बिहार	छपरा	11.18	
		मुंगेर	21.8	
		पटना	5.46	
		समस्तीपुर	5.97	44.41
2.	झारखंड	रांची	17.26	17.26
3.	केरल	कालीकट	13.6	
		इरनाकुलम	22.49	
		कुन्नूर	1.42	
		कोटट्यम	1.97	
		कोल्लम	8.44	
		थिरूवाला	2.37	
		थ्रिस्सूर	3.07	
		तिरूवनन्तपुरम	7.57	60.93
कुल				122.60

परिशिष्ट XXII
(पृष्ठ संख्या 42 पर पैराग्राफ 3.12 में संदर्भित)
सेवाकर के भुगतान में देरी की वजह से ब्याज का परिहार्य भुगतान

(लाख रू. में)

क्र. स.	ईकाई का नाम	अवधि	राशि
आन्ध्र प्रदेश परिमण्डल			
1.	प्र म प्र हैदराबाद दूरसंचार जिला	अक्तूबर 2000 से जून 2003	27.69
2.	म प्र दू जि कुरनूल	अक्तूबर 2000 से सितंबर 2003	20.69
3.	म प्र दू जि कूडापाह	अप्रैल 2001 से मार्च 2005	10.89
4.	म प्र दू जि त्रिपति	अक्तूबर 2000 से नवंबर 2004	6.96
5.	म प्र दू जि अनन्तपुर	जुलाई 2001 से नवंबर 2003	8.21
राजस्थान परिमण्डल			
6.	म प्र दू जि अजमेर	जुलाई 2002 से दिसंबर 2003	0.33
7.	म प्र दू जि भीलवाड़ा	जुलाई 2002 से दिसंबर 2004	0.24
8.	द जि प्र झालावर	जुलाई 2002 से दिसंबर 2005	1.42
9.	म प्र दू जि जोधपुर	2002–03, 2003–04	0.27
10.	म प्र दू जि कोटा	अक्तूबर 2000 से दिसंबर 2003	12.10
11.	म प्र दू जि पाली	जुलाई 2001 से सितंबर 2004	0.85
12.	म प्र दू जि श्रीगंगानगर	अप्रैल 2003 से मार्च 2004	1.25
	योग		**90.90**

परिशिष्ट XXIII

(पृष्ठ संख्या 43 पर पैराग्राफ 3.13 में संदर्भित)

छूट प्राप्त दरों के उपलब्ध न होने पर धनादेश कमीशन पर अधिक भुगतान

(लाख रू. में)

क्र. सं.	परिमण्डल का नाम	सै स्वी क्षे	अवधि जिस दौरान धनादेश भेजे गये	परिहार्य अधिक कमीशन अदा किया गया
1	गुजरात	नादियांड	सितंबर 2004 से सितंबर 2005	2.54
		भरूच	अप्रैल 2003 से सितंबर 2005	6.41
		हिम्मतनगर	अप्रैल 2003 से दिसंबर 2005	9.33
2.	कर्नाटक	गुलबरगा	नवंबर 2001 से अक्तूबर 2004	17.80
3.	राजस्थान	बांसवाड़ा	अक्तूबर 2001 से जून 2005	1.71
		टोंक	अक्तूबर 2001 से जून 2005	1.25
		झालावर	नवंबर 2001 से नवंबर 2005	3.06
		बाढ़मेर	अक्तूबर 2001 से जुलाई 2002	0.23
		जोधपुर	अक्तूबर 2001 से फरवरी 2004	9.02
		भरतपुर	जून 2003 से दिसंबर 2005	0.20
योग				51.55

परिशिष्ट XXIV
(पृष्ठ संख्या 44 पर पैराग्राफ 4.1 में संदर्भित)
भुगतान न होने पर संयोजकों के काटे जाने में देरी की वजह से राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू. में)

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रकरणों की संख्या	देरी की श्रेणी (दिनों में)	राजस्व हानि की राशि
(क) ऐसे प्रकरण जिनमें टी आर ए और एक्सचेंज दोनों में देरी हुई				
1	मारूल	33	टी आर ए में 2 से 390 दिन एक्सचेंज में 2 से 409 दिन	4.26
2.	मझगांव	163		24.88
3.	गोरेगांव	74		13.91
4.	गामदेवी	12		2.53
	लघु योग (ए)	***282***		***45.58***
(ख) प्रकरण जिनमें सिर्फ एक्सचेंज में देरी हुई				
5.	मारूल	268	टी आर ए– देरी नहीं एक्सचेंज में– 2 से 499 दिन	40.38
6.	मझगांव	77		12.38
7.	गोरेगांव	60		11.69
8.	गामदेवी	30		5.53
	लघु योग (बी)	*435*		***69.98***
	लघु योग (ए+बी)			**115.56**

परिशिष्ट XXV
(पृष्ठ संख्या 45 पर पैराग्राफ 4.3 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	सै. स्वी. क्षे. का नाम	विषय	कम बिल बनाना		वसूली गई राशि	राशि जो कि वसूल की जानी है
			अवधि	राशि		
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई						
1.	महा प्रबन्धक (पटटे पर दिये गये परिपथ) एम टी एन एल मुंबई	निजी परिचालकों द्वारा स्थापना प्रभारों का बिल न बनाना	जुलाई 2002 से फरवरी 2003	29.16	29.16	0.00
				लघु योग	*29.16*	*29.16*	*0.00*
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली						
2.	महा प्रबंधक टी आर एम टी एन एल नई दिल्ली	पटटे पर दिये गये परिपथों के किराये का बिल न बनाना	मई 2003 से मार्च 2006	114.03	113.69	0.34
				लघु योग	*114.03*	*113.69*	*0.34*
				कुल योग	143.19	142.85	0.34

परिशिष्ट XXVI

(पृष्ठ संख्या 48 पर पैराग्राफ 4.6 में संदर्भित)

भूमिगत केबिल में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण

(राशि रू. में)

क्र. स.	यूनिट का नाम	अवधि	ज्ञात एजेन्सियों द्वारा नुकसान	अज्ञात एजेन्सियों द्वारा नुकसान	कुल
1	म प्र दक्षिण–II	2001-05	1,63,28,475	1,13,91,781	2,77,20,256
2	म प्र पश्चिम–II	2001-06	66,07,392-	-----	66,07,392
कुल			2,29,35,867	1,13,91,781	3,43,27,648

परिशिष्ट - XXVII
(पृष्ठ संख्या 58 पर पैराग्राफ 6 में संदर्भित)
भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) से सम्बन्धित पैरो पर की गयी कार्यवाही (ए टी एन) की बकाया स्थिति

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए 1997 की प्रतिवेदन संख्या 6	8.4	ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क तथा आदिवासी उप योजना (दू वि/भा सं नि लि)
2.	31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए 1997 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3	6.3.2	दूरभाष निर्देशिकाओं का मुद्रण (म टे नि लि)
3.	31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 1998 की प्रतिवेदन संख्या 6	3	महानगरों में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा–आपरेटरों को 837 करोड़ रू. का अनुचित लाभ (दू वि/भा सं नि लि)
4.		4	सैल्यूलर आपरेटरों से बकाया लाइसेंस शुल्क (दू वि/भा सं नि लि) दू वि/भा सं नि लि
5.		9.6 (12)	0.5 मि मी डायमीटर ड्रॉप वायर की अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि)
6.	31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 1998 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3	7.2.2	भण्डारों का कम बीमा होने के कारण 34.12 लाख रू. की हानि (म टे नि लि)
7.	31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए 1999 की प्रतिवेदन संख्या 6	8 (8.2.IV.9,8.4, 8.6)	बिल न बनाना या कम बिल बनाना (दू वि/भा स नि लि)
8.		11 (11.1,11.2,11. 3,11.4,11.8)	पी आई जे एफ केबिलों की अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि)
9.		12 (12.1 to 12.14)	स्थानीय नेटवर्क में केबिल का बिछाना (दू वि/भा सं नि लि)
10.		15 (15.1 से 15.8)	सी–डॉट मैक्स–एल एक्सचेजों की अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि)
11.		17 (17.1 से 17.5)	ट्रंक एक्सचेंज के क्रय पर 10.33 करोड़ रू. का निष्फल व्यय (दू वि/भा सं नि लि)
12.		20	पूर्तिकारों को 7.67 करोड़ रू. का अधिक भुगतान (दू वि/भा सं नि लि)
13.		49	विवादित भूमि का क्रय (दू वि/भा सं नि लि)
14.	31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए 1999 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 3	5.3	असमायोजित क्रय अग्रिम राशि की गैर वसूली (म टे नि लि)
15.	31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए 2000 की प्रतिवेदन संख्या 6	7 (7i)	आ फा के मार्ग के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों की गैर–वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
16.		11 (11.5(.i), 11.6.X.2)	राजस्व के बिल न बनाना/कम बिल बनाना (दू वि/भा सं नि लि)
17.		15 (15.1 से 15.11)	रेडियो पेजिंग सेवाओं का लाइसेंस बनाना (दू वि/भा सं नि लि)
18.		16 (16.1 से 16.9)	दूरसंचार भंडारों तथा परिमण्डलों के सामग्री प्रबन्धन (दू वि/भा सं नि लि)
19.		17 (17.5.4,17.5.5 ,17.6,17.7,17. 7.1.1,17.7.1.2, 17.8.1,17.8.2, 17.10.1,17.10. 2,17.10.3 एवं 17.10.4)	ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क (दू वि/भा सं नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
20.		4	शैक्षिक तथा अनुसंधान नेटवर्क (एरनेट) के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से 2.52 करोड़ रू. की राशि के देयों की गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
21.	31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए 2001 की प्रतिवेदन संख्या 6	6 (6.V.21-23)	एस टी डी/पी सी ओ ऑपरेटरों से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
22.		9 (9.1.VI.9/9.3. VIII.5,12/9.4. IX.3)	राजस्व की गैर/कम वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
23.		12 (12.9i,12.11i, 12.11ii,12.11i iii,12.12i,12.1 2ii,12.13i एवं 12.13ii)	दूरसंचार सेवा विभाग में जनशक्ति प्रबन्धन (दू वि/भा सं नि लि)
24.		13 (13.1 से 13.9i)	जबलपुर और मुम्बई दूरसंचार फैक्टरियों का निष्पादन (दू वि/भा सं नि लि)
25.		14 (14.1 to 14.10.5)	कम्प्यूटरीकृत दूरभाष राजस्व के बिल बनाना तथा लेखांकन प्रणाली (दू वि/भा सं नि लि)
26.		15	म टे नि लि मुम्बई/दिल्ली से देयों की गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
27.		17 (17.1ए से 17.2बी)	2 गीगा हर्टज़ डिजिटल माइक्रोवेव टर्मिनलों की अधिप्राप्ति में 4.25 करोड़ रू. का अधिक व्यय (दू वि/भा सं नि लि)
28.		34	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान की गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
29.		41	भंडारों की अनियमित अधिप्राप्ति (दू वि/भा सं नि लि)
30.	31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए 2002 की प्रतिवेदन संख्या 6	7 (7.1.10,7.1.13 ,7.2.7, 7.2.11,7.4.13, 7.4.15,)	राजस्व की कम/गैर वसूली (दू वि/भा सं नि लि)
31.		11 (11.1 से 11.11)	दूरसंचार भंडारों का प्रबन्धन (दू वि/भा सं नि लि)
32.		12 (12.6,12.7,12. 8.3.3,12.8.6.2)	दूरसंचार सिविल मंडलों का कार्य चालन (दू वि/भा सं नि लि)
33.		16	सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान (दू वि/भा सं नि लि)
34.		19 (19i,19ii एवं 19iii)	लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर अन्य वसूलियां (दू वि/भा सं नि लि)
35.		26	2.32 करोड़ रू. का कच्चा माल एवं तैयार न हुए माल बिना योजना के थोक अधिप्राप्ति के कारण निष्क्रिय होना (दू वि/भा सं नि लि)
36.		37 (37.4,37.5,37. 6i एवं 37.6ii)	सी–डॉट 256 पी एक्सचेंज उपस्कर की विकेन्द्रित अधिप्राप्ति में अनियमितितायें (दू वि/भा सं नि लि)
37.		40	अधिप्राप्ति नीति के असंगत प्रयोग से अधिक भुगतान (दू वि/भा सं नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैरागाफ संख्या	विषय
38.		41 (41.2,41.3 एवं 41.5)	परिमण्डल दूरसंचार स्टोर डिपो एवं दूरसंचार इकाइयों द्वारा भंडार का परिवहन (दू वि/भा सं नि लि)
39.		44	परिहार्य भुगतान (दू वि/भा सं नि लि)
40.	31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष हेतु 2002 (वाणिज्यिक) की रिपोर्ट संख्या 3	6.1.3	देयों के गैर–भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना (भा सं नि लि)
41.		6.1.4	1.71 करोड़ रू. की किराया राशि की मांग एवं संग्रहण में विफलता (भा सं नि लि)
42.		6.1.5	परियोजना के चालू न होने के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि (भा सं नि लि)
43.		6.1.7	संज्ञापन पत्रों की गैर–प्राप्ति के कारण 81.31 लाख रू. की वूसली में विफलता (भा सं नि लि)
44.		6.1.10	नेटवर्क के अंतः सम्बद्धता के लिए लाइसेंस फीस की गैर वसूली (भा सं नि लि)
45.		6.3.4	डेटा सेवा के संयोजन काटने मे विलम्ब के कारण हानि (भा सं नि लि)
46.	31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए 2003 (वाणिज्यिक) की प्रतिवेदन संख्या 5	1	कार्य, संगठन, ट्रेफिक, राजस्व–प्राप्ति तथा वित्तीय परिणाम (भा सं नि लि)
47.		2	दोषपूर्ण आन्तरिक नियंन्त्रण प्रणाली के कारण पे फोन ऑपरेटरों से देयों की गैर–वसूली (भा सं नि लि)
48.		4 (1 से 16)	सरकारी राजस्व का अवरोधन (भा सं नि लि)
49.		11	बोली दस्तावेजों की लागत की कम वसूली (भा सं नि लि)
50.		14 (14.1.5,14.2.2, 14.2.3,14.2.4 एवं 14.3.5)	राजस्व की कम/गैर वसूली (भा सं नि लि)
51.		16 (16.1 से 16.8.3)	ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (भा सं नि लि)
52.		20	पूर्तिकार को अधिक भुगतान (भा सं नि लि)
53.		27	दोषपूर्ण विद्युत संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय (भा सं नि लि)
54.		30	उपयुक्त योजना की कमी परिणामतः 6 गीगा हार्टज के उपस्कर निष्क्रिय रहे (भा सं नि लि)
55.		31	न्यून विद्युत घटक अधिभार तथा न्यूनतम मांग प्रभारों के भुगतान पर 2.17 करोड़ रू. का निष्फल व्यय (भा सं नि लि)
56.		42	नई प्रौद्योगिकी डिजिटल स्थानीय एक्सचेंज उपस्कर की अधिप्राप्ति पर 14.97 करोड़ रू. का अधिक भुगतान (भा सं नि लि)
57.		43	सीमा शुल्क का अनियमित भुगतान (भा सं नि लि)
58.		44	उच्चतर क्षमता दूरभाष एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन पर परिहार्य व्यय (भा सं नि लि)
59.		46	भूमि के अधिग्रहण में परिहार्य अतिरिक्त व्यय (भा सं नि लि)
60.		50	कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्ति व वित्तीय परिणाम (म टे नि लि)
61.		51	निर्धारित संशोधित टैरिफ के गैर–क्रियान्वन के कारण राजस्व की हानि (म टे नि लि)
62.		53	करार के निबन्धनों का क्रियान्वन समय से न होने के कारण 90.25 लाख रू. के राजस्व की हानि (म टे नि लि)
63.		54	राजस्व की हानि (म टे नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
64.		55 (55.1 से 55.20)	म टे नि लि की सेवाओं की गुणवत्ता पर समीक्षा
65.		56 (56.1 से 56.9.5)	म टे नि लि में दूरभाष राजस्व पर बिल बनाने की समीक्षा
66.		61 (61.1,61.1.2,61.2.1.1,61.2.1.2,61.2.2,61.2.3,61.2.5 एवं 61.3.2.4)	म टे नि लि में सामग्री प्रबन्धन
67.		2.1	सैल्यूलर मोबाइल अभिदाताओं से राजस्व का गैर–संग्रहण–1.87 करोड़ रू. (भा सं नि लि)
68.		2.4 {2.4(1)5}	91.44 लाख रू. के अवसंरचनात्मक प्रभारों की कम वसूली (भा सं नि लि)
69.		2.9 (2.91 एवं 2.9.5.3)	राजस्व की गैर/कम वसूली (भा सं नि लि)
70.	31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए 2004 की प्रतिवेदन संख्या 5	2.10	लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वसूली (भा सं नि लि)
71.		3 (3.4.3,3.6, 3.8.2	भा सं नि लि की दूरसंचार अनुरक्षण शाखा का कार्यचालन
72.		4.1	रू. 229.18 करोड़ (भा सं नि लि) के अग्रिम की गैर वसूली
73.		4.6 (i)	नेटवर्क तालमेल उपस्कर की अधिप्राप्ति पर 78.22 लाख रू. का निष्फल व्यय (भा सं नि लि)
74.		4.12	सी सी बी दूरभाष पर 1.61 करोड़ रू. की निधि का अवरूद्ध होना (भा सं नि लि)
75.		4.13	1.37 करोड़ रू. की पूंजी का अवरूद्ध होना (भा सं नि लि)
76.		4.14	93.67 लाख रू. की पूंजी का अवरूद्ध होना (भा सं नि लि)
77.		4.19	अनुबंध मजदूरों की नियुक्ति पर 4.07 करोड़ रू. का अनियमित व्यय (भा सं नि लि)
78.		4.20	कार्य देने तथा भंडार की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं–1.27 करोड़ रू. (भा सं नि लि)
79.		4.23	पी आई जे एफ केबिल की अधिप्राप्ति पर 96.53 करोड़ रू. का परिहार्य अधिक भुगतान (भा सं नि लि)
80.		4.27	पी आई जे एफ केबिल की अधिप्राप्ति पर 1.81करोड़ रू. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय (भा सं नि लि)
81.	31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु 2005 की प्रतिवेदन संख्या 5	5 (5.1 से 5.7)	कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्तियां और वित्तीय परिणाम (म टे नि लि)
82.		7.1-7.13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा
83.		7.14-7.24	म टे नि लि में केबिल डक्ट कार्य
84.		8.1	250 करोड़ रू. की बेशी निधि को निवेश करने का अदूरदर्शी निवेश निर्णय (म टे नि लि)
85.		8.2	55.44 करोड़ रू. के ब्याज की परिहार्य हानि (म टे नि लि)
86.		8.3	समानुपातिक आधार पर बीमा प्रीमियम की वापसी पर अनुवर्ती कार्यवाही न करने के कारण 1.31 करोड़ रू. की परिहार्य हानि (म टे नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
87.		1 (1.3,1.4,1.6 एवं 1.7)	प्रस्तावना, संगठनात्मक ढांचा, निवेश व अर्जन, भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन, राजस्व बकाया, जनशक्ति, उत्पादकता (भा सं नि लि)
88.		2.1	देयों की वसूली में देरी तथा ब्याज की हानि (भा सं नि लि)
89.		2.2 {A2.2(1)1 से 2.2(1)25 और B2.2(1)1 से 2.2(1)12 }	सैल्यूलर मोबाइल अभिदाताओं में राजस्व का गैर संग्रहण (भा सं नि लि)
90.		2.3 {2.3(II)1 से 4,7 से 9, 13,14,16	देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं को जारी रखना (भा सं नि लि)
91.		2.4 {2.4(III)14,16 ,19 एवं 26}	संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना (भा सं नि लि)
92.		2.5 {2.5(IV)2,3}	संशोधित टैरिफ लागू न करने के कारण किराये की कम वसूली (भा सं नि लि)
93.		2.6	शास्तिक ब्याज के बिल न बनाना (भा सं नि लि)
94.		2.8 {2.8(V)3,4,5}	प्रतिष्ठापन प्रभार के कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
95.		2.9	रक्षा के अन्तः संयोजन सुविधाओं के संबंध में किराये के गैर/कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
96.		2.10	राजस्व के कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
97.	31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए 2005 की प्रतिवेदन संख्या 5	2.11 {2.11(VI)1}	रेलवे को पट्टे पर दी गई लाइनों तथा तारों के किराये के बिल न बनाना (भा सं नि लि)
98.		2.13 (2.13.1 से 2.13.8)	गारन्टी की बिना समाप्त अवधि के लिए क्षतिपूर्ति की गैर वसूली (भा सं नि लि)
99.		2.16	किराये के गलत निर्धारण के कारण राजस्व की हानि (भा सं नि लि)
100		2.18 {2.18(10)10}	लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली (भा सं नि लि)
101		3 (3.1 से 3.9)	भा सं नि लि के डॉट सॉफ्ट पैकेज की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
102		4.1	सीमा शुल्क का अधिक भुगतान (भा सं नि लि)
103		4.2	लापरवाही के कारण अग्नि से हानि (भा सं नि लि)
104		4.4	भूमिगत केबिलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति की गैर वसूली (भा सं नि लि)
105		4.6	केबिल डक्ट कार्यों के निष्पादन में अनियमित्ताएं (भा सं नि लि)
106		4.8	अनियमित व्यय तथा विलम्ब के कारण शास्तिक का भुगतान (भा सं नि लि)
107		4.9	डिज़िटल लूप कैरियर उपस्कर का निष्क्रय होना (भा सं नि लि)
108		4.10	अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति (भा सं नि लि)
109		4.13	3.11 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन (भा सं नि लि)
110		4.14	एक्सचेंज का अविवेकपूर्ण विस्तार (भा सं नि लि)
111		4.15	स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर निष्क्रय निवेश (भा सं नि लि)
112		4.16	1.55 करोड़ रू. की पूंजी का अवरोधन (भा सं नि लि)
113		4.17	स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर निष्क्रय निवेश (भा सं नि लि)
114		4.24	अनियमित व्यय (भा सं नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
115		4.28	ठेकेदार को अनुचित लाभ व शास्तिक की कम उगाही (भा सं नि लि)
116		4.29	डब्ल्यू एल एल कोरडेक्ट उपस्कर की अधिप्राप्ति में पूर्तिकारों को अनुचित लाभ (भा सं नि लि)
117		4.30	ज्वाइंटिंग किट्स की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय (भा सं नि लि)
118		6 (6.1 से 6.14)	म टे नि लि में डब्ल्यू एल एल की आयोजना, अधिप्राप्ति तथा उपयोग (भा सं नि लि)
119		7.2	उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना पर परिहार्य अधिक व्यय (भा सं नि लि)
120		1 (1.1 से 1.15.2)	भा सं नि लि में डब्ल्यू एल एल सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
121		2 (2.1 से 2.18.3)	भा सं नि लि में मानव संसाधन प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा
122		1 (13 से 1.7)	संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन (भा सं नि लि)
123	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए 2006 की प्रतिवेदन संख्या 9	2.1	मैसर्स डेटा एसेस (इंडिया) लिमिटेड से अन्तः संयोजन प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि)
124		2.2 {A.2.2(1)1 से 2.2(1)45 और B.2.2(1)1 से 2.2(1)6}	सैल्यूलर मोबाइल अभिदाताओं से राजस्व का गैर संग्रहण (भा सं नि लि)
125		2.3 {2.3 (II)1 से 2.3 (II) 29}	विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली (भा सं नि लि)
126		2.4 {2.4(III)1 से 7,11}	देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी दूरभाष सुविधाओं का जारी रहना(भा सं नि लि)
127		2.6 {2.6(IV)1 से 3}	आई एस डी कॉलों के लिये टैम्पर्ड कॉलिंग लाइन आइडेन्टीफिकेशन के साथ मैसर्स रिलायन्स इनफोकोम लिमिटेड से प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि)
128		2.7 {2.7(V)9,17,18, एवं 21}	संज्ञापन पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बिल न बनाना (भा सं नि लि)
129		2.8 {2.8(VI)1 से 2.8(VI)9}	पटटे पर दिये गये परिपथों के लिये किराये के कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
130		2.9 {2.9(VII)1 से 2.9(VII)9}	अन्तःसम्बद्ध लाइसेंस फीस के बिल न बनाना (भा सं नि लि)
131		2.10	प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि)
132		2.11 {2.11(VIII)1 से 2.11(VIII)3}	संशोधित पल्स दरों के विलम्बित/गैर क्रियान्वयन के कारण राजस्व की हानि (भा सं नि लि)
133		2.12 {2.12(IX)1 से 2.12(IX)5}	अवसंरचना भागीदारी प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि)
134		2.13 {2.13 केस –I से 2.13 केस III}	पटटे पर दिये गये परिपथ उपलब्ध कराने में असाधारण विलम्ब के कारण सम्भाव्य राजस्व की हानि (भा सं नि लि)
135		2.14 {2.14 (X)1 से 2.14 (X)5}	संशोधित टैरिफ लागू न होने के कारण किराये की कम वसूली (भा सं नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
136		2.15 {2.15 (XI)2,3	प्रतिष्ठापन प्रभारों तथा किराये के कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
137		2.16	किराये के बिल न बनाना (भा सं नि लि)
138		2.17 {2.17(XII)1 से 2.17(XII)8}	निजी आपरेटरों के संबंध में पोर्ट प्रभारों के कम बिल बनाना (भा सं नि लि)
139	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए 2006 की प्रतिवेदन संख्या 13 (टी ए, टेलीकॉम)	2.18 {2.18(XIII)1 (C) से 2.18(XIII)2 (C), 2.18(XIII)1 (M) से 2.18(XIII)5 (M)}	पार्ट प्रभारों की वसूली न किया जाना (भा सं नि लि)
140		2.19 {2.19(XIV)12 }	लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूली (भा सं नि लि)
141		3 (3.1 से 3.9.7)	भा सं नि लि की चेन्नई दूरभाष बिलिंग प्रणाली की सू प्रौ लेखापरीक्षा
142		4.1 {4.1(XVII)1 से 4.1(XVII)7}	विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान (भा सं नि लि)
143		4.2	हानिकारक व्यर्थ पदार्थों का गैर निपटान (भा सं नि लि)
144		4.3	भूमिगत केबिलों में नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति की गैर वसूली (भा सं नि लि)
145		4.4.	ई–10 बी केबिल की मरम्मत करने में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति प्रभारों की गैर वसूली (भा सं नि लि)
146	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये 2006 की प्रतिवेदन संख्या 13 (टी ए, टेलीकॉम)	4.5	एक्सचेंज का अविवेकपूर्ण विस्तार (भा सं नि लि)
147		4.6	एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन पर अनुत्पादक व्यय (भा सं नि लि)
148		4.7	सी–डॉट एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन पर व्यर्थ व्यय (भा सं नि लि)
149		4.8	भूमि के क्रय तथा भवन–निर्माण पर निष्क्रिय निवेश (भा सं नि लि)
150		4.9	एक्सचेंज भवन के निर्माण पर निष्फल निवेश (भा सं नि लि)
151		4.10	भूमि के क्रय पर निष्क्रिय निवेश (भा सं नि लि)
152		4.11	स्टाफ क्वार्टरों (भा सं नि लि) के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश
153		4.12	निधि का अवरोधन (भा सं नि लि)
154		4.13	एक्सचेंज भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय (भा सं नि लि)
155		4.14	डिजीटल लूप कैरियर प्रणाली का निष्क्रिय होना (भा सं नि लि)
156		4.15	आप्टीकल फाइबर मार्ग (भा सं नि लि) के चालू न होने के कारण निधि का अवरोधन
157		4.16	निष्क्रिय भंडारों पर व्यर्थ व्यय (भा सं नि लि)
158		4.17	विद्युत प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय (भा सं नि लि)
159		4.18	बिजली संयंत्र की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय (भा सं नि लि)
160		4.19	अदूरदर्शी निवेश (भा सं नि लि)
161		4.20	सॉफ्टवेयर के क्रय पर निष्क्रिय निवेश (भा सं नि लि)

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या तथा वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
162		4.21	पी आई जे एफ केबिल की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय (भा सं नि लि)
163		4.22	पी एल बी एच डी पी ई पाइप की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अधिक व्यय (भा सं नि लि)
164		4.23	केबिल बिछाने के कार्यों पर अधिक व्यय (भा सं नि लि)
165		5 (5.5 से 5.7)	प्रस्तावना (म टे नि लि)
166		6.1	अदूरदर्शी निवेश (म टे नि लि)
167		6.2	भूमि के क्रय पर निधि का अवरोधन (म टे नि लि)
168		6.3	भूमि पट्टे पर दिये जाने पर निष्फल व्यय (म टे नि लि)
169		6.4	परिहार्य व्यय (म टे नि लि)
170		6.5	कपट प्रबन्धन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना पर निष्क्रिय निवेश (म टे नि लि)
171		6.6	खतरे की सम्भावना व लागत खंड के बिना उच्चतर दरों पर केबिल की अधिप्राप्ति के कारण हानि (म टे नि लि)
172		6.7	बीमा दावे के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण हानि (म टे नि लि)
173		11 (11.1 से 11.5)	प्रस्तावना (एम टी एल)
174		12	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही